Approved by Ex. UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed : IIJIF, I2OR & SJIF
I2OR Impact Factor : 7.250
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal

Vol. XII No. I Supplement (December) 2022

Research Discourse • Varanasi •

Editor
Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors
Dr. Rakesh Kumar Maurya
Dr. Mahesh Nawaria
Dr. Romee Maurya
Dr. Ashok Ram

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
I2OR
Scientific Journal Impact Factor

Approved by Ex. UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF
I2OR Impact Factor : 7.250
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal

Vol.XII	No.I	Supplement(December)2022

Editor in Chief
Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors
Dr. Rakesh Kumar Maurya
***Dr.* Mahesh Nawaria**
Dr. Romee Maurya
Dr. Ashok Ram

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund, Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Website : www.researchdiscourse.org
E-mail : researchdiscourse2012@gmail.com
Mobile : 09453025847, 8840080928

Patron : **Dr. Lalji Tripathi,** *Ex. Principal, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.*
Editor in Chief **: Dr. Anish Kr. Verma** *Asst. Prof., Deptt. of Sociology, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.*
Associate Editors : **Dr. Rakesh Kumar Maurya, Dr. Mahesh Nawaria, Dr. Romee Maurya, Dr. Ashok Ram**
International Editorial Board : **Anna Malingdog,** *Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., De La Salle Univ., Philippines*
Abdul Qayyum, *Qadirabad Colony P.O. Choti Zareen Tehsil & Distt. D.G. Khan Punjab, Pakistan*

National Editorial Board

Prof. Rekha, Deptt. of Sociology, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. N.K. Singh, Principal, R.H.S.P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Deenbandu Tiwari, Associate Prof., Deptt. of Sociology, L.B.S.P.G College, Varanasi, U.P.
Dr. Rajeev Kumar Singh, Assistant Professor of Law, Law Collage Dehradun, Uttaranchal University, UK
Dr. Aparna Singh, Assistant Professor of Law, Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, U.P.
Dr. Pramod Kr. Shukla, Asst. Prof. Deptt. of Sociology,D.D.U.Gorakpur.U.P.
Dr. Rajneesh, Asst. Prof. Deptt. of Sociology, S.S.S.V.S Govt. P.G. College, Chunar, U.P.
Dr. Ramesh Kumar, HOD, Deptt. of Political Science, S.D. College, Ambala, Hariyana
Dr. Kaushal Kishor, Asst. Prof. in Sociology & Anthropology, A.N. Sinha Inst. of Social Studies, Patna, Bihar
Dr. Reeta, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Gangapur Compus, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Santosh Kr. Tiwari, Asst. Prof., School of Law, Justice & Governance, Gautam Buddha Uni., Greater Noida, U.P.
Dr. Sanjay Kumar Tiwari, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Surendra Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Jitendra Singh Goyal, Academic Counseller, IGNOU, Mahamaya Govt. Degree College, Mahona, Lucknow, U.P.
Dr. Neeraj Tiwari, President, Madhumay Educational & Research Foundation, Faizabad, U.P.
Dr. Neearj Kumar Shukla, HOD, B.Ed., Govt. P.G. College, Kashipur, U.S. Nagar, Uttrakhand
Mr.Shivendra Kr.Maurya, Editor in Chief, Unmesh: An International refereed research journal, Pratapgarh, U.P
Mr. Sudhanshu Chaubey, Editor in Chief, Tripathaga: An International refereed research journal, Varanasi, U.P.
Mr. Manjul Trivedi, Editor in Chief, Veethika : An International refereed research journal, Lucknow, U.P.

Advisory Board

Prof. Sushil Kumar Gautam, Head, Deptt. of Phy. Edu., M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Anurag Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Amjad Ali Siddiqui, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, MOHD.H.P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Anajana Verma, Asst. Prof., Deptt. of History, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Chiranjeev Kumar Thakur, DLW, Varanasi, U.P.
Dr. Dhananjay Sharma, Asst. Prof., Deptt. of Sociology,Govt. P.G. College, Bageshwar, Uttarakhad
Dr. Rama Shanker Pandey, Asst. Prof . B.Ed, Govt. P. G. College Jaiharikhal, Lansdowne, Pauri Garhwal, UK
Mr. Kuldeep Birwal, Asst. Prof., Department of Education, Yash college of Education, Rurkee,Hariyana

Review Editor's

Dr. Kripa Kinjalkam, Asst. Prof., Department of Hindi, Iswar Saran Degree College,University of Allahabad, U.P.
Dr. Anju Sihare, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, Govt. Chhatrasal College, Pichore, M.P.
Dr. Vijay Sankar Dwivedi, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit, Delhi University. Delhi
Dr. Surya Kant Tripathi, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit,D.D.U.Gorakpur.U.P.
Dr. Archana Bhattacharjee, Asso. Prof., Deptt. of English and Academic Vice Principle, Kakojan College, Jorhat, Assam
Dr. Anjaneya Pandey, HOD, Deptt. of English, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Dinesh Kumar Tiwari, HOD, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, D.A.V.P.G. College, Azamgarh, U.P.
Dr. S.K. Pandey, Asst. Prof., Dept. of commerce ,Y.D. (PG) College,Lakhimpur-Kheri ,U.P.
Dr. Chandra Prakash Dubey, HOD, LIS, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.
Dr Sugriv Singh, Librarian Univ. Employment, Info. & Guidance Bureau, FCI Campus, Univ. of Alla, Allahabad, U.P.
Dr. S. Kandasamy, Asso. Prof. and Head, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan.
Dr. Vinod Kumar Saroj, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan, Rajasthan.
Dr. R. Panneer Selvam, Asst. Prof., Department of History, Gov. Arts College (A), Salem, Tamilnadu.
Dr. Vineet Kumar Guru, Assit. Prof., Department of History,GovernmentCollege,Bijawar,M.P.
Dr. Manoj Kumar Mishra, Asso. Prof. ,Dept. of Defence & Strategic Studies, S.G.R.P.G. College, Dobhi, Jaunpur, U.P.
Mr. Uday Pratap Singh, Asst. Prof., Dept. of Defence, Iswar Saran P.G. College, Allahabad, U.P.
Mr. Ashutosh Kumar Tripathi, Freelance Journalist, B.5/167, Avadgarvi, Shivala, Varanasi, U.P.
Dr. Santosh Kumar Tripathi, Asst. Prof., Deptt. of Sociology,S.M.R.D.P.G.College,Gazipur. U.P.
Dr. Anand Kumar, UGC-PDF, Department of Sociology, Lucknow University, Lucknow, U.P.
Dr. Santosh Kumar Singh, Asst. Prof., Dept. of Psychology,M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Rajendra Singh, Asst. Prof., Dept. of Psychology, R.S.K.D.P.G. College, Jaunpur, U.P
Prof. MC Sati, Department of Economics, HN.B. Garhwal University, UK
Mr. Kamlesh Goyal, Research Scholar, Department of Economics, Punjabi University, Patiala, Punjab
Dr. Arvind Kumar, Asst. Prof., Department of B.Ed., Raza college, Rampur, U.P
Dr. Pravin Kumar Tiwari, Asst. Prof., Department of Education., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P
Dr. R. Sekar, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, Thiruvalluar Gov. Arts College, Rasipuram, Namakkal, Tamilnadu.
Dr. Hemant Kumar Singh, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, S.P.M Gov. Digree College, Phaphamau, Alla., U.P.
Dr. Naresh Kr. Verma, Asst. Prof., Deptt. of Geography, Central University of Haryana,Mahendergarh
Dr. Arun Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Geography, S.P.M. Gov. Digree College, Phaphamau, Allahabad, U.P.
Dr. Amit Kr. Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, H.N.B. Gov. P.G. College, Naini, Allahabad, U.P.
Dr. Ram Narain Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, S.B. College (Affi. V.K.S. University), Ara, Bihar
Dr. Neetu Mishra, Asso. Prof., Department of Home Science, University of Allahabad, U.P.
Mrs. Vidya Verma, Asst. Prof., Deptt. of Home Science, Govt.Girls Degree College, Kannauj, U.P.

© Editor

Note: ***Scholars will be answerable to the contents of their articles.***
All disputes and complaints are subject exclusively to the Jurisdication of the courts/tribunals/forums at Varanasi Only.

सम्पादकीय

आज का भारत अंग्रेजी औपनिवेशिक दासता की काली परछाईं को पार कर चुका है। स्वाधीनता संघर्ष आर्थिक विकास का संघर्ष भी था। इस संघर्ष से हमारे नेताओं को भारत के विकास हेतु नीतियां निर्धारित करने की दृष्टि मिली। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के उपरांत देश को अर्थव्यवस्था में गति आई। खासतौर पर 1991 से आर्थिक सुधारों के बाद यह गति और तेज हुई। आज भारत एक नयी कथा लिख रहा है। लेकिन एक अरब से ज्यादा लोगों के इस देश में विकास के लाभ अब तक सभी नागरिकों को समान रूप से नहीं मिल पाए हैं। शिक्षण सुविधाओं की कमी, पीने के पानी की किल्लत, बच्चों का कुपोषण, हैं खासतौर पर गांवों में स्वास्थ्य और सफाई की खराब स्थिति आदि ने भारत को सुविधासंपन्न और सुविधाविहीनों के रूप में के दो हिस्सों में बांट दिया है। कृषि की खराब स्थिति चिंता का सबब है। हालांकि सरकार यह कहती है कि आर्थिक सुधारों का 'मानवीय चेहरा' है, फिर भी ऐसा मानने वालों की तादाद बहुत बड़ी है कि सुधारों ने बहुलांश आबादी को छुआ तक नहीं, बल्कि उनके बगल से निकल गया है।

जब संसार के लोग भारत के बारे में सोचते हैं तो उनके मन के सामने महात्मा गांधी तथा उस शांतिमय क्रांति का चित्र आ जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने भारत की राजनीतिक आजादी प्राप्त की। उनका व्यक्तित्व सारे संसार में अनोखा था और हमारी आजादी का आंदोलन भी इस प्रकार का था, जिसके संबंध में लोगों ने कुछ सुना नहीं था। महात्मा और उनके द्वारा चलाया हुआ आंदोलन दोनों ही अनोखे थे, पर वे थे सोलहों आना भारतीय। इस समय हम एक क्रांति के अंदर से गुजर रहे हैं, जो सामाजिक होने के साथ ही साथ आर्थिक भी है और वह अपनी विशालता तथा कार्यपद्धति की दृष्टि से बिल्कुल अद्वितीय है। यह क्रांति किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं हो रही है, क्योंकि देश की सारी जनता इसमें भाग ले रही है। कभी भी इतने करोड़ लोगों ने किसी ऐसी उथल–पुथल में भाग नहीं लिया जो शताब्दियों के पिछड़ेपन को दूर कर देगी और जिससे हम यह आशा करते हैं कि हम सामंतवादी समाज से बीच के सारे सोपानों को छलांग लगा कर जिनसे औरों को गुजरना पड़ा है, सीधे–सीधे समाजवादी समाज में पहुंच जाएंगे और यह सारी सिद्धि हमें हिंसा के बिना ही प्राप्त होगी। यदि यह सफल रही तो यह भी इतिहास के पृष्ठों में इस रूप में चला जाएगा कि यह संसार को भारत की अनोखी देन है।

प्रस्तुत अंक के अशुद्धियों को शुद्ध करने क लिए **डॉ0 प्रवीण कुमार तिवारी, डॉ0 विजय कुमार चतुर्वेदी, डॉ0 सुनिल कुमार, डॉ0 चन्द्र प्रकाश दूबे** एवं अनन्य मित्र **डॉ0 आनन्द कुमार, डॉ0 दिनेश कुमार, डॉ0 अनूप कुमार, डॉ0 पंकज सिंह** एवं **डॉ0 रोमी मौर्या, श्री पवन कुमार मौर्या, श्रीमती नम्रता वर्मा** के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रस्तुत अंक में रह गयी त्रुटियों एवं विलम्ब के लिए हम सभी पाठकों से क्षमा प्रार्थी है।

प्रकाशन दिनांक : **30-12-2022**

सम्पादक
डॉ0 अनीश कुमार वर्मा

Research Discourse
An International Peer-reviewed Refereed Research Journal
Vol . XII, No. I, Supplement (December)2022, (ISSN 2277-2014)

INDEX

लोक संगीत की परम्परा एवम् उसके कुछ प्रमुख गीत प्रकार 1-3
डॉ0 रोली कनौजिया
भारत में बेरोजगारी, युवाओं में असंतोष एवं आक्रोश : एक अध्ययन 4-5
डॉ0 कृष्ण कुमार सिंह धीरज
19वीं सदी में बिहार में आदिवासी प्रतिरोधों की साहित्यिक अनुगूँजे : संथाल 'हूल' के विशेष संदर्भ में 6-8
डॉ0 स्नेहा पाण्डेय
ग्राम–स्वराज्य की अवधारणा और महात्मा गाँधी के विचार 9-11
डॉ0 प्रवीण कुमार तिवारी
भारतीय संस्कृति पर सोशल मीडिया का प्रभाव 12-14
डॉ0 पंकज वर्मा
समाज सुधार में महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान (1827–1890) 15-16
अरविन्द कुमार एवं डॉ0 अनुभा शुक्ला
ग्रामीण जीवन में आधुनिकता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 17-18
डॉ0 राम लेश
भारतीय कृषि : समस्याऍ और समाधान 19-21
प्रो0 ए0 के0 श्रीवास्तव एवं देवेश कुमार मिश्र
प्रेमचंद का हिन्दी कथा साहित्य में महत्त्व 22-24
राजीव प्रताप सिंह एवं प्रो0 राधेश्याम सिंह
सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 25-27
डॉ0 रीता मौर्या
वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में तुलसी के विचारों की प्रासंगिकता 28-31
डॉ0 रतन कुमारी वर्मा
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और महात्मा गाँधी 32-34
देवेशचन्द
आजादी के अमृत महोत्सव में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले पूर्वांचल के गाँधी बाबा राघवदास के योगदान का स्मरण 35-37
मुकुल लवानिया
संस्कृत नाट्य रंगमंच पर अभिनय प्रस्तुतीकरण की विधि 38-39
नरेन्द्र कुमार यादव एवं डॉ0 श्याम सुन्दर उपाध्याय
बाबा नागार्जुन के उपन्यासों में चित्रित सामाजिक समस्याएँ का परिप्रेक्ष्य 40-42
डॉ0 बी0पी0 पाठक एवं आशीष कुमार मिश्रा
कृष्णा सोबती की कहानियों में स्त्री चेतना का परिप्रेक्ष्य 43-45
डॉ0 सुमन सिंह एवं कविता सिंह
मोहन राकेश के नाटकों का समीक्षात्मक अध्ययन 46-47
डॉ0 बृजेश कुमार सिंह एवं विनोद कुमार

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : **IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 1-3

लोक संगीत की परम्परा एवम् उसके कुछ प्रमुख गीत प्रकार

डॉ0 रोली कनौजिया*
***असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संगीत (गायन) विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, कानपुर, उ0प्र0**

सारांश : लोक संगीत जनमानस की साधारण अभिव्यक्ति है जो लोकरूचि के अनुसार बदलती रहती है। शास्त्रीय संगीत की भाँति इसमें नियम कठोर नहीं होते हैं। समाज के दर्पण लोक संगीत में जनसाधारण की मनोस्थिति, रीति–रिवाज, परम्परा, सामाजिक उत्सव इत्यादि के सहज ही दर्शन होते हैं। जीवन का कोई ऐसा अंग, प्रसंग, भावना इत्यादि नहीं जो इससे अछूती रह गई हो। लोक संगीत विविध प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषा में अभिव्यक्ति है जो हृदय में उमंग और उल्लास का संचार करती है तथा अपने आप में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रसंगों को समाहित किये हुये जनमानस का जन–मन रंजन करता है।
मुख्य शब्द : लोक संगीत, कजरी, चैती, डेढ़ताल, संस्कृति आदि।

भारत में विविध प्रदेशों में प्रचलित लोक संगीत उस प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक परिवेश की झलक होते हैं। वास्तव में जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण है ठीक उसी प्रकार लोक संगीत जनमानस का सामाजिक एवम् सांस्कृतिक दर्पण है। लोक संगीत के माध्यम से जनमानस अपनी अनुभूतियों को सरल एवम् सहज रूप से अभिव्यक्त करता है। लोग अपनी दिनचर्या के कार्य में जो गीत के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं उसे ही लोक संगीत कहा गया है। प्रायः लोक संगीत में जीवन के मूल्यों, तीज–त्योहारों, सामाजिक रीति–रिवाजों की अभिव्यक्ति होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि ये जीवन–मूल्य, विविध सामाजिक उत्सव ही लोक संगीत की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। मनुष्य किसी कार्य को करते समय कभी खुशी से गाकर, गुनगुनाकर अथवा अंग संचालन के जरिये गीत के माध्यम से अपने भावों को सहज ही अभिव्यक्त करता है तो लोक संगीत का जन्म होता है।

वस्तुतः लोक संगीत 'लोक' तथा 'संगीत' इन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है लोगों में प्रचलित गीत। ''लोक शब्द वास्तव में नगर तथा ग्राम की समस्त साधारण जनता का द्योतक है। इसी प्रकार गीत शब्द का अर्थ उस कृति से लिया जाता है, जो गयात्मक होती है। स्वर व लय इसके प्राण तत्व है। ऋग्वेद में 'देहि लोकम्' इस रूप में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में भी 'लोक' शब्द का प्रयोग मिलता है। इस शब्द में कोशगत अनेक अर्थ हैं–संसार, दुनिया, तीन लोक, जनता, सांसारिक व्यवहार, प्रजा, प्रान्त, भू–भाग, दृष्टि एवम् यश आदि। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार जो संगीत, देश, काल और जाति आदि के आधार पर स्वयं बनता है, फलता–फूलता है, वह लोक संगीत है। लोक संगीत किसी प्रकार के बन्धन को स्वीकार नहीं करता। यह पूर्ण रूप से स्वान्तःसुखाय होता है। जो लोक के द्वारा है, लोक के लिए है और लोक का रंजन करता है, वह लोक संगीत है। संक्षेप में लोक संगीत जन–जीवन की उल्लासमय अभिव्यक्ति है।''[1]

जनमानस में प्रचलित लोक संगीत में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है। स्वयं में संस्कृति को संजोये हुये यह सामाजिक अभिव्यक्ति करता है। इसमें बहुत अधिक क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होता है। दैनिक जीवन के कार्य, तीज–त्योहार, शादी–विवाह के अवसर पर गाये–बजाये जाने वाला यह लोक संगीत मन का रंजन करता है तथा अवसाद से प्रसाद की ओर ले जाता है। यह सहज ही समझ में आने वाला शास्त्रीय संगीत की भांति क्लिष्टता स्वयं में नहीं लिये होता है। इसमें विविध भावों की अभिव्यक्ति जैसे प्रेम, विछोह, भक्ति, धर्म, आनन्द, हर्ष, विषाद देखने को मिलता है। इसमें स्वरों का सहज समूह प्रयुक्त होता है तथा स्वरों का क्लिष्ट समूह या क्लिष्ट गायकी नहीं होती। एक साधारण मानव के द्वारा सहज ही लोक संगीत गाया जाता है।

प्रायः देखा गया है कि विवाह के अवसर पर घरों में महिलायें ढोलक पर बन्ना–बन्नी गाती हैं। नवरात्रि के अवसर पर प्रत्येक दिन किसी न किसी घर में ढोलक पर महिलायें देवी गीत गाती हैं। शादी–विवाह के विविध अवसरों पर महिलायें अलग–अलग तरह के गीत गाती हैं जैसे– कुँआ पूजने, फेरों के समय, विदाई के समय विविध गीत गाती हैं। पारम्परिक रीति–रिवाजों, क्रिया कलापों को करते हुये गाते बजाते शादी–विवाह, तीज–त्यौहार सम्पन्न किये जाते हैं। वर, वधू पक्ष को छेड़ते हुये कभी–कभी समधी–समझन और अनेक रिश्ते–नातों का उल्लेख करते हुये हँसी–ठिठोली के साथ लोक गीत गाये जाते हैं। ''जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पर गीत नहीं मिलते हों। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन और धार्मिक जीवन सभी कुछ गीतों के परिवेश में सामाविष्ट है। प्रदेश में कोई संस्कार पुरोहित से कराये बिना भले ही रह जायें, लेकिन लोकगीत गाए बिना नहीं रह सकता। जन्म हो या मरण सभी 16 संस्कार लोक गीतों के बिना अधूरे हैं। इन संस्कारों में कई–कई दिनों तक उत्सव मनाये जाते हैं और अनेक प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जैसे वैवाहिक आयोजन में सगाई, बधावा, चाक भात, रात–जगा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथोवा, कंवर कलेवा, जिमणवार, काकण्डोरा आदि। विवाह पूर्व दूल्हा–दुल्हन की प्रेमाकांक्षा बन्ना–बन्नी के गीतों में मिलती है।''[2]

कुछ बन्ना–बन्नी गीत के बोल इस प्रकार हैं–

1. लाल मोती मारो रे बन्नी को
2. बन्ना बुलाये बन्नी नहीं आये, चली आओं धीरे रे
3. कोकाकोला बन्नी का मन डोला

लोक संगीत में स्वर की अपेक्षा लय का अधिक प्रभाव होता है। प्रायः लोक संगीत एकल की अपेक्षा समूह में अधिक गाया जाता है इसका सामूहिक गायन–वादन श्रोताओं के बीच हर्ष एवम् उत्साह का संचार करता है। उत्तर भारत में प्रयुत होने वाले लोक संगीत में ढोलक, झांझ, कठताल, खंजरी इत्यादि का अत्यधिक प्रयोग होता है। ''लोक–गीतों में ढोलक पर केवल लय व सरल ताल दिखलाना ही पर्याप्त होता है, यद्यपि यह कार्य भी अत्यन्त प्रभावशाली और रोचक ढंग से सम्पादित होता है। लोक–गीतों में अधिकतर कहरवा, दादरा, खेमटा और दीपचन्दी (चाँचर) तालों का प्रयोग मिलता है। शास्त्रीय संगीतज्ञ भी जानते हैं कि इन तालों के विभागों और ताली–खाली आदि से जो 'वजन' अथवा 'लय की चाल' निर्मित होती है, वह कितनी सरल, सुग्राह्य

और आकर्षक होती है।''[3] यह देखा गया है कि अधिकांश लोकगीतों में किसी न किसी ऋतु अथवा त्योहार का वर्णन होता है सावन के आने की अभिव्यक्ति है कजली। इसमें स्त्रियाँ वर्षा ऋतु का उल्लेख करते हुये श्रृंगार के गीतों का गायन करती हैं।

यद्यपि लोक संगीत की धुन सरल होती है तथापि कभी–कभी लोक गायक अपनी गायकी में अनायास ही खटका, मुर्की, मीड़ इत्यादि का ऐसे प्रयोग कर जाते हैं जो शास्त्रीय संगीतज्ञ यथेष्ट प्रयत्न के उपरान्त कर पाते हैं।

कजरी : हिन्दी भाषा के लोग गीतों में कजरी का सर्वप्रमुख स्थान है कजरी मुख्यतः सावन के मौसम में गाया जाने वाला गीत प्रकार है यह एक ऋतु गीत है। कजरी बाग बगीचों, सड़क, मेला, गोष्ठियों, सांगीतिक सम्मेलनों इत्यादि में गायी जाती है। उत्तर भारत में भादों मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी अथवा कजरी व्रत नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियाँ नये वस्त्र तथा आभूषण धारण करती हैं तथा कज्जली देवी की पूजा करती हैं। स्त्रियों के इस त्योहार में स्त्रियाँ रात्रि जागरण करते हुये श्रृंगार रस प्रधान गीतों का गायन करती हैं। पेड़ों पर झूला झूलते हुये श्रृंगार रस प्रधान गीतों का गायन करती हैं। पेड़ों पर झूला झूलते हुये राधा–कृष्ण विषयक श्रृंगार के गीत अधिक सुनने को मिलते हैं इसमें कभी संयोग तथा कभी वियोग श्रृंगार भी देखने को मिलता है। कजरी गायन के क्षेत्र में शास्त्रीय कलाकारों के अन्तर्गत सिद्धेश्वरी देवी, पं0 महादेव मिश्र, गिरिजा देवी, मुन्नीबाई, राधे रानी, बेगम अख्तर, शोभा मुर्टू इत्यादि के नाम लिये जा सकते हैं। मिर्जापुर की एक कजरी का उदाहरण इस प्रकार है।

''कैसे खेलै जैबू सावन मा कजरिया
बदरिया घेरि आयी ननदी।।
तू तो जात हो अकेली, केऊ संग ना सहेली
कत्तौ भूलि जैहो रहिया–डगरिया
बदरिया घिर आई ननदी।।''[4]
इसी प्रकार अवध की धुन पर एक कजरी इस प्रकार है–
अरे रामा सावन मास सुहावन
सब सखी गावै काजरी।।
झूला पड़ा कदम की डारी,
झूलै सब बृज की नारी, रामा।
अरे रामा गावै राग मल्हार
सो दै तारी रे हारी।।[5]

कजरी के दंगल भी होते हैं। इसमें कई अखाड़े होते हैं। हर अखाड़े का एक मुख्य गुरू (शायर) होता है। गंगा दशहरा से प्रारम्भ हुआ ये कजरी दंगल अनन्त चतुर्दशी को समाप्त होता है। इसमें आमने सामने दो मंच होते हैं। पहले अखाड़े से कजली गाई जाती है जिसका प्रत्युत्तर उसी छंद तथा तर्ज पर दूसरे अखाड़े वाले देते हैं तथा दूसरी कजली गाते हैं जिसका जवाब पहला वाला अखाड़ा देता है। जब तक मुख्य गायक जवाब सोचता है उसे सहगायक अथवा दल के अन्य सदस्य टेक की कड़ी को दुहराते रहते हैं।

कजली का विषय अत्यन्त व्यापक है। ऐतिहासिक लड़ाइयों पर, राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर, मिठाई–फलों के प्रकारों पर, विरह वर्णन, राधाकृष्ण की लीला, वर्षा ऋतु का वर्णन, कुश्ती के दाँव पेंच पर, स्वाधीनता की लड़ाई पर, देवी–देवताओं पर, कजली रची गई है। कजली का एक प्रकार ककहरा कजरी भी है जिसमें क से ज्ञ तक प्रत्येक अक्षर पर पक्तियाँ रची जाती हैं। ऐसी ही एक कजरी का उदाहरण जो कि गाँधी जी की मृत्यु पर रची गई इस प्रकार है :–

'' 'क' से कृष्णचन्द्र के छइयाँ
दुखवा हमहन के हरवइया।
स्वतंत्र भारत के करवइया
सो दिखलाते आज नहीं।
'ख' से खादी को अपनाए,
'ग' से गाँधी शान्ति पढ़ाए।
'घ' से घूम–घूम देश जगाएँ
'च' से चक्र सुदर्शन लाए।
रघुपति राघव के रटवइया,
सो दिखलाते आज नहीं।''[6]

सोहर : संतान के जन्म के समय सोहर गाने का चलन है ये अवध की एक प्रमुख लोकधुन है। इसमें स्त्रियाँ ढोलक पर एक साथ मिलकर जच्चा–बच्चा के गीत गाती हैं। यह बच्चे के जन्म, छट्ठी, बरही, सतमासा इत्यादि अवसरों पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। इसके मूल में आनन्द और उल्लास का भाव है। रामनवमी तथा कृष्ण जन्माष्टमी पर भी सोहर गाने का चलन है। पहले सोहर ढोलक के साथ गाये जाते थे किन्तु आजकल हारमोनियम तथा ढोलक के साथ इसका चलन है। एक सोहर इस प्रकार है :–

''गोकुला में जनमल कृष्ण कन्हैया, घरे–घरे बाजेला बधैया, ए सखिया।
केकर कोख जनमले कन्हैया, केकर बंस बढ़ौले, ए सखिया।
देवकी कोख जन्मले कन्हैया, नंद के बंस बढ़ौले, ए सखिया।
कौन नगरिया जनमले कन्हैया, कहवाँ ही बाजेला बधैया, ए सखिया।
मथुरा नगरिया जनमले कन्हैया, गोकुला में बाजेला बधैया, ए सखिया।
जसोमति गोदिया खेले कन्हैया, लेवत नन्द बलैया, ए सखिया।''[7]

डेढ़ताल : नामक लोकगीत की रचना अवधी भाषा में होती है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में प्रचलित है। अयोध्या में इसका प्रचलन अधिक देखने को मिलता है इसका मुख्य विषय भगवान श्री राम की लीला रहता है। इसमें चाँचर ताल तथा कहरवा ताल

का प्रयोग होता है। एक डेढ़ताल का बोल इस प्रकार है 'फगुआ के खेलन हारे, अरे मोरे गढ़िगे नयनवा मँझारे, जुगल नृपवारे'। डेढ़ताल को स्त्री–पुरूष मिलकर भी गाते हैं तथा सहगान के रूप में भी गाते हैं। इसमें झाँझ, मँजीरा, बाँसुरी, ढोल, ढफ, चिकारा इत्यादि बजाये जाते हैं।

महाराष्ट्र में मराठी भाषा में प्रचलित एक गीत प्रकार लावनी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में तथा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, दतिया इत्यादि में लावनी नामक एक गीत प्रकार प्रचलित रहा है। इसकी भाषा हिन्दी तथा उर्दू मिश्रित भी हुआ करती थी। लावनी के बारे में ऐसा समझा जाता है कि मंच पर प्रस्तुति के दौरान ही रची जाती है और यद्यपि दो पंक्तियाँ इसमें टेक के रूप में प्रयुक्त होती है। एक आदमी अथवा कई लोग मिलकर चंग नामक (ताल वाद्य) बजाकर लावनी गीत गाते हैं। प्रायः इसमें श्रृंगार रस तथा भक्ति रस का प्रयोग होता है। इसमें मुख्यतः कहरवा ताल प्रयुक्त होता है। कहरवा ताल में निबद्ध एक लावनी इस प्रकार है :–

''सखी, कैसी करूँ मै हाय! न कछु बस मेरो। बिन देखै सांवरौ, चन्द्र द्वगन में अँधेरो।।
सखी, ऐसौ सुन्दर नाहिं, मैं जब जग हेरौ। बाकी जो लिखै तसवीर, सो कौन चितेरौ।।
सखी, कठिन छैल कौ बिरह आन मोहे घेरौ। सगरी निसि तारे गिनतहि होत सबेरौ।।
सखी, जो तू मिलावै आज वो रूप उजेरौ। जौं लौं जीवौंगी, गुन न भूलौंगी तेरौ।।''[8]

चैती : उत्तर प्रदेश का प्रचलित लोकगीत है। इसे चैत मास में गाया जाता है। इसे पुरूष तथा महिलायें कभी समूह में तो कभी अकेले गाते हैं। चैती को चाँचर ताल में गाते हैं, इसे बाद में कहरवा ताल में ले जाते हैं। और फिर से चाँचर ताल औरे कहरवा में लाते हैं यही क्रम चलता रहता है। यह ठुमरी से मिलती जुलती गायकी है या यूँ कह लीजिये कि ये ठुमरी गायन शैली का प्रकार है। इसलिये शास्त्रीय गायक इसे अपनी कल्पनाशीलता से आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है वहाँ चैती को छांटों के नाम से जाना जाता है। ''चैती गीत अत्यधिक मधुर एवम् सरस होते हैं, इन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है – झल कुटिया तथा साधारण झल कुटिया। झल कुटिया चैती 'झाला' नामक एक विशेष प्रकार का वाद्ययंत्र बजाकर समूह के द्वारा गायी जाती है, परन्तु साधारण चैती व्यक्ति विशेष के द्वारा गाई जाती है। सामूहिक रूप से चैती गाते समय गायक दो दलों में विभक्त हो जाते हैं, पहला दल गीत की एक पंक्ति गाता है और दूसरा दल उसके पदों को जोर–जोर से गाता है। पहले दल की अपेक्षा दूसरे दल का स्वर अधिक तीव्र रहता है। जब गान उच्चतम सीमा पर पहुंचता है, तो आवेश के कारण दोनों दलों का कण्ठ स्वर तीव्र हो जाता है। झाला भी द्रुत गति से बजने लगता है।''[9]

चैती श्रृंगार रस प्रधान गायकी है। प्रायः यह पीलू, खमाज, सारंग, काफी, देस रागों में गाई जाती है। इसमें कभी–कभी दादरा और रूपक ताल का भी प्रयोग होता है। चैती कलाकारों में शोभा गुर्टू, गिरिजा देवी इत्यादि का नाम लिया जा सकता है।

अंत में हम यह कह सकते हैं कि लोकसंगीत के माध्यम से हम स्वयं को परम्पराओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये हमारी रीति रिवाजों और परम्पराओं का न केवल संरक्षण करते हैं वरन् इसे समृद्ध भी बनाते हैं। यदि लोक संगीत नहीं होंगे तो हम जिस आसानी से अपने रीति रिवाजों को जान पाते हैं उसका एक सहज माध्यम समाप्त हो जायेगा।

लोक संगीत में हृदय पक्ष प्रधान होता है। जनरूचि पर आधारित परिवर्तन को स्वयं में संजोये यह हमारे हृदय एवम् मन–मस्तिष्क में कहीं गहरे समाया हुआ है। इनके माध्यम से हम किसी भी कार्य को करते हुये थकान का अनुभव नहीं करते हैं। मन प्रसन्न होकर उमंग तथा उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। भाव प्रधान यह गायकी हमें अपनी जड़ों से जोड़े रहती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विविध प्रदेशों में प्रचलित वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित लोक गीतों को हम हेय दृष्टि से न देखते हुये, उसके महत्व को समझते हुये उसे समृद्ध बनायें।

सन्दर्भ :

1. यमन, अशोक कुमार, लोक संगीत, संगीत रत्नावली, अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़, पृ0स0 549
2. लाल–डॉ0 मोहन, लेख–कला और संस्कृति की धरोहर : राजस्थानी लोक संगीत, पत्रिका स्तोम 2024, (विशेषांक–2) पृ0 306
3. सक्सेना, महेश नारायण, लेख–लोक गीतों का संगीत पक्ष, पत्रिका संगीत (लोक संगीत अंक) जनवरी 1966
4. चतुर्वेदी, राधावल्लभ संकलनकर्ता, ऊँची अटरिया रंग भरी (लोकगीत संग्रह) उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ–1, पृ0 136
5. चतुर्वेदी, राधा वल्लभ (संकलनकर्ता), ऊँची अटरिया रंग भरी (लोकगीत संग्रह) उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ–1, पृ0 131
6. गर्ग, डॉ0 लक्ष्मी नारायण (संकलनकर्ता), लेख–लोक–संगीत की एक सुहावनी विधा : कजली, निबंध संगीत, पृष्ठ संख्या–100
7. देवी, विन्ध्यवासिनी, हमारे लोकगीत, मगही मैथिली भोजपुरी और वज्जिका, संगीत पत्रिका (लोक–संगीत अंक) जनवरी 1966 पृ0 133
8. तैलंग, आनन्द बिहारी, ब्रजक्षेत्रीय लोक–गीत, पत्रिका संगीत (लोक संगीत) अंक, जनवरी 1966, पृ0 191
9. यमन, अशोक कुमार, लोक संगीत, संगीत रत्नावली, अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़, पृ0 554

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, I2OR Impact Factor :7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 4-5

भारत में बेरोजगारी, युवाओं में असंतोष एवं आक्रोश : एक अध्ययन

डॉ0 कृष्ण कुमार सिंह धीरज*

* प्रो0, शिक्षाशास्त्र, माँ विन्ध्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पदमा, हजारीबाग, झारखण्ड

सारांश : आज के युग में यदि किसी देश की कोई विकट समस्या है तो वह है बेरोजगारी। आज विश्व के अनेक देशों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशो में भी नहीं है बल्कि सम्पन्न देश भी इस समस्या से अछूते नहीं है। विश्व की हर आकार प्रकार की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान रहती है। हालाँकि अर्थव्यवस्था के दशाओं के अनुरूप प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रवृत्ति भिन्न होती है। वर्तमान समय में भारत में इसका बड़ा भयंकर रूप है। कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को कार्य न मिल पाने की दशा, बेरोजगारी के रूप में परिभाषित की जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र हमारे प्रत्येक की रूचि और युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन, शिक्षित बेरोजगारी, मानवीय संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र, भूमण्डलीकरण आदि।

प्रस्तावना : भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर ही आश्रित है। ऐसे में वर्ष के उस समय में जब कृषि सम्बन्धित कोई कार्य नहीं रहता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी मौसमी प्रकार की होती है। वहीं शहरों में यह देखा जाता है कि बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर चुके लोगों को यह तो रोजगार नहीं मिलता या फिर उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इस प्रकार की बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है, जिसको लेकर युवा वर्ग में आक्रोश रहता है। भारत में अगर देखा जाए तो हर प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है, जो कि हम भारतीय के लिए चिन्ता का विषय है।

बेरोजगारी के मूल कारणों में सबसे बड़ा कारण भारत की विशाल जनसंख्या है। आजादी के बाद से ही भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही अतिरिक्त श्रम बल का दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था पर प्रतिवर्ष भार बढ़ता ही गया तथा बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती गयी। हम सभी जानते है कि परिवार नियोजन के कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रयासों के बाद भी भारत की जनसंख्या में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं देखने को मिली है और बेरोजगारी नियंत्रण के सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए है।

भारतीय अर्थव्यवस्था प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों की भरपूर उपस्थिति होने के बावजूद इनका समुचित दोहन न कर पाने के कारण अपेक्षित विकास नही कर पायी है। भारत में बेरोजगारी की समस्या का इतना विस्तार होने में यह पक्ष भी महत्वपूर्ण रहा है। ज्ञातव्य है कि भारतीय उद्योगों, नवीन रोजगारों के सृजन की गति अत्यन्त धीमी रही है। पूंजी का अभाव, तकनीकी पिछड़ापन, कच्चे माल की कमी आदि के कारण अविकसित रहा औद्योगिक क्षेत्र, बेरोजगारों को पर्याप्त सख्या में रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाया। भारतीय शिक्षा नीतियों में दूरदृष्टि के अभाव के कारण हमने रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही युवाओ को शिक्षित करके डिग्रियाँ देना जारी रखा। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी रही। युवाओं को रोजगार परख शिक्षा न दिये जाने के कारण डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भी युवा वर्ग व्यवहारिक रोजगार परक ज्ञान से अनभिज्ञ तथा बेरोजगार रहा। रोजगार प्रदान करने के लिए सरकारी नीतियों को लागू करने में ढील के चलते इन नीतियों के माध्यम से कभी भी अपेक्षित मात्रा में रोजगार उत्पन्न नहीं किये जा सके।

एम०एस० स्वामीनाथन के अनुसार, 'भूमण्डलीकरण से प्रभावित लोगों के लिए रोजगारविहीन विकास, आनंदविहिन विकास है। विकास और रोजगार के सम्बन्ध में स्वामीनाथन जी ने जो कहा वह भारतीय सन्दर्भ में आज भी प्रासंगिक है। बेरोजगार इस देश के अभिशाप है और इसके बने रहने तक यकीनन हमारा विकास आनंदविहीन और फीका है।

अंग्रेजी शासनकाल में कुटीर उद्योग धंधों का पूर्णतया हाल हो गया। इस प्रकार जो कृषक कृषि से अतिरिक्त समय में कुटीर उद्योगों में लगा जाता था, वह बेकार रहने लगा। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति एकड़ भूमि पर होने वाला कृषि उत्पादन आज भी बहुत कम है। इसका कारण वैज्ञानिक साधनों का अभाव अधिकांश किसानों द्वारा परम्परागत पद्धति से खेती करना है। हमारे यहाँ आज भी बहुत कम कृषक अच्छे बीजों, खादों एवं उन्नत उपकरणों की सुविधाओं को प्राप्त कर पाते हैं। इससे उत्पादन कम हो जाता है। भारत में कृषि उद्योग अव्यवस्थित एवं अत्तगठित होन के कारण कृषि का स्तर ऊचा नहीं हो पाता है। कृषि उद्योग संगठित न होने के कारण एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाता है। फलस्वरूप बहुत से व्यक्ति भले ही बेकार रहे लेकिन वे कृषि की जोखिम को उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस प्रवृत्ति ने लाखों ऐसे नययुवकों को बेरोजगार बना दिया है, जिनके माता–पिता के पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि है।

योजनाबद्ध आर्थिक विकास तथा बड़े–बड़े उद्योगों की स्थापना से स्वचालित यांत्रिककृत मशीनों को बढ़ावा मिला है। इन उद्योगों में अन वहन तकनीक का कम प्रयोग किया जाता है, तथा इन उद्योगों द्वारा अच्छी किस्म के वस्तुयें कम लागत पर उत्पन्न किया जाता है. जिससे लघु एवं कुटीर उद्योग लगातार कम हो रहे हैं। रुढ़िवादिता तथा पारिवारिक मोह के कारण भारतीय अमिकों में गतिशीलता का अभाय पाया जाता है, अगतिशीलता का दूसरा पहलू यह भिन्नता, घर ते दूरी की बाधा आदि के कारण अन्य जगहों पर कार्य कर में यह भी एक बाधा है। अतः पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में यह भी एक बाधा है।

स्वतंत्रता के उपरान्त देश में आर्थिक नियोजन अपनाया गया, जिससे अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के साथ–साथ बेरोजगारी दूर की जा सके। लेकिन देश में 13 पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के बाद भी बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि ही कई है, इसका मुख्य कारण त्रुटिपूर्ण नियोजन है। हम भारतीयों के लिए यह शुभ संकेत है कि महिलायें जीयन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों से कधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व बहुत कम महिलायें नौकरी करती थीं। हर क्षेत्र में महिलाओं के नौकरी करने के कारण भी पुरुषों में बेरोजगारी का अनुपात बढ़ा है। भारत में नये–नये अनेक उद्योग धंधे स्थापित हो

रहे है, लेकिन यहाँ की जनता में उसके कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है. जिसके कारण अधिकाश युवक बेरोजगार है।

औद्योगिक विकास भारत में अपेक्षाकृत धीमा रहा है. जिससे उद्योगों में रोजगार सृजन तीव्र गति नहीं हो पाया है, जबकि दूसरी ओर कृषि विकास की दर निरन्तर घटती जा रही है. इससे दोहरी मार पड़ रही है। क्योंकि कृषि विकास दर के धीमा पड़ने से कृषि क्षेत्र में लगे लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जहाँ बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार की समस्या को सदैव प्राथमिकता दी गयी है, वहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम लागू किये गये हैं। 1978–79 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना लायी गयी। जिसमें ग्रामीण निर्धनों को सब्सिडी एवं बैंक लोन के माध्यम से आर्थिक सहायता सुनिश्चित करायी गयी। 1979 ने 'जवाहर रोजगार योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन पर केन्द्रित थी। 1999 में 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' का नाम दिया गया। ऐसा नहीं की सरकार द्वारा देश ने बेरोजगारी दूर करने की पहल नहीं की गयी हो। सबसे महत्वूपर्ण पहल तो ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (NREGA) के रूप में वर्श 2005 में की गयी, जिसे 02 अक्टूबर 2009 को नया नाम 'महत्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) दिया गया। ऐसा पहली बार था जब भारतीय संसद में 100 दिनों का निश्चित रोजगार देने व ऐसा न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। आज इसी अधिनियम के तहत विभिन्न राज्यों की सरकारे अपने–अपने राज्यों में पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता दे रही है। जैसे– पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा आदि इसके अतिरिक्त 2011 में प्रारम्भ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना तो जुलाई 2015 में कौशल भारत अभियान का सूत्रपात किया गया। वहीं वर्ष 2014 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 35 वर्ष के युवकों के कौशल विकास और उनमें उत्पादक क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का श्रीगणेश किया गया। रोजगार की दृष्टि से वर्ष 2016 में सरकार द्वारा शुरू की गयी 'स्टार्ट अप इण्डिया'' एवं ''स्टैण्ड अप इण्डिया' अत्याधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इनमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है।

बेरोजगारी की समस्या बढ़ने के फलस्वरूप अनेक प्रकार की समस्यायें पैदा हुई है। समाज व अर्थव्यवस्था पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते दिख रहे है। इस समस्या में अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की कमी और कार्य करने योग्य युवाओं के मनोबल में भी कमी लाने का कार्य किया है। बेरोजगार व्यक्तियों के गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट पहुंचाने का खतरा बना रहता है। वहीं रोजगार न मिलने पर कुछ भी कार्य करने की विवशता के चलते लोग शोषण का भी शिकार हो जाते हैं तथा बेरोजगारी बढ़ने पर युवाओं ने सरकारी नीतियों के प्रति आक्रोश उपजने लगता है। यह आक्रोश आगे चलकर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संघर्षों को जन्म देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेरोजगारी ने देश में अनेक प्रकार की विसंगतियों व विद्रूपताओ को जन्म दिया है। ''बरोजगारी बढ़ने से देश ने अनेक प्रकार की समस्यायें पैदा हुई है, युवा तनाव एवं युवा असंतोष बढ़ा है. जो हिंसा और अराजकता के रूप में आये दिन सामन आ रहा है। बेरोजगारी से परेशान युवकों को आत्महत्या तक करते देखा जा रहा है।''

भारत युवा श्रम बल धारण करने बाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। यदि हमारे देश के युवाओं के कौशल को विकसित कर उनकी उर्जा को अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्र के विकास में योगदान करने वाले अन्ना क्षेत्रों में लगाया जाए तो देश एक सम्पूर्ण महाशक्ति बनने का लक्ष्य अधिक तीव्रता से प्राप्त कर लेगा। आज आवश्यकता केवल इस युवा उर्जा के कुशल उपयोग की है।

निष्कर्ष : निष्कर्ष के तौर पर कहना समिचिन होगा कि विश्व के सारे देशों में यह समस्या सुरशा की तरह फन फैलाये हुए है। भारत के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो भी युक्तियाँ के प्रभाव से इस पर नियंत्रण पाने का सार्थक प्रयास करना होगा। रोजगार के अधिक से अधिक ढूंढना होगा, तथा तीसरा रोजगारपरक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना होगा। तभी हम असंतोष और आक्रोश को नियंत्रण कर पाने में सफल होंगे।

सन्दर्भ :

1. पीगू, प्रो0 ए0सी0, 1934, द थ्यूरी ऑफ एनइम्प्लॉयनेट,युर्निवसिटी आफ आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, पृ0 17
2. फेयरचाइल्ड, एच0पी0, 1994, डिक्शनरी ऑफ साशियोलॉजी, फिलास्फीकल लाइब्रेरी, न्यूयार्क, पृ0 327
3. मदान, जी०आर०, 1966, इण्डियन सोशल प्रोब्लेम्स, एलाइड पब्लि0, लखनऊ, पृ0 226
4. शिक्षकों की भूमिका तथा जिम्मेदारी, 1981, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
5. नेशनल सैम्पल सर्व रिपोर्ट इण्डिया, 1991, कोटेड इन इण्डिया, पृ0 200
6. उच्च शिक्षा में गिरावट, 1995, मनोरमा ईयर बुक, पृ0 18–19

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : **IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 6-8

19वीं सदी में बिहार में आदिवासी प्रतिरोधों की साहित्यिक अनुगूँजे : संथाल 'हूल' के विशेष संदर्भ में

डॉ0 स्नेहा पाण्डेय *

*असि0 प्रो0, इतिहास विभाग, चम्पा देवी महाविद्यालय, महाराजगंज, सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, उ0प्र0

सारांश : इतिहास इस तथ्य का साक्षी रहा है कि भारत के प्रत्येक भाग में विदेशी सत्ता के विरूद्ध अपनी अस्मिता के लिए तत्कालीन केंद्रीय ही नहीं वरन आम–जन के स्थानीय प्रतिरोध भी हुए। आधुनिक काल में इसकी पुनरावृत्ति बिटिश सत्ता के विरूद्ध देखी जा सकती है। बिहार सदैव अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करता रहा है और वहां प्रारंभ से ही बिटिश सत्ता के विरूद्ध विभिन्न नागरिक और आदिवासी प्रतिरोधों की एक श्रृंखला देखी जा सकती है। वस्तुतः स्थानीय प्रतिरोधों को जानने का एक सशक्त माध्यम साहित्य है क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि जहां ऐतिहासिक तथ्य मौन हो जाय वहाँ साहित्य ही सहारा देता है प्रस्तुत शोध पत्र बिहार में औपनिवेशिक सत्ता के विरूद्ध एक महान आदिवासी प्रतिरोध जिसे संथाल ''हूल'' के नाम से जाना जाता है उसका साहित्य विशेषकर उपन्यासों के माध्यम से विस्तृत अनुशीलन करने का एक प्रयास है। प्रस्तुत शोध–पत्र में इन्हीं संदर्भों की पहचान और उनका विवेचन प्रस्तुत है। प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह शोध–पत्र निश्चित ही पूर्व शोध–पत्र की पूरक और नये लोगों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

मुख्य शब्द : औपनिवेशिक सत्ता, आदिवासी प्रतिरोध, संथाल, मुक्तिकामी संघर्ष, ईस्ट इंडिया कम्पनी आदि।

प्रस्तावना : इतिहास की आँख सत्ता द्वारा समर्पित आंकड़ों, सत्ता द्वारा प्रायोजित तथ्यों एवं सत्ता के प्रति निष्ठा की नीम रोशनी में समय को देखती है जबकि साहित्य की आँख आम–जन के जीवन–मरण के प्रश्नों तथा संवेदनाओं में समय को देखती है। साहित्य का विवेक ही यह समझ सकता है। साहित्य, इतिहास का एक ऐसा स्रोत है जिसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता भले ही संदिग्घ हो, उसमें एक भावनात्मक प्रमाणिकता होती है तथा स्थानीय जन की संवेदनाओं को देखा जा सकता है। साहित्य में वो सूक्ष्म तत्व मौजूद होते हैं जो अन्य दस्तावेज में नहीं मिलते। अर्थात् जहाँ इतिहास मौन हो जाता है वहाँ साहित्य ही अपनी भूमिका निभाता है और वह पूर्वाग्रह रहित होता है।

बिहार के आदिवासी प्रतिरोध की औपन्यासिक अभिव्यक्ति ही वहाँ के आदिवासी संघर्ष को एक नया आयाम देती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मधुकर सिंह का उपन्यास बाजत अनहद ढोल, रोकश कुमार सिंह का जो इतिहास में नहीं है और 'हूल' पहाड़िया जैसे उपन्यासों की चर्चा एक ऐतिहासिक पूनर्मूल्यांकन हेतु प्रेरणा देती है। इसमें प्रथम दो उपन्यास संथाल विद्रोह के सम्बन्ध में है तो हूल पहाड़िया विद्रोह की प्रतिशोध की प्राकृतिक व सजीव अभिव्यक्ति है। इन उपन्यासों का ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन करने से प्रतीत होता है जिनके प्रतिरोधों का इतिहास इनके बिना अधुरा है। हूल पहाड़िया राकेश कुमार सिंह द्वारा रचित पहाड़िया विद्रोह की चर्चा करता है जो 1984 ई0 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिहार के आदिवासियों का पहला संघर्ष था। इसमें वर्णित है कि किस प्रकार के जंगल के अपने पारम्परिक अधिकारों के लिए लड़े मरे थे तिलका माँझी, दुखन व विष्णु मानकी। संथाल हूल की औपन्यासिक अभिव्यक्ति यह है कि 'उनका विद्रोह अपनी अस्मिता, स्वायतता और संस्कृति के लिए सिद्धु कानु नामक वन पुत्रों का मुक्तिकामी संघर्ष था।'

इतिहास में ऐतिहासिक तथ्यों की एक प्रकार की पुनर्रचना होती है और इसमें भी इतिहासकार की कल्पना का समावेश होता है। किन्तु दूसरी ओर उपन्यासकार अपनी ऐतिहासिक कल्पना के यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण से इतिहास की समग्रता से प्रस्तुती कर सकता है। फलतः ऐतिहासिक उपन्यास अकादमिक इतिहास से ज्यादा गहरे यथार्थ को समझने में सहायक हो सकते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र ऐतिहासिक यथार्थ को जानने हेतु उपन्यासों के अभिव्यक्ति का एक विस्तृत विश्लेषण करने का एक प्रयास है जिसके द्वारा औपनिवेशिक बिहार के महान आदिवासी प्रतिरोधी की वास्तविकता व मर्म को समझा जा सके। बिहार के संथाल आन्दोलन 'हूल' कोई विद्रोह मात्रा नहीं था वरन् अपनी अस्मिता, स्वायतता और संस्कृति के लिए वनपुत्रों का मुक्तिकामी संघर्ष था। संतानों की यह क्रान्ति अंग्रेजों को भारत से भगाने की प्रथम जनक्रांति थी और इस व्यापक जनक्रांति में नेतृत्व भले संथालों ने किया था परन्तु सक्रिय भूमिका समस्त वनवासी जातियों–गोत्रों के साथ–साथ गैर आदिवासी समाज ने भी निभायी थी। अंग्रेजों की सत्ता को तीरों पर तौलने वाले वनचरों ने निर्णायक न सही, परन्तु अनेक अवसरों पर अंग्रेजों को करारी मात भी दी थी।

'बाजत अनहद ढोल[1] मधुकर सिंह द्वारा रचित एक चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास की कथावस्तु झारखण्ड के संथाल 'हूल' पर आधारित हैं। यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। यह अंग्रेज सरकार की शोषण नीति के खिलाफ लड़ा गया एक सशक्त विद्रोह था, जिसमें बहुत संख्या में संथाल आदिवासी तथा अन्य जनजाति के लोग शामिल हुए थे। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिदो, कान्हु, चाँद, भैरव थे। सिदो ने 1855 में अपने गाँव भागनाडीह में अपने तीन भाईयों के साथ विद्रोह शुरू किया था। महाजनी शोषण, सरकारी भ्रष्टाचार, पुलिस के अत्याचार, जमीन्दारों की बेगारी विद्रोह का प्रमुख कारण था। इन सभी कारणों को दृष्टि में रख कर अपने समाज तथा संस्कृति को बचाने के लिए 1855 में राजमहल की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह की शुरूआत हुई थी। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की शोषण नीति का विरोध करना। इसके बारे में उपन्यासकार कहते हैं कि 'सरकारी आदेश नहीं माने जायेंगे, लगान नहीं दी जाएगी, नील खेती नहीं होगी, 'दामन–ए–कोह क्षेत्र में अपनी सरकार बनेगी और यह कि अंग्रेजों को मार भगाना है।' देखा जाए तो यह विद्रोह भारतीय स्वाधीनता संग्राम का नींव है जो आगे चलकर स्वाधीनता संग्राम में मिल गया। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासियों की महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो इतिहास में नहीं है।[2]

राकेश कुमार सिंह द्वारा रचित एक चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास की कथावस्तु भी झारखण्ड के संथाल हूल पर आधारित है जो 'बाजत अनहद ढोल' उपन्यास का विस्तृत रूप है। संथाल हूल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का प्रथम सशक्त विद्रोह था, जिसमें हजार–हजार संख्या में आदिवासी तथा गैर–आदिवासी शामिल हुए थे। इसके प्रमुख नेता सिदो, कानू, चाँद, भैरव थे। इन चारो भाईयों के नेतृत्व में 1855 ई0 में अंग्रेज सरकार की शोषण नीति के खिलाफ विद्रोह किया गया था। यह

विद्रोह केवल आदिवासियों का ही नहीं बल्कि समाज के लोगों का भी था जो अंग्रेज की शोषण नीति के शिकार थे। अपने अस्तित्व, अस्मिता, संस्कृति को बचाने के लिए यह एक प्रमुख जन आन्दोलन था। जिसकी अंग्रेज सरकार ने अपने आधुनिक अस्त्र–शस्त्रों के माध्यम से कुचल दिया था। जिसमें सिदो, कानू समेत हजारों आदिवासी शहीद हुए थे। इस घटना का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता। इसी को दृष्टि में रख कर उपन्यासकार ने इतिहास की उपेक्षित घटनाओं को कथा का आधार बनाया है। उपन्यासकार ने लम्बे समय के शोध तथा परीक्षा–निरीक्षण के पश्चात् घटनाओं को एक क्रम में रखने का प्रयास किया है, इसमें इन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया है कि यह स्वाधीनता संग्राम की पूर्वपीठिका है।

जो इतिहास में नहीं है, उपन्यास में उपन्यासकार ने शोषण के विविध आयामों तथा उनके प्रतिरोध में उठती चिन्गारियों और उस दौर के संथाल समाज की हलचलों का सजीव चित्रण किया है। राजमहल क्षेत्र के संथाल नायकों की 'अबुआ राज' के सपने को साकार करने का सफल प्रयास को दिखाया गया है। साथ ही अंग्रेज सरकार के 'फूट डालो राज करो' नीति और आदिवासियों को अमानवीय रूप से कुचलने का सजीव चित्रण किया है। अंग्रेज सरकार ने स्थानीय जमीन्दारों के माध्ये से आदिवासियों से ज्यादा–से–ज्यादा लगान वसूलती थी। जमीन्दार आदिवासियों को अपनी बेगार बना के रखते थे। उपन्यास के एक पात्र हरिल मुरमू हैं जो राजा गोमके की बेगार बनकर अत्याचार सहता रहता है। उसके बाद उसका बेटा राजा का बेगार बनता है। अर्थात यह एक प्रथा के रूप में प्रचलित थी। यह केवल हरिल मुरमू की व्यथा नहीं है बल्कि पूरे आदिवासी समाज की व्यथा है। जो भी उनका विरोध करता है उसको और कठोर दण्ड दिया जाता है। उसे उपन्यासकार ने भौंरा भगत नामक एक पात्र के माध्यम से दिखाया है। राम मुण्डा स्थानीय जमीन्दार, महाजन, पुलिस आदि लोगों का विरोध कर रहा था। जमीन्दार राजा गोमके ने उसे कठोर दण्ड दिया है – ''दहाड़ता भौंरे भगत राम मुण्डा को मारता रहा। आँख, कान, नाक, मुँह .... देह का हर छिद्र से रक्त फूटने तक ....। राम मुण्डा अचेत होने लगा था। इन्द्रिय पर नियंत्रण खोते राम मुण्डा के मल–मूत्र की दूर्गन्ध से नाक फटने लगे तभी भौरो भगत के हाथ रूके थे।'' इस तरह से सत्ताधारी लोग आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। इन सारी अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आदिवासियों ने मिलकर विद्रोह किया था। इस उपन्यास में वर्णित आध्यात्मिक अभिव्यक्ति अवसरवाद की चर्चा भी मिलती है जिसका उल्लेख विनय भूषण चौधरी भी 'द इन्टरनेशनल संथाल इर्मजेन्सी, द हूल ऑफ 1855' में करते हैं।[3] यथा कोई कहता, सिदो जंगल में था जब बादलों के रूप धरे भगवान माराडबुरू धरती पर उतरे। किसी ने बताया, आग लपट के रूप में धरती पर प्रकट हुए देवता। देवता मूँह खोलता था तो जीभ से आग की धार बरसती थी। तीसरी कथा अलग होगी। मैदान में चलते सिदो से भगवान मिले परछाई बनकर। परछाई ...... जिसकी देह नहीं थी। किसी ने बताया, मैदान पार करते सिदो के सामने अचानक धरती फाड़ कर उग आया पहाड़। पहाड़ नहीं ..... भगवान माराडबुरू .....। कोई कहता, नदी के समतल रेत पर अचानक शाल का वृक्ष बनकर उगा था माराडबुरू...... ।[4]

हर कथा का निष्कर्ष यही था कि भगवान ने सिदो–कान्हू को दर्शन दिए। जंगल के ललमूँहों और साहूकारों को मार भगाने की प्रेरणा दी। विद्रोह .... विद्रोह .... विद्रोह ..। जमीन्दारी का विद्रोह। जमीन्दारी शोषण का विद्रोह। महाजनी व्यवस्था का विद्रोह। साहूकार के जानलेवा ब्याज से विद्रोह। कम्पनी सरकार की अन्धाधुन्ध दूहने वाली कर–व्यवस्था से विद्रोह .... ।[5]

पंडित, दमित, शोषित, भयभीत और पशुवत सन्तप झेलते प्रताड़ित आदिवासियों का चेहरा सपाट और भावहीन भले दिखता था परन्तु सिदो ने पढ़ ली थी वनवासियों की रक्त छलकती आँखों की भाषा। भिंचे जबड़ों की भाषा। समझ चुका था कि वह युवा संथाल की आदिवासी की फूलती–चिपकती मांसपेशियों की तह में ताप उठ रहा था। कलेजे में सब कुछ जलाकर क्षार–क्षार कर सकने योग्य आग झुलस रही थी। सिदो ने इसी आग को मशाल में बदलने की ठानी थी। विश्वस्त साथियों को एकजूट किया था सिदो ने। अपने सपनों के बारे में बताया था। ईश्वर के साक्षात् दर्शन के बारे में बताया था और फिर गाँव–गाँव घुमायी जाने लगी थी तीन परतों वाली सखुए की डाली। सिदो की ओर से भगनाडीह आने का न्योता।[6] दूर–दूर तक पहुँची थी सखुए की शाखा। एक कूट संदेश। गुप्त सभाएँ करने का संकेत। हूल का निमंत्रण।[7] सरकारी अमला था जमीन्दार–रजवाड़े सिदो के आन्दोलन को 'दामिन–ए–कोह' के आदिवासियों की आजादी की लड़ाई मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि लड़ाई स्वीकार करते ही उनकी अक्षमता प्रमाणित होती। विफल जमीन्दार अपने रैयतों पर राज करने से अयोग्य सिद्ध होते। मुट्ठी भर उँगलियों के क्षेत्रीय उपद्रव को दमित कर पाने में अक्षम सिद्ध होते ही सरकारी अमले की सरकारी सुविधाएँ छिन जाती और जमीन्दारी के पट्टे छिन जाते। आदिवासी विद्रोहों का दमन भी अंग्रेज सैनिक एक प्रकार से इंग्लैण्ड की शक्ति तथा उसके मान–सम्मान में अक्षुण्ण रखने हेतु करते रहे थे। अम्बर परगना का पतन मात्र कम्पनी सरकार की पराजय नहीं, वरन् सर्वशक्तिमान इंग्लिशतानी संसद द्वारा सम्पोषित एक संस्था की पराजय की भाँति होता। 'हूल' यदि कम्पनी सरकार के विरूद्ध था तो पकारान्तर से विदेशी सत्ता के विरूद्ध भी था। अम्बर परगना की सुरक्षा हेतु व्यर्थ ही चिन्तित नहीं था मॉर्टिला। यह पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ जाति को नंगे, नाटे, काले, भूखे, अनपढ़ और जंगली लोगों की चुनौती थी जिसे समाप्त करने को कटिबद्ध हो चुके थे अंग्रेज अधिकारी। इस प्रकार इंग्लिशतान की ईस्ट इंडिया कम्पनी के अत्याचार, शोषण और दमन से त्रस्त झारखण्ड के आदिवासियों ने संगठित आन्दोलन छेड़ा ..... हूल .....।[8] कृषक संथाल सिदो, कान्हू, चाँद और भैरव मुरमू ने हल मुठिया छोड़कर तलवारें उठायीं। संथाली नेतृत्व में आदिवासियों ने कम्पनी सरकार की शासन व्यवस्था, अर्थ–व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से विद्रोह कर दिया। 'संथाल हूल बर्बरतापूर्वक कुचल डाला गया परन्तु आग लग चुकी थी।

इस प्रकार भारतीय संवेदना, भारतीयता के दृष्टि से इस पर इतिहास लेखन की आवश्यकता तथा इसे स्थानीय साहित्य, उपन्यास व लोक कथाओं का सहारा लेने हेतु प्रेरित करती है। वस्तुतः औपन्यासिक अभिव्यक्ति भी ऐतिहासिक तथ्यों पर ही आधारित है। किन्तु इसमें एक बड़ा अन्तर यह है कि इसमें निगेटिव पूर्वाग्रह से त्रस्त न होकर विशुद्ध भारतीय दृष्टि के हैं जिनमें तत्कालीन जनमानस की संवेदना झलकती है।

सन्दर्भ :

1. सिंह, मधुकर, 2019, बाज अनहद ढोल, वाणी प्रकाशन, पृ0 95
2. राकेश कुमार सिंह, 2020, जो इतिहास में नहीं है, पृ0 4
3. चौधरी, विनय भूषण, 2011, 'द इन्टरप्रेटिंग्स संथाल इर्मजेन्सी–द हूल आफ 1855' 1995 इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 71वां सत्रा, मालदा, पृ0 44

4. सिंह, राकेश कुमार, पूर्वोक्त, पृ0 135
5. वही, पृ0 225
6. वही
7. वही, पृ0 351
8. वही

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 9-11

ग्राम–स्वराज्य की अवधारणा और महात्मा गाँधी के विचार

डॉ0 प्रवीण कुमार तिवारी*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास, ज्ञान स्मारक महिला महाविद्यालय, अलमापुर, अमरतल अम्बेडकरनगर, उ0प्र0

सारांश : वैश्वीकरण के इस दौर में गाँव से विलुप्त होते लोकतत्त्वों और ग्राम्यतत्त्वों की खोज करना और महात्मा गाँधी के दिये गये सिद्धांतों की प्रासंगिकता की पड़ताल करना, मेरे इस शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य है। भारत की आधी आबादी गाँव में निवास करती है ऐसे में उनका विकास किये बिना देश का सर्वागीण विकास असंभव है। ग्राम्य–स्वराज्य, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, राजभाषा हिंदी के प्रति सम्मान, स्वच्छता, मद्यनिषेध आदि गांधी जी के विचार देश के आंतरिक और वाह्य विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक है, वो इस शोध–आलेख में प्रस्तुत किया गया है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और संचार के साधनों की अतिशय वृद्धि होने के कारण अब गाँव, ग्लोबल–गाँव बनता जा रहा है, ऐसे में अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को बचाना अति आवश्यक हो गया है। अगर गाँधी जी के विचार और सिद्धांत को सही तरीके से अमल में लाया जाय तो इस समस्या से हमें मुक्ति मिल सकती है। महात्मा गाँधी जी के विचार आज के जीवन के लिए किस प्रकार से प्रासंगिक हैं, उसकी क्या उपयोगिता है? इन सब की पड़ताल करना मेरे इस शोध आलेख का मुख्य विकास है।

मुख्य शब्द : ग्राम्य–स्वाराज्य, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, ग्लोबल–गाँव, स्वराज, आत्मनिर्भर, स्वच्छता, आत्मसंयम, इंद्रिय–निग्रह, प्रार्थना, संगीत, राजभाषा, लोकभाषा, लोकतन्त्र, वैश्वीकरण, कुटीर उद्योग, आदर्श गाँव–स्वशासन, आत्मसंयम, व्यक्ति की स्वतंत्रता नैतिक, इंद्रिय निग्रह, मन की पवित्रता आदि।

प्रस्तावना : 'स्वराज्य' शब्द 'स्व' और 'राज' से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है–स्वशासन या अपना राज्य। वैसा राज्य जहाँ जनता का स्वामित्व हो, उस राज्य के सारे क्रियाकलाप पर आंशिक और प्रत्यक्ष रूप से जनता का अधिकार हो। स्वराज्य का संबंध गांधीजी स्वशासन, आत्मसंयम तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हैं। अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाना स्वराज का मुख्य लक्ष्य था। स्वराज को बढ़ावा देने के लिए वे जनता को स्वावलंबी, स्वदेशी वस्तु अपनाने तथा आत्मनिर्भर बनने की सलाह देते हैं। 'स्वराज' शब्द का प्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, आगे चलकर प्रयोग बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी करते हैं।

'ग्राम स्वराज' से तात्पर्य गाँव में खुद की शासन व्यवस्था लागू करने से है। गाँव को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने से है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय 'स्वराज' शब्द काफी प्रचलित था, गांधीजी भी इसका प्रथम प्रयोग स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चलाये जाने वाले आंदोलनों के लिए ही करते है। गांधीजी का मानना था कि अगर देश का विकास करना है तो गाँव का पहले विकास करना होगा। हम देश की आधी से ज्यादा आबादी को जाग्रत किए बिना आजादी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत्र 'भारतमाता' कविता में गाँव की दीन–हीन स्थिति, गरीबी, जहालत आदि का सजीव वर्णन प्रस्तुत करते हैं–

भारत माता
ग्रामवासिनी...
तीस कोटि संतान नग्न तन
अर्द्ध क्षुधित, शोषित, निरस्त्र जन
मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन नतमस्तक
तरु–तल निवासिनी।

महात्मा गांधी का मानना था कि अगर गाँव नष्ट हो जाए तो हिन्दुस्तान नष्ट हो जाएगा हम गाँव की सेवा करने से ही सच्चे स्वराज की स्थापना कर पायेंगे। गाँव उतने ही पुराने हैं, जितना कि भारत है, भारत की सच्ची आत्मा गाँव में निवास करती है। इनके ग्राम स्वराज का अर्थ– आत्मबल से परिपूर्णहोना है, आत्म निर्भरता से है, स्वयं के उपभोग के लिए स्वयं के उत्पादन से है। शिक्षा और आर्थिक संपन्नता को भी इसमें शामिल किया गया है। वे गाँव की सत्ता ग्रामीणों के हाथ में सौंपना चाहते थे। गांधी जी जिस ग्राम स्वराज का स्वप्न देखते हैं, उनके केंद्र में –स्वयं की सत्ता, स्वावलम्बी, अर्थ एवं प्रबंधन सत्ता, स्वच्छता, हृदय की शुद्धता, स्वतंत्रता आदि है। वे लिखते है–''मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा'' अर्थात् जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरुप हों।

गाँधी जी अपने आंदोलनों में किसानों, महिलाओं, अछूतों एवं ग्रामीणों को शामिल करते हैं,जो वर्षों से समाज में उपेक्षित रहे है। गांधी जी देश की प्रगति के लिए महिलाओं की सक्रियता जरूरी मानते हैं,क्योंकि अगर आधी आबादी जब निरक्षर, हासियें पर और मुख्यधारा से दूर रहेगी तब तक ग्राम स्वराज्य एवं देश की स्वतंत्रता का सपना देखना व्यर्थ है। इसके लिए वे सत्याग्रह का सहारा लेते हैं। अन्याय,शोषण, उत्पाड़न और शोषणतंत्रों के खिलाफ अपने आत्मबल का अहिंसात्मक प्रयोग करना सत्याग्रह है। बाहरी ताकत, सामाजिक रुढ़ियों और सामंती मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए गांधीजी सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। असहाय गरीब दिव्यांग, दलित, स्त्री आदि जो समाज को उपेक्षित समझे ज ाते थे, उनके उत्थान के लिए स्थापित आश्रम इस बात का प्रमाण है। वे लिखते हैं–''जब तक हम अपने यहाँ की स्त्रियों को माँ, बहन, बेटी, समझकर उनका आदर करना नहीं सीखेंगे, तब तक भारत का उद्धार नहीं होगा' ।[8]

गांधीजी ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, समाज से जातपात मिटा कर हर तबके के लोगों को मुख्यधारा में लाना चाहते थे। वे ग्रामीणों में स्व–चेतना के विकास के लिए नाटकशाला एवं सभाशाला भी खोलते हैं और मुनष्यों में स्व की चेतना जाग्रत करते हैं। 'हिंद–स्वराज' की कल्पना 'ग्राम–स्वराज' का पर्याय बन जाता है। वे लिखते हैं– ''ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है किवह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर निर्भर नहीं करेगा.... वह परस्पर सहयोग से काम लेगा... हर गाँव में अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला और सभाभवन

रहेगा। बुनियादी तालीम के आखिरी दर्जे तक शिक्षा सबके लिए लाजमी होगी। जातपात और क्रमागत अस्पृश्यता क जैसे भेद हमारे समाज में पाए जाते हैं वैसे इस ग्राम समाज में बिल्कुल नहीं होंगे।''।

गांधीजी की दृष्टि से ग्राम स्वराज में आर्थिक व्यवस्था ही आदर्श नहीं?, अपितु सामाजिक व्यवस्था का भी महत्व है। इसलिए वे सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। वे बताते है कि जब तक मनुष्य की सोच, चरित्र एवं कर्म शुद्ध नहीं हो जाए तब तक उसका सर्वागीण विकास संभव नहीं है। वह मद्यपान निषेध पर जोर देते हैं तथा समाज से जातिवाद, छुआछूत आदि को खत्म करना चाहते हैं। वे लिखते है–'यह बड़े दुख की बात है कि आज हमारे लिए धर्म का मतलब खानपान पर रोक–टोक तथा ऊंच–नीच के भेद के सि वा कुछ नहीं रह गया है, जन्म से ही और धर्म से ही कोई छोटा या बड़ा नही होता। एकमात्र चरित्र ही इ सकी कसौटी है। ईश्वर ने मनुष्य को बड़ा या छोटा नही बनाया है। कोई धर्म ग्रंथ जो किसी मनुष्य को उसके जन्म के कारण हीन अथवा छुआछूत करार देता है, हमारी श्रद्धा का पात्र नहीं हो सकता''।

गांधीजी आदर्श सिर्फ कोरे आदर्श पर नहीं बल्कि यथार्थ ओर व्यवहारिक धरातल पर टिका हुआ है। सत्य, अहिसा सत्याग्रह, सर्वोदय, ग्राम–स्वराज, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप आदि गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख स्रोत हैं। गांधीवाद में विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन नहीं मिलता है बल्कि स्वानुभूति की प्रधानता है, यही कारण है कि यह जनता के लिए खुला स्पेस प्रदान करता है। गांधीवाद आत्मसंयम और इंद्रिय–निग्रह पर जोर देता है। वह लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, जिसके केंद्र में मानवीय प्रेम और ह्रदय की शुद्धता शामिल है।वे लिखते है–''हमें साध्य के साथ–साथ साधन की पवित्रता काभी ध्यान रखना चाहिये।''

गांधीजी गाँव में बेरोजगारी का समाधान करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। गांधीजी चरखा, करघा, आत्मनिर्भरता, अन्य ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों का समर्थन करते हैं तथा विदेशी हुकूमत की औद्योगिक नीति का विरोध करते हैं। इसके पीछे बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, मानव श्रम शक्ति को प्रोत्साहित करना एवं मानवीय मूल्यों से युक्त जीवन दर्शन निहित था। वे लिखते हैं–''मैं यंत्रों का विरोधी नहीं , मैं तो उनके पागलपन का विरोधी हूँ। मानव के लिए उस यंत्र का क्या काम जिससे हजार–हजार व्यक्ति बेकार होकर, भूख से सड़कों पर मारे–मारे फिरे''। वर्तमान दौर में यह पंक्ति प्रसांगिक है, हमें इस समस्या का जल्द कोई ठोस समाधान ढूंढने की सख्त जरूरत है।

महात्मा गांधी 'आदर्शगाँव का निर्माण करना चाहते हैं। उनका कहना था कि गाँव में साफ–सफाई का उत्तम प्रबंध हो, घर ऐसा हो जिसमें पर्याप्त हवा एवं रोशनी आ सके, घरों में इतना जगह हो कि सब्जी उगाई जा सके, पशुओं को रखा जा सके। धार्मिक रीति–रिवाज निभाने के लिए सामूहिक बैठकशाला हो। इसके अलावा को–ऑपरेटिव डेयरी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल हो जहाँ औद्योगिक पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। वर्तमान में गाँव का निर्माण इसी आधार पर किया जा रहा है। सभी का कल्याण एवं बहुजनों के हित के लिए गांधीजी ने सर्वोदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत ऐसी नीति का समर्थन करता है, जिसका उदय जातपात, धर्म, संप्रदाय, स्त्री–पुरुष आदि के भेदभाव को मिटाकर समाज के सभी स्तरों पर कल्याण कार्य को बढ़ावा देना है।

'सर्वोदय' गांधीजी का एक सामाजिक आदर्श था। वे ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते है, जहाँ सभी जाति के लोग आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें और सब की उन्नति हो सके। सर्वोदय का विचार गांधीजी रस्किन की पुस्तक 'अनटू दिस लास्ट' पुस्तक से ग्रहण करते हैं। इंद्रिय निग्रह, नये समाज का निर्माण, सबकी उन्नति, विकेंद्रीकृत सत्ता, आर्थिक समानता, साधनों की पवित्रता, भूदान आदि सर्वोदय सिद्धांत की प्रमुख विशाताएं हैं। उनके इस विचार को बिनोवा भावे, जयप्रकाश नारायण और मार्टिन लूथर आगे बढ़ाते हैं। गांधी जी का कहना था कि पंचायती राज्य एक सच्चे लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वे मानते थे कि ग्राम स्वराज से लोगों के सशक्तिकरण और लोकतत्र में उनकी भागीदारी का इजाफा होगा, गाँव का समाज वर्गविहीन, स्वशासित होगा। प्रत्येक ग्राम समुदाय का प्रशासन पांच व्यक्तियों की पंचायत चलाएगी जो ग्राम–वासियों द्वारा संचालित होगा। ग्राम–पंचायत को विधायी कार्यकारी तथा न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। सत्ता का विकेंदीकरण होगा, प्रत्येक गांव स्वयं–सेवी रूप से संघ से संबंधित होगा। गांधी जी इसे वास्तविक स्वराज कहते हैं। व्यक्ति को पूर्ण क्षमता प्राप्त होगी। गांधीजी लिखते है–''सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव को प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है''। संविधान निर्माताओं ने आजादी के पश्चात अनुच्छेद–340 में गांधी के ग्राम स्वराज संबंधित अवधारणा और मत को शामिल किया है। आजादी के बाद बलवंत राय मेहता समिति (सन् 1957 में) की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गयी जिसमें गांव में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गयी, जिसका स्वप्न कभी गांधी जी ने देखा था।

'ट्रस्टीशिप' समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिपादित सिद्धांत था। जिसमें वे अमीर लोग से गरीबों की सहायता और असहाय लोगों की देखभाल और सेवा करने की अपील करते हैं। गांधीजी लिखते हैं– ''प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध है कि वह अपने आप को संपत्ति का स्वामी न समझ कर उसका न्यासी (ट्रस्टी) समझे और संपत्ति का उपभोग सार्वजनिक हित में करे''। एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि समाज में आर्थिक समानता लाना, भेदभाव मिटाना, गरीबी को दूर करना तथा करुणा दया, सेवा प्रेम आदि को बढ़ावा देना गांधीवादी मूल्य का मुख्य उद्देश्य है।

गांधीजी गाँव की तरक्की में बाधक तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अशिक्षा, गरीबी, जहालत, ग्रामीण जनजीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए बापू बुनियादी शिक्षा, स्त्री–शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा पर जोर देते हैं। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, यथार्थ एवं व्यावहारिक ज्ञान से है। उनकी शिक्षा का लक्ष्य खुद को उत्पादन करने योग्य बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। वे लिखते है–''शिक्षा से मेरा प्रयोजन यह है कि बालकों और प्रौढ़ों के शरीर, मन व आत्मा का सर्वागीण विकास किया जाए। मैं चाहता हूँ कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए।.... मैं चाहता हूँ कि बच्चे का शिक्षण उसे कोई उपयोगी हस्तकला सिखाने से शुरु हो''। गांधी जी का शिक्षा के विषय में दिया गया वक्तव्य नई शिक्षा नीति 2020 में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य सतत एवं समावेशी शिक्षा है।

स्वदेशी भाषा की उन्नति एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा काक दर्जा दिलाने के लिए बाबू अनवरत प्रयासरत रहे। राष्ट्रभाषा की महत्ता को समझते हुए उन्होंने कहा था–''राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है''। हिंदी की तरक्की, उन्नति और सर्वसुलभता से राष्ट्र की उन्नति आंकने वाले बापू हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए कई संस्थाओं की स्थापना करते हैं– जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, वर्धा आदि। जाहिर सी बात है कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना, राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं

है। आजादी के पचहत्तर साल बाद भी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, यह आश्चर्य का प्रश्न है। हिंदी के साथ–साथ वे देश में प्रचलित लोकभाषाओं को विलुप्त होने से बचाना चाहते थे, लोकभाषाओं की समृद्धि लोकजीवन की समृद्ध है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उनका अनवरत प्रयास भूला नहीं जा सकता। वे लिखते है–''सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए, वह तो हिंदी ही होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट होनी चाहिए।... हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है''।

अंततः यह कहा जा सकता है कि गांधी जी ने ग्राम स्वराज का जो स्वप्न अनेकों साल पहले देखा था, वह देश की भलाई एवं तरक्की के लिए बहुत जरूरी था। जब तक देश का विकास नहीं करेगा, समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। गांधीजी इस सूक्ष्मता को समझते थे, इस लिए वह पहले गाँव का विकास करना चाहते थे। शिक्षा, रोजगार सर्वोदय योजना, आदर्श ग्राम योजना, आत्म निर्भरता, स्त्री पुरुष समानता, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, युवाओं को जागृत करना, शिक्षा के साथ–साथ हुनर पर जोर देना, आत्मनिर्भरता आदि मत उनके ग्राम स्वराज की अवधारणा है। जिसे बाद में देश–हित में विकासवादी कार्यक्रम के रूप में शामिल भी किया गया। वर्तमान में उज्जवला योजना, ग्राम शक्ति अभियान, किसान कल्याण कार्यशाला, स्वच्छ–भारत एवं परिनिष्ठित रूप है। गांधीजी नकारात्मक स्वतंत्रता के विपरीत व्यक्ति की स्वतंत्रता, नैतिक, इंद्रिय निग्रह, मन की पवित्रता आत्मसंयम तथा सामाजिक अनिवार्यता पर बल देते हैं। मशीनीकरण एवं शहरीकरण के दौर में जब देश से गाँव विलुप्त हो रहे हैं, उस दौर में गांधीजी का 'ग्राम स्वराज' संबंधित मत प्रासंगिक हो जाता है। हमें जरुरत है इसे प्रसारित करने की तथा खुद में समाहित करने की। किसी ने सही लिखा है–

''सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में,
मगर आंगन दिखाने आज भी वह बच्चों को गाँव लाता है''।

सन्दर्भ :

1. गांधी, महात्मा, 1982, हिन्द स्वराज, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद
2. सेठी, जयदेव, 1979, गांधीजी की प्रासंगिकता, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
3. धवन, गोपीनाथ, 1963, सर्वोदय तत्व दर्शन, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
4. सुमन, रामनाथ, 1939, गांधीवाद की रूपरेखा, साधना सदन चेतागज, वाराणसी
5. भंडारी, चंद्रराज, 1959, गांधी–दर्शन, हिन्दी मंदिर, इंदौर
6. सिंह, रामजी, 1959, गांधीजी दर्शन, हिन्दी मंदिर, इंदौर
7. भावे, विनोवा, 2016, शिक्षण–विचार, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, सातवाँ संस्करण

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 12-14

भारतीय संस्कृति पर सोशल मीडिया का प्रभाव

डॉ0 पंकज वर्मा*
*असिस्टेंट प्रोफेसर, आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी०जी० कालेज, बभनान, गोण्डा, उ0प्र0

सारांश : सोशल मीडिया युवा वर्ग के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के साथ–साथ उनके जीवन शैली और विचारों को भी प्रभावित कर रहा है। परिणामस्वरूप सोशल मीडिया की उपयोगिता, महत्व एवं भूमिका निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं जिस तरह समाज में दो पहलू देखने को मिलते हैं– संगठनकारी एवं विघटनकारी उसी तरह से सोशल मीडिया में भी है। जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग एवं दुरूपयोग होगा ठीक उसी तरह से ही समाज में इसका प्रभाव एवं दुष्प्रभाव दिखाई पड़ेगा। जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया की रचनात्मकता में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ विध्वंशात्मक प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ है। आज के समय में इसका प्राथमिक उद्देश्य गौण और गौण उद्देश्य प्राथमिक दिखाई पड़ रहा है। इसने समस्याओं को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके कारण समाज का ताना–बाना बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। प्रस्तुत लेख में सोशल मीडिया के इन्हीं प्रभावों को विस्तारपूर्वक विवेचित एवं विश्लेषित किया गया है।

मुख्य शब्द : सांस्कृतिक मूल्य, इंडोवेस्टर्न (शब्द), जीवन–पद्धति, अन्तर–संस्कृति संचार, कामुकता, हिंसा का व्यवसायीकरण एवं माउस की संस्कृति आदि।

भारतीय संस्कृति विविधता में एकता की परिचायक मानी जाती है। वैश्विक धरातल पर यह प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। इसकी प्राचीनता हमारी जीवन–शैली में परिलक्षित होती है क्योंकि विश्व में भिन्न जीवन शैली ही भारतीय जीवन की सबसे अलग पहचान है। यह पहचान हमारा गौरव और गर्व है क्योंकि यह समय के साथ–साथ स्वयं को अनुकूलित करती हुई आयी है। यह समयानुसार अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों तथा जीवन शैलियों का निर्धारण भी करती आयी है। इसकी प्राचीनता, निरन्तरता, अनेकता में एकता, सार्वभौमिकता, आध्यात्मिकता और भौतिकता, पुरूषार्थ एवं आश्रम व्यवस्था इत्यादि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति की सम्पूर्ण विशेषताएं **'वसुधैव कुटुंबकम्'** की पवित्र भावना से प्रभावित मानी जाती है। भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों के समन्वय का यह अनोखा संगम है। इसलिए जीवन शैली के तमाम पहलुओं को इसमें आसानी से देखा जा सकता है। इसकी जीवन शैली मानव, प्रकृति और पर्यावरण के पारस्परिक, अटूट और समन्वयकारी सम्बन्धों में दिखायी पड़ती है। यह सम्बन्ध भारत के कण–कण में दृष्टिगोचर होता है।

लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि समाज परिवर्तनशील हैं। इसकी संस्कृति में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। मनुष्य भी परिवर्तनकारी है। इसका कारण नयी व्यवस्था का पुरानी व्यवस्थाओं के गर्भ से जन्म लेना है क्योंकि व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य को कुछ नए प्रयास करने होते हैं जिससे व्यक्ति समाज की बदलती हुई परिस्थिति में अपनी आवश्यकताओं एवं स्वयं के साथ अनुकूलन कर सके। यह परिवर्तन व बदलाव स्वमेव नहीं है अपितु इसके कुछ कारक हैं जिसमें नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत सोशल मीडिया को इसका एक प्रमुख कारक माना जा सकता है।

सोशल मीडिया का शाब्दिक अर्थ है कम्प्यूटर, मोबाइल और अन्य संचार के माध्यमों द्वारा इन्टरनेट पर जानकारी साझा करना।[1] सोशल मीडिया शिक्षा और जानकारी प्रदान करने का सशक्त माध्यम माना जाता है। माउस के एक क्लिक से ही एक ही प्लेटफार्म पर बहुत सारी जानकारी तत्काल उपलब्ध हो जाती है। हांलाकि सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से औपचारिक शिक्षण संस्थानों में गिरावट आ रही है। लोग सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं और यह एक लत बनती जा रही है। शोधकर्ताओं ने सोशल मीडिया से मिलने वाले आनन्द की तुलना सेक्स और स्वादिष्ट भोजन से की है, क्योंकि लोग लगातार आनलाइन रहते हैं। अब लोगों को सोशल मीडिया ही सब कुछ लगने लगा है। लोग सोशल मीडिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। लोग अपना बेहतरीन व मूल्यवान समय सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म बन गया है जहाँ लोग अपने विचार और राय साझा करते हैं और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। बस एक क्लिक से ही ढेर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है और लोग इसे पढ़ने में घंटो बिता देते हैं। नतीजतन उनके पास अन्य गतिविधियों के लिए कम समय होता है, जिससे अवसाद, चिंता और सोचने का दायरा सीमित हो जाता है।[2] वर्तमान समय में सोशल मीडिया की लत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से पारिवारिक मेलजोल में कमी आ रही है, क्योंकि सदस्य अब एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाते, यहाँ तक की साथ बैठकर भी नहीं । बच्चे जहाँ अपने बुजुर्गो से आदर्शात्मक कहानी व गीत सुनते थे उसके स्थान पर अब वे सोशल मीडिया पर समय दे रहे हैं। नतीजतन पूरी की पूरी पीढ़ी नए मूल्यों की तरफ बढ़ रही है और व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से दूर होता जा रहा है। अब उसके मूल्यों में अप्रत्याशित परिवर्तन और एक नया मूल्य सोशल मीडिया का जुड़ गया है। इसी को सामाजिक विज्ञानियों ने **'माउस की संस्कृति'** की संज्ञा दी है।

'इडोवेस्टर्न' शब्द का प्रभाव भारतीयों पर बखूबी देखा जा सकता है इंडोवेस्टर्न का अर्थ– पश्चिमी फैशन का भारतीय रूप अर्थात पश्चिमी और भारतीय का मिश्रण।[3] इस घटना ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया और लोगों का इसके प्रति जुननू उनकी परम्पराओं से बढ़ती दूरी में दृष्टिगोचर होता है। वे न तो पूरी तरह से भारतीय हैं और न ही पूरी तरह से पश्चिमी, यह स्थिति राबर्ट पार्क और स्टोनक्विस्ट की **'सीमांत व्यक्ति'** की अवधारणा के समान है। वे आधुनिक होने का दिखावा करते हैं लेकिन यह दिखावा **'दिखावे की संस्कृति'** बन गयी है।

सामाजिक परिवर्तन संस्कृति के अमूर्त पहलुओं से जुड़ा है जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन मूर्त और अमूर्त दोनों पहलुओं को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा है जो सामाजिक परिवर्तन को समाहित करती है। समाज के एक पहलू में कोई भी बदलाव स्वाभाविक रूप से अन्य क्षेत्रों में बदलाव की ओर ले जाता है, जिससे परम्पराओं का विघटन होता है और पीढ़ीगत संघर्षों को बढ़ावा मिलता है। बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है और आधुनिकता की निरन्तर खोज भारतीय समाज को नैतिक पतन की ओर ले जा रही है। ऐसी अंधी होड़ जिसका कोई छोर नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी नैतिक नींव और पहचान खो रहा है। समाज खोखला होता जा रहा है, क्योंकि परिवर्तन की नींव निराधार हो गई है।

समाज का पूरा ढांचा बदल रहा है और व्यक्ति सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूक रहा है, भले ही इसका मतलब उनके मूल्यों से समझौता करना हो।[4]

'अंतः सांस्कृतिक संचार' का अर्थ भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच होने वाले संचार से है। समाजशास्त्री इस बात से भी चिंतित हैं कि युवा पीढ़ी धार्मिक अनुष्ठानों, समारोहों और पारम्परिक प्रथाओं में रूचि खो रही है अर्थात् नई पीढ़ियों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसके बजाय वे पश्चिमी संस्कृति की ओर झुक रहे हैं। यह बदलाव भौतिकवाद में वृद्धि और आध्यात्मिकता और दर्शन में गिरावट की ओर ले जा रहा है। यह सोचना चिंताजनक है कि यह प्रवृत्ति अंततः कहाँ ले जायेगी। ऐसा समाज कहाँ जाकर रूकेगा यह चिंतनीय और विश्लेषण का विषय है।

लोगों के बीच भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर हो रहे हैं और स्वार्थ बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप समाज का नैतिक ताना–बाना बिगड़ रहा है और अतीत के प्रति लगाव की भावना कम हो जा रही है। आज बुजुर्गों को समाज के इतिहास का संरक्षक माना जाता है। हालांकि लोगों का उनके प्रति स्नेह भी कम होता जा रहा है। भविष्य में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ सकती है। बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभव जिन्होंने कभी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन किया था उनकी उपेक्षा की जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को हाशिए पर रखा गया है, जिन्हें केवल एक व्यक्ति तक सीमित कर दिया गया है। यह उपेक्षा कई सामाजिक विरासतों को निरर्थक बना देगी भले ही उनका समाज पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रभाव हो।

'लिंचिंग' और इसी तरह की सामाजिक समस्याएं पहले भी थी लेकिन सोशलमीडिया के दौर में वह बढ़ गई है।[5] सोशलमीडिया प्लेटफॉर्म हर छोटे–बड़े मुद्दे को आसानी से लोगों तक पहुंचा देता है जिसकी तुरन्त प्रतिक्रिया होती है। इससे छोटी–मोटी घटनाएं हिंसक संघर्ष में बदल सकती हैं जिन मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता था। वे अक्सर पूरी तरह से हिंसक घटनाओं में बदल जाते हैं। ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं और पूरे देश में उनकी प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इन घटनाओं से प्रभावित परिवार दहशत में रहते हैं। हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की कमी घटनाओं को बढ़ावा देती है। इसका कारण हमारे अनुभव व्यवहार को आकार देते हैं और मीडिया इस व्यवहार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। **'अल्बर्ट बंडुरा'** के **'सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धान्त'** के अनुसार हम जो नियमित रूप से देखते हैं उसकी नकल करते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें सोशलमीडिया पर हमें देखने और पढ़ने को मिलती है। सोशलमीडिया का उद्देश्य व्यापक दर्शकों तक पहुंचना है भले ही सामग्री सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। इससे हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है और 'हिंसा के व्यवसायीकरण' को बढ़ावा मिलता है। ऐसी प्रवृत्तियां सोशलमीडिया प्लेटफार्म, फिल्मों और अन्य संचार चैनलों के जरिए फैलती हैं जिसमें संवेदनहीनता और अपने कार्यों के परिणाम के प्रति विचार की कमी होती है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों को असंवेदनशील और उनके द्वारा किए जाने वाले नुकसान के प्रति अनभिज्ञ बनाती है। सोशलमीडिया हिंसक सामग्री को बढ़ावा और नफरत को प्रोत्साहित करता है।

लिंग प्रकृति में सामाजिक है। यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अन्तरों को दर्शाता है। स्त्रीत्व, पुरूषत्व की जिस चीज से पहचान होती है उसे कामुकता या लिंग भेद कहते हैं।[6] जिस तरह मातृत्व एक जैविकिय तथ्य है तथा पितृत्व एक सामाजिक परिकलन है। ठीक इसी तरह से लिंग भेद केवल जैविकिय बंटवारा ही नहीं बल्कि एक सामाजिक परिकलन भी है।[7] मीडिया समाज का दर्पण है। मीडिया ने समाज में स्त्री को एक कामुक वस्तु के रूप में दिखाया है। सोशल मीडिया द्वारा समाज में लोगों के मस्तिष्क में स्त्रियों की ऐसी छवि प्रस्तुत की है जिसके कारण स्त्रियों को समाज में तमाम कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह कामुकता स्त्री के आत्मविश्वास व आत्मसम्मान के लिए घातक है।[8] इसके कारण उनमें नकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है जिससे कम उम्र में ही उन्हें अवसाद के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। स्त्रियों को यौन सुख पूर्ति के साधन का उपकरण माना जाता है। कामुकता का बाजार सोशलमीडिया के माध्यम से तेजी से पैर पसार रहा है। इसके कारण 'मानव ट्रैफिकिंग' की समस्या पैर पसार रही है। जितनी तेजी से स्त्री का वस्तुकरण हो रहा है उतनी ही तेजी से उसका बाजारीकरण भी हो रहा है। यह बाजारीकरण लोगों की मानसिकता को किस छोर पर पहुंचायेगी इसका पता नहीं है। ऐसा अंधा बाजारीकरण समाज की दशा और दिशा दोनों को प्रभावित कर रहा है। जिससे समाज का ताना–बाना बिगड़ता ही जा रहा है। सोशलमीडिया के माध्यम से यह बहुत तेजी से पैर पसार रहा है।

सोशलमीडिया ज्ञान और सूचना का खजाना है। हांलाकि इसका अत्यधिक प्रयोग प्रभावों को दुष्प्रभावों में परिवर्तित कर सकता है। कोई भी माध्यम या उपकरण किसी को अनैतिकता नहीं सिखाता है फिर भी लोग अपनी सुविधानुसार अपने कार्य को सही और दूसरों के कार्यों को गलत ठहराने के लिए अनैतिकता का उपयोग करते हैं।[9] सोशलमीडिया क्लासरूम का विकल्प नहीं हो सकता चाहे उसमें ज्ञान और जानकारी का भंडार ही क्यों न हो। परन्तु लोग इस पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए यह मानते हैं कि इसके परे कोई दुनिया नहीं है। इसके द्वारा दी गयी जानकारी पूर्ण विश्वास योग्य मान लिया जाता है। जबकि दी गयी जानकारी किसी न किसी व्यक्ति द्वारा इस पर डाली जाती है। जो बॉयस भी हो सकती है। सोशलमीडिया व्यक्ति को व्यक्ति और परिवार से दूर रहने का ज्ञान नहीं देती है। परन्तु जब आप इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके पास अपने और अपने परिवार तथा मित्रों के लिए समय नहीं बचेगा। इसके कारण भी सोशलमीडिया को व्यक्ति का व्यक्ति से सम्बन्धों को खत्म करने वाला माना जाता है क्योंकि इसका दुष्प्रभाव इसके दुरूपयोग से ही उत्पन्न होता है। इसलिए सोशल मीडिया का विनियमन किया जाना जरूरी है। इसके साथ–साथ इसके वैकल्पिक विकल्प पर भी काम करने की जरूरत है ताकि भविष्य में इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

सोशल मीडिया हर व्यक्ति और समाज के लिए अनिवार्य आवश्यकता बनती जा रही है। जिसके शांतिपूर्ण और विघटनकारी दोनों परिणाम हो सकते हैं। यह शांति स्थापित कर सकता है, लेकिन अशांति और हिंसा भी फैला सकता है। सोशलमीडिया अफवाह फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं इससे शांति और शांति भंग होने दोनों की सम्भावना रहती है। यह शांति भी स्थापित करता है और अशांति तथा हिंसा को भी फैलाता है।

अफवाहें फैलाने में सोशल मीडिया का विशेष योगदान होता है। इसलिए सरकारें, शांति भंग और हिंसा होने पर इंटरनेट सेवाओं को पहले बंद करती है। ऐसी स्थितियों में व्यवस्था बहाल करना चुनौती पूर्ण हो जाता है और समाज को सामान्य स्थिति में लाने में बहुत समय लग जाता है।

सोशल मीडिया को रचनात्मक कार्यों को करने में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। समाज को बेतहतर बनाने और परिष्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जिससे हर व्यक्ति जीवन जी सके। खासकर महिलाओं और हिंसा से जुड़े मामलों में सोशलमीडिया की सकारात्मकता जरूरी है। सोशल मीडिया का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को जोड़ना और वैश्विक संचार स्थापित करना है। इस टैग लाइन का सही अर्थों में पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से जुड़ने, मनोरंजन प्रदान करने, समाचार और जानकारी साझा करने और कैरियर विकास का समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना स्वीकार्य है। हालांकि इससे इतर किया गया काम सामाजिक समरसता और ताने–बाने को बिगाड़ सकता है।

सन्दर्भ :

1. Osgerby, Bill, (2020), Youth Culture and the Media.Routledge: New York
2. नागौरी, डॉ0 मोनिका, (2003), जनसंचार एवं समाज, अंकुर प्रकाशन, उदयपुर, राजस्थान
3. https://egyankosh.ac.in
4. https://www.tis.edu.in/blog/positive-and-negative-impact-of-social-media-on-education
5. m-hindi.webdunia.com
6. Bhasin, Kamla, (2003), Understanding Gender, New Delhi : WomenUnlimited
7. Butler, Judith, (1990), Gender Trouble, New York, London: Routledge
8. Bhasin, Kamla, (1993), what is patriarchy? New Delhi : Kali for Women
9. Banaji, Shakuntala, (2017), Children and media in India. Routledge, NewYork.

4)
Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : **IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 15-16

समाज सुधार में महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान (1827–1890)

अरविन्द कुमार*
*शोधकर्ता, शिक्षा संकाय, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर, उ0प्र0
डॉ0 अनुभा शुक्ला**
**असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था से एक नया शिक्षित वर्ग पैदा हुआ, जिसमें से कुछ लोगों ने भारतीय समाज की कुरीतियों पर ध्यान दिया. महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाजनीति, राजनीति, अर्थनीति, धर्मनीति, शिक्षा, स्त्री–पुरुष समानता, सामाजिक न्याय और अन्य क्षेत्रों में अपने विचार और नए मूल्य स्थापित किए। यह शोध–पत्र निश्चित ही पूर्व पुस्तकों की पूरक और नये लोगों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। प्रस्तुत शोध पत्र में विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसकी प्रकृति मात्रात्मक है।

मुख्य शब्द : नई शिक्षा व्यवस्था, मानवतावाद, समाज व्यवस्था, जातिगत बंधन, वर्ण–व्यवस्था, जाति–प्रथा आदि।

प्रस्तावना : महात्मा ज्योतिबा फुले आज के भारत में दलितों और महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था और मजदूरों, किसानों और समाज के कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए चलाए गए सशक्त आंदोलन आज के लोगों में मानवतावाद का प्रेरक हैं। जातिगत बंधन, जो अक्सर जन्म के आधार पर थोपा जाता था, सदियों से भारतीय समाज का सबसे बदनाम हिस्सा है। 1827 में पूना (महाराष्ट्र) में माता चिमना बाई और पिता गोविन्द राव जी के घर इस जातीय अभेद किले की दीवारों को तोड़ने का कार्य करने वाले व्यक्ति का जन्म हुआ। ज्योतिबा फुले की माता का देहान्त एक वर्ष की उम्र में हुआ था।[1] ज्योतिबा फुले ने बचपन से ही अपनी अद्भुत बुद्धि से प्रभावित होकर अपने पुत्र को स्कूल में दाखिला दिलाने का विचार करने लगे. हालांकि, गोविन्द राव फुले ने अपने पुत्र को पढ़ाने का साहस दिखलाया जब शिक्षा केवल कुलीन परिवारों तक सीमित थी। गोविन्द राव ने 7 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फूले को प्रारंभिक शिक्षा के लिए मराठी स्कूल में दाखिला दिलवाया। ढाकजी दादा जी (मुंबई के नेटिव ऐज्यूकेशन सोसायटी के सर्वेसर्वा) के आदेश पर वे पढ़ाई कर रहे थे।[2] उन्हें अपनी शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ी, इस घटना ने उनका बचपन परेशान कर दिया, और वे अपने पिता के साथ फूल उत्पादन में लग गए। गोविन्दराव जो ज्योतिबा फूले का विवाह 1840 में सतारा जिले के खण्डाला तहसील के नयागाँव के खण्डोजी नेवासे पाटिल की कन्या सावित्री बाई से हुआ, जो उस समय 9 वर्ष की थी।[3] शादी के बाद भी ज्योतिबा फूले ने घर पर ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। ज्योतिबा की पढ़ाई के प्रति विशेष आकर्षण से प्रभावित होकर उसके दो पड़ोसी शिक्षकों, गुफ्फार बेग मुंशी, जो उर्दू और फारसी के शिक्षक थे, और लेजिट नामक क्रिश्चियन, जो एक सरकारी अधिकारी और मिशनरी था, ने पिता गोविन्द राव को बाद में ज्योतिबा को मिशन स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए मना लिया. 1841 में जब ज्योतिबा 14 वर्ष की थी जहाँ वह सदाशिव व लाल गोवाण्डे, सखाराम यशवन्त परांजपे और मोरो विट्ठल वालवेकर से दोस्त था। बालक ज्योतिबा ने स्काटिश मिशन स्कूल में थामस पेन की उत्कृष्ट पुस्तक **''राइट्स ऑफ''** पढ़ी।[4] 1847 में ज्योतिबा ने अंग्रेजी पढ़ाई पूरी की। ज्योतिबा फूले ने मानवता, अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में सोचा जब अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम हुआ, तो भारत में भी राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हुआ। 1848 के प्रारंभ में, जातीय कट्टरपंथियों द्वारा अपमानित किए जाने पर, उन्होंने कट्टरतावादी समाज व्यवस्था को ध्वस्त करके स्वतन्त्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था बनाने पर बल दिया, जिससे वे आगे चलकर महान् क्रान्तिकारी और समाज सुधारक बने।

समाज सुधारक के रूप में : 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध को भारतीय समाज के लिए पुनर्जागरण का दौर माना जा सकता है क्योंकि इस दौर में साहित्य में अनेक नए रूपों और नवीन विषय–वस्तु का समावेश हुआ, पत्रकारिता के नए आयाम मिले और जन–मानस में समाज–सुधार के आन्दोलन हुए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी बदलाव नहीं हुआ, बल्कि बहुत परिवर्तन हुए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण–व्यवस्था और जाति–प्रथा को अमान्य करार दिया और इस समय शक्तिशाली और प्रभावशाली सामाजिक आन्दोलन के अग्रदूत के रूप में भारतीय इतिहास में प्रवेश किया। महिलाओं ने शूद्रों को शिक्षा दी, जो केवल कुलीन लोगों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने **''सत्यशोधक समाज''**[5] का गठन किया। जोतीराव सामाजिक क्रान्तिकारी नेता बनने में उनके तीन ब्राह्मण मित्र विनायक बापूजी भण्डारकर, विनायक बापूजी डेगले और सीताराम सखाराम दातार की मुख्य भूमिका रही.उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो उनके आदर्शों और मिशन के प्रचार–प्रसार के लिए एक अधिकृत प्लेटफार्म बन गया।

सत्यशोधक समाज के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले ने बच्चों को बुरी आदतों, अन्यायपूर्ण विचारों, ईश्वर के नाम पर लुट–खसोट और दलितों और शोषितों के शोषण का विरोध किया. उन्होंने जनसभाओं, पर्चों और लघु पुस्तिकाओं को वितरित किया। सत्य–दीपिका, सुबोध–पत्रिका, प्रमोद सिंधु और इंदुप्रकाश जैसे समाचार–पत्रों ने ज्योतिबा फुले के विचारों, काम और उद्देश्य की प्रशंसा की, जो उनके द्वारा नवचेतना का प्रथम प्रसार था।[6] जो उन्हें आगे एक क्रांतिकारी नेता बनाने वाला था। ज्योतिबा फुले के विचारों और उद्देश्य से प्रेरित होकर बम्बई के प्रसिद्ध ठेकेदारों व्यांकू कालेवर और जया कराडी लिंगू ने वादा किया कि वे ब्राह्मण दावत पर खर्च होने वाले धन को अब से सत्यशोधक समाज को देंगे। यहाँ तक कि ज्ञानोदय पत्रिका ने कहा कि ''अनेक संभ्रांत, धनवान दयालु हृदय वाले दानी धन, प्रिंटिंग प्रैस व अन्य चीजें देने के लिए आगे आ रहे हैं जो इस बात का द्योतक था कि हिन्दु समाज में कितना परिवर्तन आ गया है।''[7] महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ तेजी से विद्रोह किया और उनका उन्मूलन करने के लिए सदा अग्रसर रहे. उन्होंने अपने भाषणों और पर्चों, फोल्डर्स और पैम्फलैट्स के माध्यम से जनमानस को जागृत करने का वातावरण बनाया, इसके लिए उन्होंने 8 मार्च 1860 को पूना के गोखले बाग में एक ब्राह्मण विधवा विवाह के समय विधवा की उम्र 18 वर्ष थी।[8] महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि ब्राह्मण समाज में एक विधुर दूसरी शादी कर सकता है, तो उनकी विधवा बालिका या स्त्री क्यों नहीं कर सकती? महिलाओं के साथ ये भेदभाव क्यों होता है[9]?

महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की भलाई के लिए बाल विवाह का विरोध किया और मलाबारी के अंग्रेज शासन से प्रार्थना की। 19 वर्ष से कम आयु के लड़के और 11 वर्ष से कम आयु की लड़की को शादी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।[10] उनके पूर्व समाज सुधारक ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और दादा भाई नारौजी ने भी इसका समर्थन किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी घृणित सती प्रथा को समाज में व्याप्त अत्याचार की पराकाष्ठा माना और इसकी निन्दा की। 1829 में अंग्रेज सरकार ने इस अमानवीय व्यवहार पर कानून बनाकर रोक लगा दी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बाल हत्या प्रतिबन्धक गृह की स्थापना की क्योंकि तरूण विधवाओं के साथ अनैतिक आचरण की घटनाएँ समाज में आम हो गईं क्योंकि चरित्रहीन पुरुष भोली–भाली विधवा स्त्रियों को बहला–फुसलाकर अनैतिकता में डाल देते थे। उनके अनैतिक व्यवहार से बच्चे पैदा होते थे, जिन्हें वे भयभीत होकर कूढ़े के ढेर में या नदी नाले में फेंक देती थीं। 1863 में महात्मा फुले ने विधवाओं के बच्चों के लिए अपने घर में ''बाल हत्या प्रतिबन्धक गृह''[11] की स्थापना की, क्योंकि उन्होंने विधवाओं की इस स्थिति को समझा। लोकहितवादी गोपाल राव देशमुख, विनायक राव भण्डारकर, प्रार्थना समाज के न्यायाधीश, मदन श्रीकृष्ण, लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश, मामा परमानन्द, वासुदेव राव बाबाजी नौरंग, तुकाराम तांत्या पड़वाल और अन्य लोगों ने फुले जी के बाल हत्या प्रतिबन्धक गृह और विधवा आश्रम की सराहना की और उनकी सहायता की।[12]

ज्योतिबा फुले की समाज सुधारक योजना का एक परिणाम था, इसलिए रानाडे और उनके सहयोगी लालशंकर उमा शंकर त्रिवेदी ने 1875 में पढंरपुर में एक अनाथालय खोला। ज्योतिबा फुले जी ने समानता पर सदा बल दिया था, और उन्होंने 1868 में सभी वर्गों के लिए अपने घर में पानी का हौज खोलकर समाज में इसे लागू करने का प्रयास किया।[13] यहाँ तक कि उन्होंने अछूतों के साथ भोजन करना आरम्भ करके समाज को नई और सार्थक दिशा देने की कोशिश की, और एक विधवा स्त्री का शिशु गोद लेकर समाज को नया संदेश दिया। 27 नवंबर 1890 को प्रातः 2 बजे 20 मिनट पर उनका हृदय बंद हो गया, जिससे वे बेहोश हो गए।[14] समाज को ऐसा झटका लगा कि वे भी यशवन्त की तरह अनाथ हो गए।

उपसंहार : उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ज्योतिबा राव फुले, जिन्हें लोग आदर से ''महात्मा फुले'' या महात्मा ''ज्योतिबा फुले'' कहते थे, का जन्म महाराष्ट में हुआ था और उनके कार्यों ने समाज, राजनीति, अर्थनीति, धर्मनीति, शिक्षा, स्त्री–पुरुष समानता और सामाजिक न्याय के विभिन्न क्षेत्रों में नए मूल्य स्थापित किए। इन क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए कार्य ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और समाज को नया आयाम देने वाले थे. महात्मा ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत में प्रथम भारतीय थे जो समाज में सामाजिक व सांस्कृतिक आन्दोलन का सूत्रपात करते थे। वे जातिभेद, वर्ण व्यवस्था, ग्रामीण कुनबी किसानों, खेतिहर मजदूरों, शुद्र–अतिशूद्रों और महिलाओं के हितों के लिए सदा संघर्ष करते रहे और 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली आन्दोलन का नेतृत्व करते हुए दलितों और महिलाओं के लिए सदियों से बंद पड़े शिक्षा के द्वार खोले क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है

वास्तव में, महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक समाज सुधारक व विचारक के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आज के समाज में अतुलनीय है, भारतीय राजनीतिक क्रान्तिकारी आंदोलन से अलग।

सन्दर्भ :

1. योगमाया, (2004), महात्मा जोतीराव फुले दर्शन एवं चिन्तन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ0 27
2. कीर, धनंजय, (1997), दी फादर ऑफ इण्डियन सोशल रिवोल्यूशन, पॉपुलर प्रकाशन, बॉम्बे, पृ0 3
3. योगमाया, (2004), वही, पृ0 28
4. वही, पृ0 2
5. नवशक्ति, 24 सितम्बर 1872, पृ0 4
6. सत्यदीपिका समाचार–पत्र, 24 सितम्बर 1875
7. योगमाया, (2004), वही, पृ0 65
8. कीर, धनंजय, (1997), पृ0 132
9. योगमाया, (2004), वही, पृ0 80
10. वही, पृ0 80
11. महात्मा जोतीबा फुले रचनावली भाग–2, एल.जी. मेश्राम विमल कीर्ति, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 13
12. योगमाया, (2004), वही, पृ0 81
13. कीर, धनंजय, (1997), वही, पृ0 87
14. योगमाया, (2004), वही, पृ0 18

4)
Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 17-18

ग्रामीण जीवन में आधुनिकता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 राम लेश*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, (समाजशास्त्र), बरखू राम वर्मा महिला पी० जी० कालेज, जोकहरा, लाटघाट, आजमगढ़, उ0प्र0

सारांश : यह शोधपत्र ग्रामीण जीवन में आधुनिकता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : आधुनिकता, अर्थव्यवस्था, जाति व्यवस्था, औद्योगीकरण, आधुनिक शिक्षा आदि।

प्रस्तावना : भारत गाँवों का देश है यहाँ की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना का मुख्य आधार जाति व्यवस्था रही है। लेकिन आज ग्रामीण सामाजिक संरचना में जातियों का परम्परागत प्रभाव कम हुआ है। सभी जातियों के लिए संवैधानिक समानता प्राप्त होने से जाति आधारित सामाजिक दूरी कम हुई। गांवों में भी आज एक ऐसा वर्ग उभर रहा है जो शहरी जीवन, औद्योगीकरण एवं आधुनिक शिक्षा से प्रभावित होकर जातीय व्यवसाय को मानने के लिए तैयार नहीं है। गाँवो में जातिगत व्यवसाय कमजोर हो गये है। व्यवसाय को लेकर उच्च एवं निम्न जाति में भेद नहीं रह गया है। परम्परागत ग्रामीण समाज पर नजर डालते है तो प्रत्येक व्यक्तियों के सामाजिक मूल्यों पर परम्पराओं का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। लोग भाग्यवादी थे उनकी भाग्यवादी और निराशावादी सोच के कारण इसे परिवर्तित करने का प्रयास भी नहीं करते थे।

आज आधुनिक शिक्षा औद्योगिकीकरण, लौकिकीकरण तथा प्रजातान्त्रिक मूल्यों के प्रभाव से इस प्रवृत्ति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज ग्रामीण चाहे जिस जाति वर्ग के हो अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति एवं सांस्कृतिक स्थिति में सुधार के लिए काफी सजग हो रहे है। ग्रामीण अपनी भाग्यवादी सोच में बदलाव किये है और यह मानने लगे है कि मेहनत एवं ज्ञान के द्वारा ही सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करना सम्भव है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण सामाजिक संरचना में, तेजी से बदलाव दिखने लगा है। भारत में परम्परागत ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन केवल कृषि कार्य था लेकिन स्वतन्त्रता के बाद ग्रामीण पुनर्निर्माण की अनेक योजनाएँ कार्यान्वित हुई, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण आर्थिक संरचना में परिवर्तन दिखने लगे है। परम्परागत कृषि का उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक ही सीमित था लेकिन आज नये–नये प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि द्वारा आर्थिक लाभ कमाना उद्देश्य हो गया है। जैसे लगता है कि कृषि का व्यापारीकरण हो गया है। जो ग्रामीण जीवन में परिवर्तन ला दिया है।[1]

परम्परागत ग्रामीण समाज में अर्थव्यवस्था मूल रूप से विनिमय व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, शाहूकारों और जमीदारों के द्वारा स्थापित सम्बन्धों पर निर्भर व्यवस्था थी। जो काफी सरल थी लेकिन आज यह व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था हो गयी है अब जमीदारों एवं शाहूकारों का प्रभाव समाप्त हो चुका है।

आज ग्रामीणों की निर्भरता केवल कृषि नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की सरकारी, गैर सरकारी, मानदेह, आऊटसोर्सिग के माध्यम से नौकरी एवं व्यापार के द्वारा भी अपनी जीविका का निर्वाह करने की कोशिश में लगे है।[2]

प्राचीन परपरागत ग्रामीण समाज में बंधुआ मजदूर प्रथा थी परन्तु सरकार कानून बनाकर इस प्रथा को समाप्त कर दिया ग्रामीण का राजनैतिक जीवन भी तेजी से बदल रहा है। कुछ वर्षों पहले तक गाँव का नेतृत्व एक खानदान के लोग पीढ़ी–दर पीढ़ी करते थे मतलब ग्रामीण नेतृत्व वंशानुगत था गांव के मुखिया का निर्धारण वंश परम्परा के अनुसार किया जाता था। पंच परमेश्वर होता था और पंचों के माध्यम से अनौपचारिक रूप से न्याय मिलता था। परन्तु आज ग्रामीण नेतृत्व वंशानुगत नही बल्कि अर्जित हो गया है जिसका निर्णय वयस्क मताधिकार के प्रयोग से किया जाता है। इतना ही नही विभिन्न जातियों को भी नेतृत्व में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त हुआ है।

पंचायती राजव्यवस्था में कुछ जातियों के लिए स्थान सुरक्षित कर देने के कारण ग्रामीण नेतृत्व में सभी वर्गो की सहभागिता बढ़ गयी है, आज ग्रामीण राजनैतिक जीवन गाँवों तक सीमित न रह कर बड़े राजनैतिक दलों से प्रभावित होने लगा है ग्रामीणों की राजनैतिक चेतना प्रादेशिक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय हो गयी है। इसी जागरूकता के कारण उच्च पदाधिकारियों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने ग्रामीण जीवन को अधिक प्रभावित किया है, गांवों में प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालयों तक की व्यवस्था हो जाने के करण नई पीढ़ी के विचारों में आमूल चूक बदलाव हुआ है। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के कारण उच्च जाति, पिछड़ी जाति एवं निम्न जाति के बीच समन्वय स्थापित होने लगा है। शिक्षा व्यवसाय परक दी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आत्मनिर्भरता की ओर गतिशील है। युवक एवं युवक्तियों केवल नौकरी पर निर्भर न रह कर छोटे उद्योग, धंधों को अपनाकर अपना जीविकोपार्जन कर रही है।[3]

भारत सरकार के तरफ से बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा आज बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार शिक्षा एजुकेटर की नियुक्ति करने जा रही है। सरकार के द्वारा 14 वर्ष तक शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। परम्परागत परिवारों में लड़कियों की भूमिका घर–गृहस्थी के कार्य, कर्मकाण्ड तक सीमित थे। उन्हें शिक्षा देने की अवश्यकता नही समझी गयी।

हमारे देश में स्वतत्रता प्राप्त तक तो स्त्रियों की शिक्षा अधिकांशतः निजी प्रयासों पर निर्भर थी। 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आया जिससे शैक्षणिक असमानताओं को दूर करना एक प्रमुख विषय माना गया इससे शिक्षा में महिलाओं की सम्मान और अधिकार के लिए काम करने की दिशा मिली, 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा निति में स्पष्ट रूप से गाँव में लड़कियों के शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना में लड़कियों की शिक्षा एवं अधिकार को राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया।[4]

आज सरकार एवं समाज के द्वारा विभिन्न योजनाओं के द्वारा महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त कर रही है। ग्रामीण समाज में जाति संस्तरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जिसमे उच्च जातियों को अधिक अधिकार प्राप्त थे। निम्न जातियों का कार्य उच्च जातियों का सेवा करना और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नही था लेकिन आज जाति संस्तरण में परिवर्तन हुआ है जो निम्न जातियों अपनी सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्थिति में सुधार करके जातीय संस्तरण में अब वे उतने ऊँचा उठाने का पुरजोर प्रयास करती हुई दिखायी दे रही है। प्राचीन समय में पहले जातियाँ समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित करती थी लेकिन आज इस आधुनिकता के युग में अब योग्यता, शिक्षा, राजनैतिक शक्ति, एवं सम्पत्ति के आधार पर व्यक्ति का समाज में स्थिति निर्धारित होने लगी है।

सन्दर्भ :

1. देसाई, ए० आर0, 1966, रूरल सोशियोलाली इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन, बॉम्बे
2. सिंह, योगेन्द्र, 1986, माडर्नाइजेशन आफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, रावत प्रकाशन, जयपुर
3. श्रीनिवास, एम० एन०, 1962, कास्ट इन मॉडर्न इण्डिया, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
4. डेविस, किन्सले, 1952, हयूमन सोसाइटी, सुरजीत प्रकाशन, दिल्ली

4)
Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 19-21

भारतीय कृषि : समस्याएँ और समाधान

प्रो0 ए0 के0 श्रीवास्तव*
*शोध निर्देशक, एल.बी.एस.पी.जी.कालेज, गोण्डा, उ0प्र0

देवेश कुमार मिश्र**
**शोधछात्र, एल.बी.एस.पी.जी.कालेज, गोण्डा, उ0प्र0

सारांश : यह शोध–पत्र भारतीय कृषि : समस्याएँ और समाधान को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन अन्य शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : भारतीय कृषि, श्रम शक्ति, आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, पूंजी आदि।

प्रस्तावना : मानव जीवन की दृष्टि से कृषि का विशिष्ट महत्व है क्योंकि कृषि ही मानव जीवन का आधार है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की श्रम शक्ति का लगभग 46 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करता है। कृषि के द्वारा मानव अपना भरण–पोषण तथा आर्थिक विकास करता है। कृषि के विकास के साथ–साथ मानव सभ्यता विकसित हुई। मानव की सबसे प्राचीन एवं प्राथमिक आर्थिक क्रिया कृषि है। इस क्रिया के फलस्वरूप भूमि को जोतकर फसलोत्पादन किया जाता है। फसलोत्पादन के लिए आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है जिसके लिये भारत सरकार एवं कृषि मंत्रालय द्वारा फसलोत्पादन को बढ़ाने के लिये हरित क्रान्ति एवं यन्त्रीकरण की सुविधाओं के माध्यम से कृषि व्यवसाय को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरुप आज देश खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गया है। भारत देश में 1426 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। भारत की GDP में कृषि का 14 प्रतिशत से अधिक योगदान है। अतः इस कथन में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि कृषि भारत के लोगों का मात्र जीवकोपार्जन का साधन ही नहीं बल्कि यह जीवन का तरीका है।

व्याख्या : इन उपलब्धियों के बावजूद एक ऐसा क्षेत्र भी है जो आज भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है। खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्पूर्ण भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र आज भी उस स्थिति में नहीं पहुँच पाया है जिसे संतोषजनक माना जा सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग आज भी बेहद अभावों में जीवन जीने को विवश हैं और कई बार ये कृषि के माध्यम से बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाते हैं। भारतीय कृषि के अपर्याप्त विकास के मूल में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर किये बिना कृषि का विकास संभव नहीं है, ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं–

1. भारत के ज्यादातर किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए पूँजी का अभाव/कमी है। आज भी देश के ज्यादातर किसानों को व्यावहारिक रूप में संस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। कई बार किसानों के पास इतनी भी पूँजी नहीं होती कि ये बीज, खाद, सिंचाई, जैसी बुनियादी चीजों का भी प्रबंध कर सकें। इसका परिणाम यह होता है कि किसान समय से फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते अथवा अपर्याप्त पोषक तत्वों के कारण फसलें पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं हो पाती हैं। इसके साथ ही पूंजी के अभाव में किसानों को निजी व्यक्तियों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है जिससे उनकी समस्याएँ कम होने की जगह बढ़ जाती हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इससे किसानों की कृषि सम्बन्धी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने में काफी हद तक सहायता मिल जाती है।
2. भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भी सिंचाई सुविधाओं का प्रबंध वही किसान कर पाते हैं जिनके पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है क्योंकि सिंचाई उपकरणों जैसे ट्यूबवेल स्थापित करने की लागत इतनी अधिक होती है कि गरीब किसानों के लिये उसे वहन कर पाना संभव नही है। इस प्रकार अधिकांश किसान मानसून पर निर्भर रहते हैं और समय पर वर्षा न होने से उनकी फसलें खराब हो जाती हैं और कई बार जीवन–निर्वाह लायक भी उत्पादन नहीं हो पाता। इसी तरह अधिक वर्षा होने पर या विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं और किसान गरीबी के दलदल में फंसते चले जाते हैं।
3. भारतीय किसानों की एक बड़ी आबादी के पास बहुत कम मात्रा में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। इसका एक बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। इसके परिणामस्वरूप कृषि किसानों के लिए लाभ कमाने का माध्यम न होकर महज जीवन–निर्वाह करने का माध्यम बन गई है जिसमें वे किसी तरह अपना और अपने परिवार का निर्वाह कर पाते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र प्रच्छन्न बेरोजगारी की भी समस्या से जूझने वाला क्षेत्र है। प्रच्छन्न बेरोजगार व्यक्ति का कृषि में सीमान्त उत्पाद शून्य होता है। अतः कृषि पर अनावश्यक दबाव पड़ता है।
4. किसानों को अक्सर उनकी उपज की पर्याप्त कीमत नहीं मिलती है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे अपनी फसलों को विभिन्न कारणों से जैसे ऋण चुकाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमतों पर ही बेंच देते हैं जिसके कारण उन्हें काफी हानि का सामना करना पड़ता है।
5. कुछ अन्य कारणों में कृषि में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग न कर पाना, परिवहन सुविधाओं की कमी तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव एवं मिट्टी की गुणवत्ता में कमी के कारण उपज में कमी इत्यादि समस्याएँ शामिल हैं।

भारत सरकार इस क्षेत्र में सुधारों और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 7 सूत्रीय रणनीति पर काम कर रही है–

1. **प्रति बूंद अधिक फसल रणनीति (Per drop more crop) :** इस रणनीति के तहत सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले पानी की मात्रा में कमी आएगी तथा इससे जल संरक्षण के साथ ही सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी। यह रणनीति पानी की कमी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है।
2. कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है साथ ही खेतों में उर्वरकों की उतनी ही मात्रा का प्रयोग करने के लिए जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है, जितनी मात्रा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार प्रयोग

करना उचित है। इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा साथ ही उर्वरकों पर होने वाले खर्च में भी प्रभावी कमी आएगी। इससे मृदा और जल प्रदूषण में भी कमी आएगी।

3. कृषि उपज को नष्ट होने से बचाने के लिए गोदामों और कोल्ड स्टोरेज पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। इससे उपज की बर्बादी रूकेगी, खाद्य सुरक्षा की स्थिति और मजबूत होगी तथा शेष उपज का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात भी किया जा सकता है।
4. खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएँ निहित हैं।
5. उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण पर बल दिया गया है। इससे देशभर में कीमतों में समानता आएगी और किसानों को पर्याप्त लाभ मिल सकेगा।
6. भारत में हर साल अलग–अलग क्षेत्रों में सूखे, अग्नि, चक्रवात, अतिवृष्टि, ओले जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए वांछनीय कीमतों पर फसल बीमा उपलब्ध कराया गया है। हालांकि इसका वास्तविक लाभ अब तक पर्याप्त किसानों को नही मिल पाया है। इसका लाभ अधिकांश लोगों तक पहुँचे इसके लिए उपाय किये जाने चाहिए।
7. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि सहायक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। चूंकि देश के अधिकांश कृषक इन चीजों से पहले से ही जुड़े हुए हैं अतः इसका सीधा लाभ उन्हें मिल सकता है। आवश्यकता है पशुओं की नस्ल सुधार जैसे कारकों पर प्रभावी तरीके से काम किया जाए।

चूंकि देश की अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर है अतः देश में गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, भुखमरी उन्मूलन इत्यादि तभी संभव है जब कृषि और किसानों की हालत में सुधार किया जाये। उपरोक्त उपायों को यदि प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर कृषि की दशा में सुधार आ सकता है इससे इस क्षेत्र में व्याप्त निराशा में कमी आएगी, किसानों की आत्महत्या रूकेगी और खेती छोड़ चुके लोग फिर से इस क्षेत्र में रूचि लेने लगेंगे।

कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और समस्याएँ :

- पूर्व में कृषि क्षेत्र से संबन्धित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केन्द्रित रही है जिसके कारण किसानों की आय में वृद्धि करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।
- विगत पचास वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है किन्तु किसानों की आय वृद्धि संबंधी ऑकड़े अभी भी निराशाजनक हैं।
- ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है किन्तु यह लक्ष्य काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।
- लगातार बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी और वैकल्पिक उपयोगों के लिये कृषि भूमि के रूपांतरण जैसे कारणों से औसत भूमि धारण में भारी कमी देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष1970–71 में औसत भूमि धारण 2. 28 हेक्टेयर था जो वर्ष 1980–81 में घटकर 1.82 हेक्टेयर और वर्ष 1995–96 में 1.50 हेक्टेयर हो गया था।
- उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने और कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिये बीज एक महत्वपूर्ण और बुनियादी कारक है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उन बीजों का वितरण करना किंतु दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुँच हीं नहीं पाते हैं।
- भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक मानसून पर निर्भर करता है। प्रत्येक वर्ष देश के करोड़ों किसान बारिश के लिये प्रार्थना करते हैं। प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कभी–कभी किसानों को नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। यदि अत्यधिक बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुँचता है और यदि कम बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुँचता है। इसके अतिरिक्त कृषि के सन्दर्भ में जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया है और उसने मौसम के पैटर्न को परिवर्तित करने में भी भूमिका अदा की है।
- आजादी के 7 दशकों बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर हालत में है। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत की उपज को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है।

प्रभाव : देश के कृषि क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं के परिणामस्वरूप किसान परिवारों की आय में कमी होती है और वे ऋण के बोझ तले दबते चले जाते हैं। अंततः इनके समक्ष आत्महत्या करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता।

- निम्न और अत्यधिक जोखिम वाली कृषि आय कृषकों की रूचि पर हानिकारक प्रभाव डालती है और वे खेती को छोड़ने के लिये मजबूर हो जाते हैं।
- इससे देश में खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उपाय :

- कृषि क्षेत्र समावेशी विकास के लिये एक महत्वपूर्ण खंड है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है,खासकर तब जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन न कर रही हो।
- पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में उच्च विकास के बावजूद भी इन क्षेत्रों पर किया जाने वाला व्यय अपेक्षाकृत काफी कम है। अतः पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जाए जिससे इस क्षेत्र का और भी विकास हो।
- कृषि में अनुसंधान और विकास पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

- कृषि पर भारत की निर्भरता और जलवायु–प्रेरित आपदाओं को देखते हुए देशभर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 'क्लाइमेट स्मार्ट विलेज' की अवधारणा के कार्यान्वयन का विस्तार किया जाना चाहिए।
- कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित ऑकड़ों को एकत्र करने के लिए एक एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। यह संस्था लाभार्थियों की पहचान, सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण और नीति निर्माण में सहायक हो सकती है।

सन्दर्भ :

1. माजिद, अब्दुल, इण्डियन्स जरनल आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स, मुम्बई, पृ0 94
2. मुखर्जी, डी0 के0, 2021, इण्डियन इकोनामी, साहित्य भवन पब्लि0, आगरा, पृ0 53
3. सिंह, दुर्गानन्द, 1974, मोटीवेशन एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, कलक्ता, पृ0 72
4. बिहारी, विपिन, रूरल इण्डस्ट्रलयजेशन इन इण्डिया, विकास पब्लि0, दिल्ली
5. वहीं
6. मिश्रा, डॉ0 जे0 पी0, 2019, आर्थिक चिंतन का इतिहास, साहित्य भवन पब्लि0, आगरा, पृ0 156
7. सेठ, एम0एल0, 2019 अर्थशास्त्र के सिद्वांत, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, वाराणसी, पृ0 142
8. डॉ0 महावीर, 2001, वैदिक अर्थव्यवस्था, समानांतर प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 123
9. राव, एम0 वी0 कृष्णा, 2016, स्टडीज इन कौटिल्य, कौटिल्य मण्डल पब्लि0, पृ0सं0 829
10. स्मिथ, एडम, 1776, वेल्थ ऑफ नेशन, डब्लू स्ट्राहन और टिकैडल, लंदन, पृ0 326
11. मार्क्स, कार्ल, 1909, पूंजीः राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना, शिकागो : चार्ल्स एच. केर एंड कंपनी, पृ0 126
12. स्मिथ, एडम, 1776, राष्ट्रो की संपत्ति की प्रकृति और कारणों की जॉच, वेल्थ ऑफ नेशन, डब्लू स्ट्राहन और टिकैडल, लंदन, पृ0 354

4)
Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : **IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 22-24

प्रेमचंद का हिन्दी कथा साहित्य में महत्त्व

राजीव प्रताप सिंह*
*शोधार्थी, हिन्दी विभाग, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुलतानपुर, उ0प्र0
प्रो0 राधेश्याम सिंह**
**शोध निर्देशक, पूर्व प्राचार्य, हिन्दी विभागाध्यक्ष, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुलतानपुर, उ0प्र0

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र प्रेमचंद का हिन्दी कथा साहित्य में महत्त्व को समग्र एवं व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद कहानी को भाषा के अधीन बताते हैं। उनकी कहानियों की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि वे भविष्य में झाँकने की शक्ति प्रदान करती है। यह शोध–पत्र निश्चित ही पूर्व शोध–पत्र की पूरक और नये लोगों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी।
मुख्य शब्द : कलात्मकता, गाँधीवाद, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, मर्मस्पर्शी शैली आदि।

प्रेमचंद और उनकी कहानी कला के विषय में लिखने से पहले कहानी की परिभाषा का वर्णन करना आवश्यक होता है। कहानी के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किये। लक्ष्मी नारायण मिश्र कहते हैं कि– ''**कहानी वह कला है, जो मानव के बाह्य जीवन उसके अन्तस्थल में बनते–बिगड़ते हुए समूह और समस्याओं को विद्योत प्रकाश की भाँति सामने ला छोड़ती और पाठक का मन एवं मस्तिष्क उसके भावों से घनीभूत हो जाता है।**''[1]

कहानी को परिभाषित करते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि– ''**गल्प ऐसे रचना हैं, जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मात्र भावना को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब एक उसी एक भाषा को पुष्ट करते हैं।**''[2]

प्रेमचंद कहानी को कला मानते हैं, पर कहानी–कला के बारे में उनकी टिप्पणियाँ प्रमाण हैं कि कहानी की कलात्मकता के विपरीत जीवन के यथार्थ और मानव मनोविज्ञान की अनिवार्यता में उन्हें आनन्द मिलता है। प्रेमचंद कहानी को भाषा के अधीन बताते हैं। और कहते हैं कि– ''**वहाँ तो एक शब्द, एक वाक्य भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गल्प के उद्देश्य को स्पष्ट न करता हो।**''[3]

कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि– ''**कहानी ध्रुपद की तान है, जिसमें गायक महफिल शुरु होते ही अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता।**''[4]

प्रेमचंद की दृष्टि में कहानी की सफलता मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ को स्वाभाविक ढंग से उद्घाटित करने में है।

अच्छी कहानी लिखने के लिए विषय वस्तु का महत्त्वपूर्ण होना जरूरी है। लेखक को जीवन की गहरी जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारी से संवदेना ग्रहण करके मर्मस्पर्शी शैली में प्रस्तुत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रेमचंद में ये सब बातें मौजूद थी। इस लिए वे ऐसी कहानियाँ लिख सके, जिनमें जनता ने अपने जीवन की झलक देखी। समाज की पीड़ित विधवाएँ, सौतेली माताओं से परेशान बालक, महन्थों और पुरोहितो से ठगे जाने वाले किसान, दूसरों की गुलामी करके भी पेट न भर पाने वाले अछूत, महाजन का सूद भरते–भरते जिंदगी गुजार देने वाले किसान आदि इस तरह की अनेक समस्याओं को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में पेश किया है।

कहानी लेखक की महानता जहाँ उसकी संवेदनशीलता पर आधारित है, वहाँ वह बदलते हुए जीवन के विविध अनुभव और परिवर्तित परिस्थितियों से भी अपनी रचना प्रक्रिया में परिवर्तन और परिमार्जन करता रहता है। इस तत्त्व के अनुसार जब हम प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि शुरु की कहानियों में प्राचीनतम इतिहास की प्रमुखता रहती थी। इसी तरह वास्तविकता की अपेक्षा काल्पनिकता का अंश भी पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था। इसका कारण शायद यह था कि कहानी लेखन आरंभ करने से पहले प्रेमचंद ने अपने तम्बाकू वाले मित्र के साथ बैठकर 'तिलस्म होशरुबा' के किस्से बहुत ही दिलचस्पी से सुने थे। जिसमें कथानक की रोचकता के लिए प्रेम–प्रसंगों की काल्पनिक घटनाओं का वर्णन हुआ करता था।

यही प्रथम संस्कार प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों पर दिखाई देता है। यह भी वास्तविकता है कि 'तिलिस्म होशरुबा' की सरल तथा सरस भाषा शैली का प्रभाव ऐसा अमिट रहा कि प्रेमचंद उसे जीवन के अंत तक संजोते रहे और प्रयोग में लाते रहे।

प्रेमचंद का जीवन जैसे–जैसे विकसित होता गया, जीवन के विविध अनुभवों से वे वैसे–वैसे समृद्ध होते गये। उन्होंने अपनी कहानियों में समकालीन जीवन और उससे सम्बन्धित समस्याओं को प्रस्तुत किया। इन कहानियों में गाँव के लोगों का साधारण जीवन, मध्यवर्गीय लोगों का जीवन और साधारण समाज के पात्र और दिन–प्रतिदिन की घटनाएँ कलात्मक शैली में प्रस्तुत की गयी हैं। उनकी असीम, अभूतपूर्व लोकप्रियता का कारण यही है। उनकी कहानियों की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि वे भविष्य में झाँकने की शक्ति प्रदान करती है।

प्रेमचंद के विचारों पर महात्मा गाँधी जी के स्वतंत्रता के लिए चलाए गये असहयोग आन्दोलन का भी प्रभाव था। बल्कि वे स्वयं भी इस आन्दोलन में शामिल हुए थे। इसका प्रभाव भी उनकी अनेक कहानियों में झलकता है, जिनमें उन्होंने देश–भक्ति, देश–प्रेम, देश की स्वतंत्रता की चेतना उत्पन्न कर देने वाले भावों को प्रकट किया है। यह तो सर्वविदित है कि उनके कहानी–संग्रह 'सोजे वतन' को अंग्रेज शासन ने इसलिए जब्त करके जला दिया था, क्योंकि इस संग्रह की चारों कहानियों में प्रमुखतः देश–प्रेम की भावना और अंग्रेज शासन के अत्याचार के विरुद्ध क्रान्ति की भावना को अभिव्यक्ति किया गया था।

महात्मा गाँधी जी की देश स्वतंत्रता की भावना यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि 'मंगल–सूत्र' इस उपन्यास के लेखन के तथा अपने जीवन के अन्तिम समय में वे इतने परिवर्तित हो गये थे, कि अब शसक्त क्रान्ति को अपनाने का विचार प्रस्तुत करने लगे थे।

प्रेमचंद ने जहाँ स्वयं सामाजिक अवस्थाओं का निरीक्षण और अवलोकन किया, उस पर चिंतन और मनन किया, वहीं अन्य साहित्यिक चिन्तकों से भी प्रभाव ग्रहण किया। इनमें राष्ट्रकवि रवीन्द्र नाथ टैगोर और शरतचन्द्र चटर्जी आदि के नाम महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार हैं, जिनकी कृतियों में उनके युग की सामाजिक अवस्था का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने उन समस्याओं और मान्यताओं के जीते–जागते चित्र अंकित किये हैं जो मध्य वर्ग, जमीनदार, पूँजीपति किसान, मज़दूर, औरत और समाज से बहिष्कृत व्यक्तियों के जीवन को संचालित करते हैं।

अंत में उनकी कहानियों को समझने के लिए कहानी लेखन सम्बन्धी उनकी धारणा को समझ लेना लाभदायी होगा। प्रेमचंद ने स्वयं अपनी कहानी लेखन प्रक्रिया के किस्से प्रायः किसी न किसी प्रेरणा अथवा अनुभव पर आधारित होते हैं। उसमें किसी दार्शनिक और भावात्मक सत्य को प्रकट करना चाहते हैं। जब तक इस प्रकार का कोई आधार नहीं मिलता, उनके कलम ही नहीं उठते। आधार मिल जाने पर वे पात्रों का निर्माण करते थे।

उपर्युक्त कथन के अनुसार ही प्रेमचंद कहानियाँ लिखा करते थे। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ अनुभव पर ही आधारित हैं। उनकी कहानियों में भारतीय जन–जीवन तथा संस्कृति से संबंधित जो विविध आयाम प्रस्तुत हुए हैं, उनका विवरण इस प्रकार है–

प्रेमचंद के मन में भारतीय संस्कृति का अभिमान था तथा इसे वे अपनी कहानियों द्वारा भारतीय जनता को भी परिचित और प्रेरित करना चाहते थे और इस कार्य के लिए उन्होंने राजपूत काल से सम्बन्धित कहानियाँ लिखीं। क्योंकि राजपूत सच्चे देश–प्रेमी थे, और देश के लिए प्राण–अर्पण करने को हमेशा तत्पर रहते थे। इसी तरह वे शरणागत की रक्षा करना अपना कर्त्तव्य–धर्म समझते थे। राजपूत स्त्रियाँ भी बलिदान की मूर्ति हुआ करती थीं। रण से भागे हुए पति के लिए उनके द्वार बन्द थे।

मुगलकाल और अंग्रेज शासन पर रचित कहानियों में प्रेमचंद ने हमारे सांस्कृतिक पतन का चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके द्वारा उन्होंने लोगों को देश के भविष्य के लिए त्याग और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसका प्रमाण हमें 'रानी सारन्धा' कहानी से मिलता है। प्रेमचंद कहते है– **''संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है, जो अवसर को पहचानता है। वह अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वहीं वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है, और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। पर इस मैदान में कभी–कभी ऐसे सिपाही भी आ जाते हैं, जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं, लेकिन संकट में पीछे हटना नहीं जानते। ये रणवीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे, किन्तु जहाँ एक बार पहुँच गये हैं, वहाँ से कदम पीछे नहीं हटाएंगे।''**[5]

इस तरह के कथन द्वारा प्रेमचंद ने देश–प्रेम की भावना का वर्णन किया और देश–प्रेम की भावना को जागृत करना चाहा।

प्रेमचंद ने वर्णन किया है कि एक ओर जमींदार को लगान और बेगार के लिए किसान रुपया जुटाने में असमर्थ था, दूसरी तरफ महाजन कर्ज में एक के बदले उससे दस वसूल करते हैं। अत्याचार की इस पीड़ा को वह कुछ समय के लिए तो अवश्य सह लेता है, परन्तु इस पीड़ा की मार लगातार अंत में उसे इस तरह विवश कर देती है कि वह जमीन का मोह त्याग दे।

'पूस की रात' कहानी में हल्कू किसान है, और कठोर परिश्रम करने के पश्चात् भी जमींदार को लगान देने के लिए उसके पास तीन रुपये भी नहीं है। फिर भी जमीन का मोह उसे अपने गाँव से बाँधे है। सामन्तवादी मनोवृत्ति उसे बंधन तोड़कर मुक्त होने की छूट नहीं देती। पर परिस्थितियों की विषमता एवं सत्य की कटुता का जो अनुभव उसे होता है, वह उसे बाध्य करता है कि वह मजदूरी करे और अंत में मजदूरी करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है।

प्रेमचंद की कहानियों में मानव–प्रकृति तथा मनोविज्ञान का गहरा चिंतन है। जिसके कारण उनकी कहानियों में यथार्थवाद को भी महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। यही कारण है कि हम उनकी कहानियों में सर्वसाधारण जीवन का चित्र देख पाते हैं। उनके अधिकतर पात्र यथार्थवादी होते हुए भी आदर्श की ओर उन्मुख होते हैं। इसलिए हम उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उनकी कहानियों में भावुकता को स्थान नहीं है। वे हमारे जीवन के ठोस, सत्य को सामने रखते हैं, जिसमें उत्तेजना और अस्वाभाविकता नहीं होती।

प्रेमचंद आदर्शवाद और यथार्थवाद की व्याख्या करते हुए कहते है कि– **''यथार्थवादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न रुप में रख देता है। उसे इससे कुछ मतलब नहीं कि सच्चरित्रता का परिणाम बुरा होता है या कुच्चरित्रता का परिणाम अच्छा। उसके चरित्र अपनी कमजोरियाँ या खूबियाँ दिखाते हुए अपनी जीवन–लीला समाप्त करते हैं।''**[6]

प्रेमचंद ने अपनी विचारधाराओं में कहानी साहित्य के माध्यम से युगीन समस्याओं पर विचार मंथन किया है। उनमें दलित समस्या भी उनके चिंतन का विषय रहा है। सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता समाज का क्षय है, जिसे दूर करने के लिए प्रेमचंद ने रीति–परम्पराओं का विरोध कर अपनी कहानियों में पेश किया है। प्रेमचंद ने दलित बस्ती के अनेक ग्राम देखे थे। अनेक दलित परिवारों और व्यक्तियों पर हुए अत्याचारों को भी देखा था।

वर्णाश्रम आधार शिला कृति में उसका निर्माता मानव ही है, अतः वह तथ्यहीन है। सम्पूर्ण मानव जाति एक ही पुरखे की संतान हैं। मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित सभी मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएँ हैं। प्रेमचंद की सफल और सर्व व्यापिनी रचना प्रतिभा ने पीड़ित और पिछड़े वर्गों की समस्याओं और उनके उद्धार के प्रश्नों को बड़े ही वास्तविक ढंग से उठाया और उनके सही समाधान अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है।

इन कहानियों में चाहे पानी पीने की समस्या हो, चाहे मन्दिर चित्रण हो, इन सभी का वर्णन ठाकुर का कुआँ, मंदिर, कफ़न, दूध का दाम, घासवाली, सौभाग्य के कोड़े, मंत्र, सद्गति, मुक्तिमार्ग, आगा–पीछा, विध्वंस, लाँछन, गुल्ली–डंडा, लोक मत का सम्मान, बाबा जी का भोग आदि कहानियों में दलित विमर्ष दिखाया गया है।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानियों में वेश्या के एक जटिल प्रश्न को सामने रखा है। 'दो कब्रें' कहानी में वेश्या के संदर्भ में वेश्या के घृणापूर्ण भाव को प्रस्तुत किया गया है। समाज में वेश्या को पददलित, पतित, बदनाम और लोगों के मनोरंजन की वस्तु समझा जाता है। उससे पारिवारिक रिश्ता कुलीन मनुष्य को समाज से बहिष्कृत बना देता है। यह सामाजिक समस्या की जड़ का प्रेमचंद इलाज करना चाहते थे। जिस सामाजिक व्यवस्था से अभागिनों का जीवन बर्बाद होता है और जिसमें अत्याचार पनपते हैं और बढ़ते हैं, इस दूषित समाज व्यवस्था को मिटाने के लिए उन्होंने वेश्या सम्बन्धी रचनाओं के रूप में असल दोषी व्यवस्था पर कोड़े की मार लगाई है।

प्रेमचंद कालीन समाज विविध कुरीतियों की रुढ़ि–बाधिता से ग्रस्त था। सामान्य जनता से ढोंगी महात्मा और पण्डित, दान और दक्षिणा के रूप में धन कमाकर आराम की जिंदगी चला रहे थे। प्रेमचंद ने इन पाखण्डी ब्राह्मणों का पर्दाफाश किया था। प्रेमचंद की कहानी 'बाबा जी का भोग', 'गुरुमंत्र', में ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है।

प्रेमचंद की कहानियों में विधवा समस्या का मार्मिक वर्णन किया गया है। वेश्याओं की भाँति विधवाओं का उद्धार करना उनका लक्ष्य था। पति के मरने पर कोई भी विधवा नारी निर्भयता से जीवन नहीं बिता सकती थी। समाज में उसे किसी की वासना–तृप्ति का साधन बनना पड़ता है। 'स्वामिनी' कहानी में एक विधवा के जीवन का मनोविश्लेषणात्मक चित्र प्रस्तुत हुआ है। ठीक उसी तरह धिक्कार, सुभागी, ज्योति आदि कहानियों में प्रेमचंद ने विधवा की दारुण अवस्था का वर्णन किया है।

प्रेमचंद ने समाज की जिस विविध समस्याओं को पेश किया है, उसमें से एक दहेज की प्रथा भी है। दहेज की व्यवस्था न कर पाने के कारण माँ–बाप अपनी बेटी का विवाह किसी बाल–बच्चे वाले बूढ़े के साथ कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन असन्तुष्ट होने के कारण कोई स्त्री आत्महत्या कर लेती है, तो कोई मजबूरन वेश्या बन जाती है। 'उद्धार' कहानी में समाज में बढ़ती हुई दहेज–प्रथा के घातक परिणाम को दिखाया गया है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद का समस्त जीवन अनेक प्रकार की कठिनाइयों और दुर्घटनाओं के बीच से होकर गुजरा है। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना सामाजिक संवेदना को जीवित रखते हुए अपनी साहित्य–साधना को उपजीविका का साधन नहीं बनाया और सिद्ध किया कि कठिनाइयों के बीच ही साहित्यकार का सत्त्व जागृत होता है और निखरता है।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि गाँधीवाद, मार्क्सवाद और प्रगतिवाद आदि विचार–प्रवाहों का उन पर प्रभाव होते हुए भी इन समस्त विचारों के अंधानुकरण न करते हुए उसमें भारतीय समाज और संस्कृति के अनुरूप समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। इससे प्रेमचंद की महानता निहित है।

अंत में यही कहना पड़ेगा कि प्रेमचंद एक ऐसे महान साहित्यिक और मानवता प्रेमी तथा देश–प्रेमी थे, जिन्होंने अपने कर्त्तव्य से अपने युग विशेष को केवल प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि नये युग का निर्माण करने की प्रेरणा प्रदान की है। बाद में अनेक कथा साहित्यकारों ने उनसे प्रेरणा ग्रहण की, यही उनकी शाश्वत महानता का प्रमाण है।

सन्दर्भ :

1. प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, प्रकाशक– डायमंड पाकेट बुक्स (प्रा0लि0), ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली, संस्करण– 2000 ई0, पृ0 88.
2. रहबर, डॉ0 हंसराज, प्रेमचंद– जीवन, कला और कृतित्व, नवीन शहादरा, दिल्ली, संस्करण– 1962 ई0, पृ0 121.
3. सिंह, डॉ0 सरोज, प्रेमचंदः व्यक्ति और विचारधारा तथा साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन, लोक भारती प्रकाशन, प्रयागराज, संस्करण– 2017 ई0, पृ0 179.
4. वही, पृष्ठ– 180.
5. सारन्धा, रानी, प्रेमचंद, हंस प्रकाशन, प्रयागराज, संस्करण– 2018 ई0, पृ0 165.
6. गुरु, राजेश्वर, प्रेमचंद : एक अध्ययन, जीवन सार, भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली, पृ0 22.

4)
Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 25-27

सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 रीता मौर्या*
*असिस्टेंट प्रोफेसर, कन्या महाविद्यालय आर्य समाज, भूड़, बरेली, उ0प्र0

सारांश : सोशल मीडिया एक डिजिटल प्रौद्योगिकी है जो आभासी नेटवर्क और समुदाय के माध्यम से दृश्य एवं पाठ्य सामग्री सहित जानकारियो और विचारों को परस्पर साझा करने की सुविधा प्रदान करती है।दुनिया भर में फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आदि प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं। वर्तमान समय में कोविड–19 के बाद से सोशल मीडिया का उपयोग जिस तेजी से बढ़ा है उसका प्रभाव पूरे जनमानस पर पड़ा है,विशेष रूप से युवाओं पर। प्रस्तुत शोध प्रपत्र में भारत में युवाओं पर सोशल मीडिया के प्रभाव की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : सोशल मीडिया, आभासी नेटवर्क, युवा, प्रौद्योगिकी, कोविड–19 आदि।

भूमिका : वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति का है और इसमें सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सोशल मीडिया इंटरनेट पर उपलब्ध मीडिया संचार का एक रूप है। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से लोग विभिन्न प्रकार की जानकारी, विचार, संदेश और वीडियो आदि सामग्री को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं । फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के प्रमुख उदाहरण हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों से जुड़ा रहता है। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यावसायिक उत्पादों व सेवाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। अपने लेख Social Media : Defining, Developing and Divining में केबेल टी कैर और रेबेका ए हायेस ने सोशल मीडिया को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित निर्बाध और व्यक्तिगत जन संचार के सतत चौनल हैं। जो उपयोगकर्ताओं के बीच बातचीत की धारणा को सुविधाजनक बनाते हैं और मुख्य रूप से उपयोगकर्ता जनित सामग्री से मूल्य प्राप्त करते हैं।(Shiksha online)

विकिपीडिया के अनुसार, सोशल मीडिया से आशय पारस्परिक संबंध के लिए नेटवर्किंग या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूहों से है, जिनमें व्यक्ति अपने विचारों और जानकारियों का आदान–प्रदान करता है।

सोशल मीडिया को परस्पर संवाद का वेब आधारित एक ऐसा अत्यधिक गतिशील मंच कहा जा सकता है जिसके माध्यम से लोग संवाद करते हैं, आपसी जानकारियों आदान–प्रदान करते हैं और उपयोगकर्ता जनित सामग्री को सामग्री सृजन की सहयोगात्मक प्रक्रिया के एक अंश के रूप में संशोधित करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक–टोक के दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकते हैं।

युवा : युवावस्था जीवन काल के विकास में एक गतिशील चरण है जो किसी भी समाज की प्रगति में एक जीवंत शक्ति बन सकता है। कोई भी समाज युवाओं को महत्त्व दिए बिना और उनकी ऊर्जा एवं क्षमता का दोहन किए बिना प्रगति और विकास नहीं कर सकता है। इस समय के दौरान काफी ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण का अर्जन होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जो ऊर्जा, उत्साह, आशा, सीखने के लिए खुलापन, प्रेरणा और रचनात्मकता से भरपूर होती है, जो युवाओं को महत्वपूर्ण मानव संसाधन बनाते हैं। युवा को अक्सर ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा जाता है जो ऐसी आयु के बीच होता है जहाँ वह अपनी अनिवार्य शिक्षा स्तर समाप्त करता है और इसी दौरान अपना रोजगार तलाश करता है।

ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोष में 'युवाओं को कम आयु' का होना, जीवन के शुरुआती हिस्से विशेष रूप से किशोरावस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था में उन व्यक्तियों का समावेश होता है जो 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में होते हैं 15 से 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को युवा के रूप में चिन्हित किया जाता है। इन दोनों आयु समूहों के 10 से 24 वर्ष की आयु समूह को समाहित करते हुए युवा कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवा आबादी को 15 से 29 वर्ष के आयुवर्ग के व्यक्तियों के तौर पर परिभाषित करती है।[1] **(डॉ0शिवंतिका शरद "युवा अवधारणा एवं पहचान" IGNU,BPCG172)**

दुनियाँ में युवा की जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सब के हिसाब से भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है। भारत 15 से 30 वर्ष आयु के बीच की उम्र के लोगों को युवा मानता है। उस हिसाब से हमारे देश की 27% जनसंख्या युवा है। चीन 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच वालों को युवा मानता है उस हिसाब से भारत की 35 प्रतिशत जनसंख्या युवा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 15 से 25 वर्ष के मध्य आयु वाले युवा हैं इस आधार पर भारत की 18 प्रतिशत जनसंख्या युवा हुई।[2] (दैनिक भास्कर 2020)। इस प्रकार युवाओं की आयु संबंधी परिभाषाओं में बहुत अंतर है फिर भी हम यह कह सकते हैं कि यह जीवन का वह दौर है जब कोई बचपन में समाज पर अपनी निर्भरता से वयस्कता की स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता है।

सोशल मीडिया : जब आधुनिक जनसंचार माध्यम उपलब्ध नहीं थे तब लोग संचार माध्यमों द्वारा संचार स्थापित करते थे। संचार के माध्यमों के विभिन्न प्रकारों में प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, गेम सिस्टम, लैपटॉप आदि) और डिजिटल मीडिया (इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल एप आदि) प्रमुख हैं। इनसे मानव जीवन विशेषकर युवाओं का जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इनका प्रभाव युवाओं की दैनिक गतिविधियों, अध्ययन, कामकाज, सामाजिक संबंध और व्यापक दृष्टिकोण पर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। वर्तमान पीढ़ी के युवा कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि के माध्यम से स्वयं को सोशल मीडिया के समृद्ध वातावरण में सम्मिलित किए रहते हैं। इनके अध्ययन से लेकर मनोरंजन तक सभी कार्य इन्हीं मीडिया उपकरणों के माध्यम से होते हैं। **six Degree** दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफार्म था जिसे **एंड्रयू विनरीच** ने वर्ष 1997 में बनाया था जो बाद में वर्ष 2001 में बंद हो गया। वर्ष 2002 में **LinkedIn** सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना हुई जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को करियर की सही दिशा दिखाना था। इसके बाद वर्ष 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक लाँच किया गया। फेसबुक के आने के बाद सोशल मीडिया एक अलग स्तर पर पहुँच गया। वर्तमान में फेसबुक के साथ–साथ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचौट, टिक–टॉक, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप आदि उपलब्ध हैं। हालाँकि टिक–टॉक भारत में जून 2020 से बैन हो गया है।

सोशल मीडिया एवं युवा : सोशल मीडिया ने हमारे संवाद करने के तरीकों में पूर्ण रूप से बदलाव किया है। हमारे पास असमिति जानकारी तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। हम दुनिया भर के लोगों से तुरंत जुड़ सकते हैं और हम महत्वपूर्ण चीजों को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया लोगो को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का प्रमुख साधन है। ऑनलाइन दुनिया युवाओं को एक मंच प्रदान करती है जिसमे उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात कहने का मौका मिलता है, हालांकि तेजी से विकसित हुए सोशल मीडिया का सामाजिक संरचना व पारस्परिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में युवाओं की भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों का पता लगाना भी महत्वपूर्ण है।[3] **(Dr. Linda Papadopoulos 2017)** अधिक समय इन मीडिया उपकरणों की आभासी दुनिया में व्यतीत करने के कारण बाहरी व वास्तविक दुनिया, समाज वह परिवार से इनका संपर्क कम हो जाता है। वे स्वयं को स्वतंत्र व स्वायत्त अनुभव करने लगते हैं। आज का युवा फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप जैसी मीडिया तकनीक के माध्यम से परिवार से परे अपने समकक्ष लोगों से एक आभासी दुनिया में जुड़ा रहता है और वास्तविक दुनिया से इसकी दूरी बढ़ने लगती है।

सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ता को अपनी पहचान आयु, लिंग, स्थान, शिक्षा व रूचियों के माध्यम से व्यक्त करनी पड़ती है। इसके लिए युवा अपने को उत्कृष्ट दिखाने के लिए आभासी पहचान का सहारा भी लेते हैं जो उनके स्वयं के लिए व दूसरों के लिए कभी–कभी घातक भी सिद्ध होता है। आभासी व झूठी पहचान के आवरण में स्वयं को छुपाते हुए वे स्वयं की वास्तविक पहचान वह गुणों को भूलने लगते हैं जो उनके व्यक्तित्व को धूमिल करते हैं। उनके वास्तविक व आभासी आत्म के बीच विरोधाभास बहुत व्यापक हो जाता है। ऑनलाइन आभासी दुनिया में आभासी पहचान के कारण कई बार व्यक्ति स्वयं व समाज की सीमाओं को पार कर जाता है क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार के सामाजिक अथवा पारिवारिक नियंत्रण का प्रभाव नहीं रहता है।[4]**(डॉ0 पारुल बंसल IGNU)**

आजकल युवा विभिन्न प्रकार के मीडिया सामग्री का सृजन कर ब्लॉग, चित्र, वीडियो, ट्वीट वह रील आदि के माध्यम से अपने स्वतंत्र और व्यक्तिगत विचारों को अपने समूह के साथ साझा कर रहे हैं। जिससे वे आर्थिक व मानसिक रूप से स्वयं को सशक्त अनुभव करते हैं। सोशल मीडिया से प्रभावित संस्कृति ने आज के युवाओं व किशोर के कौशल व रूचियों के अत्यधिक प्रभावित किया है। उनके सोचने व ज्ञान प्राप्त करने के तरीके पहले जैसे नहीं रहे। अब वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मीडिया तकनीक पर निर्भर हो गए हैं। मीडिया ही उनके अधिगम व सामाजिक प्राथमिकताओं को स्वरूप प्रदान कर रहा है। परन्तु कई बार विभिन्न समूहों व लोगों से जुड़ने या कुछ नई जानकारी प्राप्त करने की लालसा में युवा अजनबियों से जुड़कर जाने अनजाने समाज व देश विरोधी स्रोतों के संपर्क में आ जाते हैं। सोशल मीडिया युवाओं के लिए कई संभावित खतरों के साथ ही उनकी लत बनता जा रहा है।

सोशल मीडिया का उपयोग व आंकड़े : स्टेटिस्टा रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत मे वर्ष 2019 में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या 351 मिलियन थी जिसके वर्ष 2023 में बढ़कर 448 मिलियन होने की संभावना व्यक्त की गई थी। फेसबुक भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट है। 2019 में भारत में 270 मिलियन फेसबुक उपयोगकर्ता थे।प्रत्येक भारतीय औसतन सप्ताह में सोशल मीडिया पर 17 घंटे बिताता है। हाल के वर्षों में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल से प्रेरित इंटरनेट कनेक्शन और पहुँच की उपलब्धता में वृद्धि से भारतीयों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत की औसत आयु 27.1 वर्ष है। भारत में सोशल मीडिया के उपयोग में मुख्य योगदान इन्हीं मिलेनियल्स व जेन–जेड कहे जाने वाले युवाओं का ही है। सोशल मीडिया के 52.3 प्रतिशत परिणाम मिलेनियल्स से, 28.4% जेन–जेड से और 15.1% 35 से 44 वर्ष की आयु के लोगों से प्राप्त होते हैं। 97 प्रतिशत भारतीय इंटरनेट से जुड़कर ऑनलाइन वीडियो देखते हैं। भारत में डिजिटल बाजार में वॉट्सऐप के प्रवेश से इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग दोगुना हो गया है। भारत में 290 मिलियन लोग मोबाइल फोन के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं।[5] **(स्रोत– स्टेटिस्टा रिपोर्ट 2019 एवं कैंटर IMRB,ICUBE रिपोर्ट)**

सोशल मीडिया के प्रभाव : सोशल मीडिया का उपयोग आज के दौर में आवश्यक हो गया है। सोशल मीडिया के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। परंतु इसका अत्यधिक उपयोग अपने साथ अनेक समस्याएं भी लेकर आता है।

सकारात्मक प्रभाव : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामाजिक मेलजोल, खेलने और सीखने, ज्ञान अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। नए पुराने मित्रों से जुड़कर युवा अपने समान रूचियों वाले समूह का सदस्य बनते हैं और नए नए कौशल सीखते हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। इस युवाओं को शिक्षा व करियर बनाने के क्षेत्र में अनेक सलाह व सहायता सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है। साथ ही उनका संचार कौशल भी विकसित होता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर स्वयं को अभिव्यक्त करने में हिचकिचाहट नहीं होने के कारण युवा अधिक मुखर होते हैं और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

नकारात्मक प्रभाव : सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से युवाओं में कई शारीरिक व मानसिक समस्याएँ देखने को मिलती है। सोशल मीडिया किसी चीज से चूक जाने के डर FOMO को बढ़ावा दे सकता है। युवा इस आभासी दुनिया में किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति से स्वयं की तुलना करने लगते हैं। अवास्तविक अपेक्षाओं के पूरा न होने के कारण युवा असंतुष्ट रहते हैं यह असंतुष्टि उन्हें असुरक्षित अनुभव कराती है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से नींद की गुणवत्ता खराब होती है जिससे खराब स्वास्थ्य व अवसाद जैसी समस्याएं आती है।[6] (इमोजेन क्लिफोर्ड CBT क्लिनिक)

निष्कर्ष : हमें सोशल मीडिया के उपयोग के लिए एक सुरक्षित व सकारात्मक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। जिससे इसके सकारात्मक प्रभावों से युवा स्वयं को उन्नत, शिक्षित और रोजगार के क्षेत्र में सक्षम बना सकें। हमें सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलू पर विचार करना होगा। यदि सोशल मीडिया के उपयोग के समय व सामग्री को नियंत्रित करके सुरक्षित तरीके से उसका लाभ युवा उठाये तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया उनके अच्छे भविष्य को निर्धारित करने व सफल बनाने में सहयोगी सिद्ध हो सकता है और युवा स्वयं को सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से सबल व समृद्ध बना सकते हैं।

सन्दर्भ :

1. शरद, डॉ0 शिवंतिका, "युवायअवधारणा एवं पहचान", युवा जेंडर एवं पहचान, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, BPCG 172
2. दैनिक भास्कर, 2020

3. पापडोपोलोस, डॉ0 लिंडा, "हाउ डज सोशल मीडिया इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग पीपल" Internet matters-org, 2017
4. बंसल, डॉ0 पारुल, "युवा संस्कृति, मीडिया व वैश्वीकरण का प्रभाव" युवा जेंडर एवं पहचान सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू BPCG 172
5. Acumen- स्टेटिस्टा रिपोर्ट 2019 एंड कैंटर IMRD ICUBE डिजिटल एंड सोशल मीडिया लैंडस्कैप इन इंडिया, मई 2020
6. इमोजेन क्लिफोर्ड "द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ" ब्रिस्टल सीबीटी क्लीनिक यूके, नवंबर 2021
7. साहू, डी.आर. "मीडिया वायलेंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन यूथ : सोशियोलॉजिकल स्टडी इन सेलेक्टेड स्टेटस ऑफ इंडिया" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन ऐंड साइंस, 12(1)2019, 78
8. रावत, सुषमा, कुमार, आर. सतीश, वेंकटेश कुमार "स्टडी ऑफ इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ" जर्नल ऑफ मैनेजमेंट 6(1) 2019
9. https%//www-dristiias-com , सोशल मीडिया और युवा, 2021

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 28-31

वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में तुलसी के विचारों की प्रासंगिकता

डॉ0 रतन कुमारी वर्मा*

*एसो. प्रो. एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कालेज, प्रयागराज, उ0प्र0

सारांश : रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक ऐसा महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति का अक्षुण्ण स्रोत है। भारतवासी अप्रवासी के रूप में विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वे अपनी संस्कृति के साथ जीवन–यापन कर रहे हैं। जहाँ–जहाँ जिस भी देश में गये हैं, अपनी संस्कृति के साथ गये हैं और वहाँ पर उनकी संस्कृति निरन्तर पनप रही है। इस संस्कृति का मूल उत्स है 'रामचरितमानस' ग्रंथ। इस सन्दर्भ में अध्ययन विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित महत्वपुर्ण व प्रासंगिक है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : भारतीय संस्कृति, अप्रवासी, मानवीय मूल्य, वर्णाश्रम व्यवस्था आदि।

प्रस्तावना : वर्तमान समय में चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजा यानी शासक को लेकर जबरदस्त संघर्ष है। विश्व के लोग शान्ति के साथ जीवन–यापन नहीं कर पा रहे हैं। विभिन्न देशों में जो संघर्ष हो रहा है, युद्ध हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण असंतोष है, भौतिकता है, मानवीय मूल्यों का ह्रास है। किसी भी देश के शासक में, सत्ता में जितना अधिक मानवीय मूल्य होगा, वह देश उतनी ही शान्ति के साथ जी सकेगा, वहाँ की प्रजा सुखी रह सकेगी। उस देश की शिक्षा की नींव मजबूत होगी, युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, राष्ट्र का विकास होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के कारण सामाजिक जीवन भी अच्छा होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्ध होने से लोगों की औसत आयु लम्बी होगी और लोग सुखी रहेंगे।

प्रथम विश्व युद्ध 1914–1918 की बात हो या द्वितीय विश्व युध्द 1939–1945 की बात हो या वर्तमान परिदृश्य में रूस–यूक्रेन, नाटो देशों की भूमिका, अमेरिका–अफगानिस्तान, इस्राइल, खाड़ी देशों की समस्या हो या भारत–पाकिस्तान, चीन, एशियाई देशों में आतंकवादी घटनाओं के कारण निरन्तर तनाव की स्थिति का बने रहना हो या भारत पाकिस्तान और चीन के मध्य युद्ध की विभिन्न स्थितियाँ रही हों, हमेशा नुकसान प्रजा का ही हुआ है। युद्ध शुरू होते ही पूरा विश्व प्रभावित होता है। रूस–यूक्रेन का युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले भारतीय छात्र प्रभावित हुए, जो विभिन्न आशाओं आकांक्षाओं को लिए हुए अपना देश छोड़कर यूक्रेन में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गये थे। चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए गये थे या अभियांत्रिक या वाणिज्यिक क्षेत्र के अध्ययन हेतु गये थे। सभी छात्रों का जीवन अधर में लटक गया और उनके परिवार की अर्थव्यवस्था भी तहस–नहस हो गयी ।

जब भी इन कारणों पर विचार करते हैं तो समाधान के रूप में 'रामचरितमानस' हमारा पथ–प्रदर्शन करता है। 'रामचरितमानस' में एक राजा को कैसा होना चाहिए? राम के व्यक्तित्व के माध्यम से जन–मानस पर अमिट छाप पड़ती है। एक शासक अपनी प्रजा का किस तरह ख्याल रखता है। साथ ही साथ मानवता के सर्वोच्च मूल्यों का सबसे बड़ा संदेशवाहक है। एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, पिता, मित्र, अमीर–गरीब में समानता का भाव, जातिगत संकीर्ण मानसिकता का प्रक्षालन, शुद्ध अन्तःकरण से सभी के प्रति प्रेम एवं सम्मान की भावना, विपरीत परिस्थितियों में सामंज्जस्य बनाने की अद्‌भुत क्षमता, शत्रु के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार इत्यादि गुण राम को मर्यादा पुरूषोत्तम रामचन्द्र के रूप में स्थापित करते हैं।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा निरन्तर नैतिक मूल्यों का ह्रास होना है। भौतिकता की आँधी में मानवीय संवेदना विलुप्त होती जा रही है। मानवीय बने रहने के लिए संवेदना, सहानुभूति, प्रेम, परोपकार, सम्मान, समानता की भावना का उद्रेक होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना मनुष्यता का विकास नहीं हो सकता, अपितु मनुष्यता के विपरीत जो दानवता के दोष हैं, वे मनुष्य में हावी हो जाते हैं और वे मनुष्यता के व्यक्तित्व को विनिष्ट करते हैं। उन सभी के लिए राम एक नायक हैं जो लोग राम की भाँति अपने व्यक्तित्व में उन मानवीय गुणों का विकास करना चाहते हैं। मानस में पंक्ति आती है–

"काज हमार तासु हित होई। रिपु सो कसक बतकई सोई।"[1]

मानस में जहाँ केवल सभी के लिए मंगलकामना ही नहीं की जाती, अपितु शत्रु के हित के विषय में भी चिन्तन करने की परंपरा है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों में वर्तमान समय में ही टकराहट हो रही है अपितु प्रत्येक काल, समय तथा परिस्थिति में हमेशा इन दोनों शक्तियों में द्वन्द रहा है, संघर्ष रहा है। यह प्रकृति का सत्य है। जब–जब दानवता हावी हुई है, मनुष्यता दुःखी हुई है। पन्द्रहवीं शताब्दी के तुलसी ने अपने समय की परिस्थितियों का सम्यक् विवेचन किया है–

"दारिद दसानन दबाई दुनी दीनबन्धु।
दुरित दहन देखि तुलसी हहा करी।"[2]

मानस के उत्तर काण्ड में भी उस समय की यथार्थ परिस्थितियों का वर्णन निम्न पंक्तियों में हुआ है–

"नृप पाप परायन धर्म नहीं
करि दण्ड विडम्ब प्रजा नित हो।"[3]

तुलसीदास जी ने दैन्य, गरीबी की पीड़ा को स्वयं भोगा था। अपमान को सहा था, इसके भोक्ता थे, इसलिए इसका वर्णन करते हुए कहते हैं–

"बड़ दुःख कवन कवन सुख भारी।"[4]

गरूण के इन प्रश्नों के उत्तर में काकभुसुण्डि कह उठते हैं–

"नहिं दरिद्र सम दुःख जग माहीं।"[5]

समाज में जब सामाजिक मूल्यों का ह्रास होता है तब सम्मान की क्या स्थति होती है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है–

"सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव, विप्र श्रुति संत विरोधी।

गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरूष अभागी।"[6]

तुलसीदास अपने समय के समाज में व्याप्त समस्त विद्रूपताओं को बहुत गहरे ढंग से समझते थे। यही कारण है कि उस समय समाज में व्याप्त घोर अनैतिकता, दरिद्रता, अंधविश्वास का विभिन्न सादृश्य विधाओं के माध्यम से अनेकानेक वर्णन किया है। साथ ही राज व्यवस्था कैसी हो? राजा कैसा हो? यदि राजा में भी उक्त अवगुण हैं तो वह राजा बनने का अधिकारी नहीं है–

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवसि नरक अधिकारी।।"[7]

जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी न हो उस राजा को नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। जब राजा प्रजा का हित चाहने वाला नहीं होता है तो प्रजा को अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है–

बरन–धनमु गयो, आश्रम निवांस तज्यो,
त्रासन चकित सो परावनों परो–सो है।
कामु उपासना कुवासना बिनास्यो ग्यानु,
वचन–विराग, वेष जगत हरो सो है।"[8]

अज्ञानता के अंधकार और शोषण के कारण प्रजा दुःखी रहती है। इसलिए राजा ऐसा होना चाहिए कि वह हमेशा प्रजा के हित का ध्यान रखे।

तुलसीदास ने जिस राम का वर्णन किया है वह अखिल विश्व के लिए प्रेरणास्रोत हैं। 'रामचरितमानस' में राम के साथ जितनी प्रमुख घटनायें घटती हैं, हमेशा जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, राम हर एक अग्नि परीक्षा में तप पर कुंदन की भाँति और प्रकाशमान होकर निकलते हैं। जैसे सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। कैकेयी के द्वारा राम के राज्यभिषेक का विरोध और भरत के लिए राजतिलक की माँग ही राम परिवार में सबसे पहली बड़ी समस्या बनकर उभरती है। राम स्वयं ही इस रीति पर प्रश्नचिन्ह लगाते है। उनकी दृष्टि में यह उचित नहीं हैं–

"गुरू सिख देइ राउ पहँ गयऊ। राम हृदय अस बिसमय भयऊ।
जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई।
करनबेध उपबीत बियाहा। संग संग सब भए उगाहा।
बिमल बंस यह अनुचित एक। बन्धु बिदाई बड़ेहि अभिषेकू।"[9]

सारा जग जानता है कि भरत राम को अति प्रिय थे। स्वाभाविक है कि अपने भाइयों की सदा प्रशंसा किया करते थे। चित्रकूट में ऋषि वशिष्ठ से भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं–

"नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। मयऊ न भुवन भरत सम भाई।
जे गुरू पद अम्बुज अनुरागी। ते लोकहुँ बेदहुँ बड़ भागी।
राउर जा पर अस अनुराग। को कहि सकई भरत कर भागू।
लखि लघु बन्धु बुध्दि सकुचाई। करत बदन पर भरत बड़ाई।"[10]

राम राग–द्वेष से परे हैं। उचित–अनुचित का उन्हें सदा विवेक है। वह स्थितिप्रज्ञ के मूर्तिमान रूप हैं। माता कैकेयी के द्वारा वनवास दिये जाने पर भी कभी उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करते हैं। चित्रकूट में जब सभी माताएँ उनसे मिलने आती है तो सबसे पहले विमाता कैकेयी के चरन स्पर्श करते है, उनको सान्त्वना देते हैं, उनके सारे कार्यों के लिए काल, धर्म और विधाता को दोषी ठहराते हैं। माता कौशल्या से बाद में मिलते है। तुलसीदास जी कहते है–

"देखी राम दुखित महतारी। जनु सुबेलि अवली हिम भारी।
प्रथम राम भेटी कैकेयी। सरल सुभाय भगति मति भेई।
पा करि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम विधि सिर धरि खोरी।"[11]

राम के द्वारा माता कैकेयी का इस तरह स्वागत किया जाना राम के व्यक्तित्त्व को ऊपर उठाता है। उच्च नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना करता है। परशुराम चतुर्वेदी ने राम के समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि– "जिस 'राम' को आदि कवि ने एक स्पष्ट और स्वाभाविक वेश में देखा था, उसका गोस्वामी जी ने विविध सामाजिक मर्यादाओं के बीच स्वागत किया और उसे पूर्ण ईश्वरत्व भी दे दिया। इस प्रकार मानस की राम कथा का मूल्यांकन करते समय उसे 'मानस' कालीन परिस्थितियों के मध्य रखकर भी देखना होगा। यह कवि अपने समय का सच्चा भारतीय था और इस कथा के माध्यम के द्वारा वह जो कुछ करने में समर्थ हुआ, वह उसके सांस्कृतिक आदर्श की समुचित रक्षा तथा उसके अंगो की वाह्य विशेषताओं में समन्वय लाने के प्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यों में ही द्रष्टव्य है। उसने उस कथा को ऐसे साँचे में ढाला जो यहाँ के किसी भी सामाजिक स्तर के समक्ष अपरिचित नहीं जान पड़ा और उसने अपने राम एवं सीतादि के ऐसे सजीव चित्र खींचे जो उन सभी के लिए वास्तविक व्यक्ति प्रतीत होने लगे।"[12]

राम जहाँ आदर्श पुत्र है, आदर्श भ्राता है, आदर्श राजा है, वहीं प्रजा के साथ मित्रवत् व्यवहार है। निषादराज गुह को अपना मित्र बनाकर गले लगाना, वानर और रीछ जैसी वनचर जातियों को अपनाना, शबरी नामक भीलनी की कुटियाँ में बैठकर उसके दिये गये जूठे बेर को सप्रेम ग्रहण करना, सुग्रीव और विभीषण को अपना मित्र बनाना उनके समदर्शी व्यक्तित्व की मिशाल है। जो राम से प्यार करता है। राम सभी से प्यार करते हैं। प्रारंभिक मित्रता में सुग्रीव का विश्वास राम के प्रति कम होता है परन्तु बाद में मित्रता प्रगाढ़ता में बदल जाती है। सुग्रीव की अपेक्षा से अधिक जब सामर्थ्यवान दिखाई पड़ते हैं तब सुग्रीव की आस्था राम के प्रति और बढ़ जाती है। उनके भाव बदल जाते है। उनके अन्तर्भाव को समझकर राम सुग्रीव से कहते हैं–

"जो कुछ कहेहु सत्य सब सोई, सखा वचन कम मृषा न होई।"

इस मैत्री का परिणाम यह होता है कि शीघ्र ही सुग्रीव किष्किंधा के राजा और राम के अभिन्न मित्र एवं सहायक बन जाते हैं। विभीषण के साथ भी राम की मित्रता होती है और उनसे मिलते ही उन्हें लंकेश की उपाधि से विभूषित करते हैं। राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विभीषण को अपने संग्राम का प्रधानमंत्री बना लिया। भाई लक्ष्मण के विरोध करने पर भी हमेशा विभीषण की बातों को अधिक महत्व दिया जिससे समुद्र पर रास्ता, रावण की नाभि में धनुष से प्रहार और अन्ततः विजय प्राप्त करने में राम को सफलता मिलती है।

तुलसीदास के समय में वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था प्रायः नष्टप्राय हो चुकी थी। उनके समक्ष मूल समस्या थी आर्य संस्कृति को सुदृढ़ करना। वर्णाश्रम व्यवस्था में आने वाली सभी जातियों मे परस्पर प्रीति हो, सद्भाव हो, आपस में मिल–जुल कर रहे। राम के व्यक्तित्व के माध्यम से सभी प्राणियों, पक्षियों, पेड़–पौधों को भी प्रेम और अनुराग से जोड़ते हैं। सभी वर्ग संघर्ष विहीन शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे–

"बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग।
चलहिं सदा पावहिं सुखहिं नहिं भय न शोक न रोग।"[13]

इतिहासकार एवं आलोचक शिवकुमार मिश्र ने मानस में निहित विशेषताओं को उल्लिखित करते हुए कहा है– "गोस्वामी जी की सफलता का महत्वपूर्ण कारक उनकी लोकचित्र सम्बन्धी बहुज्ञता है, साधारण जनता के मनोविज्ञान तथा सामाजिक आचरण की उनकी समझ है। उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के गहरे अनुभव हैं और इन सबको भक्ति तथा कविता से सम्यक् रूप में जोड़ पाने की उनकी रचना सामर्थ्य है। मानस कथा काव्य है, उसमें विविध प्रकार के चरित्र है, भावों और मनोदशाओं का वैविध्य है। कथाएँ और कथाओं की अन्तर्धाराएँ हैं, नाना पुराण निगम और आगमों का सार है तथा 'कुछ और' भी है, अर्थात् राम के रूप की वह संकल्पना है जो न वाल्मीकि दे सके है न भवभूति तथा उनके अन्य पूर्ववर्ती। वह तुलसी की मौलिक देन है जहाँ राम ईश्वर भी हैं, ब्रह्म भी, मर्यादा पुरूषोत्तम भी और अयोध्या के राजकुमार, रावण जैसी शक्ति के हंता, सीता के पति, सुग्रीव एवं विभीषण के मित्र, किसी के भाई, किसी के स्वामी, किसी के पुत्र। ईश्वरीय रूप के साथ मानवी रूप और मानवीय नाते–रिश्तों में बँधकर राम की इस संश्लिष्ट छवि को तुलसी ने अपनी कल्पना, अपनी आस्था और साधारण जनता की राम के प्रति मनोभावना से एकमेक करके अद्भुत रूप से गढ़ा है। राम के साथ यहाँ एक पूरा का पूरा समाज है, अयोध्या में भी, चित्रकूट में भी और वन में भी। मित्र समाज भी और शत्रु समाज भी। गोस्वामी जी ने इन सबको लेकर बुनी गई अपनी कथा में अपनी सामाजिक और दार्शनिक सोच को इस तरह घुला मिला दिया है कि उससे पृथक् उनकी कथा का अपना कोई वजूद ही नहीं रह जाता है। उनकी राम कथा को उनकी सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक सोच और आस्था के साथ समग्रतः आस्वाद का विषय बनाया जा सकता है।"[14]

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने यह माना है कि मानस में जीवन की समग्रता का सम्यक् चित्रण हुआ है। मूलभूत मानवीय सम्बन्धों की तुलसी ने विशद् व्याख्या की है। राम को वापस लाने के लिए सपरिवार भरत का चित्रकूट जाना और निवेदन करना बहुत ही भावुकतापूर्ण दृश्य उपस्थित करता है। इसिलए ऐसे पारिवारिक मिलन–सभा को 'आध्यात्मिक घटना' का नाम देना अत्यन्त तर्कसंगत है। तुलसी की भावुकता का विवेचन करते हुए आलोचक लिखते हैं– "यह संभावना उस समाज के भीतर बहुत से भिन्न–भिन्न वर्गों के समावेश द्वारा संघटित की गई है। राजा और प्रजा, गुरू और शिष्य, भाई और बहन, माता और पुत्र, पिता और पुत्री, श्वसुर और दामाद, सास और बहू, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ब्राह्मण और शूद्र, सभ्य और असभ्य के परस्पर व्यवस्था का व्यवस्थित प्रसंग के धर्मगांभीर्य और भावोत्कर्ष के कारण अत्यन्त मनोहर रूप प्रस्फुटित हुआ।"[15]

रामकथा में तीन घटनाएं सबसे प्रमुख हैं– राम का राज्याभिषेक न होकर वन गमन करना, कैकेयी के द्वारा इस तरह का वरदान माँगा जाना और सीता का हरण होना। कथा का सूत्रपात कैकेयी के वरदान माँगने से प्रारम्भ होता है। बाद में सभी घटनाएँ स्वतः एक–एक कर घटती जाती हैं और निमित्त बनती जाती हैं। तुलसीदास कैकेयी के ऐसा किये जाने पर भी उनको दोष नहीं देते, अपितु अन्य विचारों द्वारा कैकेयी के व्यक्तित्त्व का संरक्षण करते हैं। परंपरागत वर्णन यह प्राप्त होता है कि देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती ने कैकेयी की मति फेर दी थी। तुलसीदास स्वयं अपने वर्णन में कहते हैं– " 'गई गिरा मति फेरि' कहकर। वे चाहते तो अन्य कवियों की तरह उनके कथा विधान के लिए यह पर्याप्त था। 'परिवार' भारतीय संदर्भ में व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली अनिवार्य कड़ी है। व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों का प्रशिक्षण देने की पहली पाठशाला परिवार है, जहाँ स्नेह, सहिष्णुता, सेवा के मूल्य वह सर्वप्रथम यहीं सीखता है। व्यक्ति और समाज के बीच उपजने वाले द्वन्द को समस्त और व्यवहार की नोकों को बराबर करना परिवार का दायित्व है। यह भारतीय परिवार 'रामचरितमानस' की आरंभ से लेकर अंत तक एक मुख्य 'चिंता' है।"[16] कैकेयी के व्यक्तित्त्व में दोष न दिखाकर अपितु देवी–देवताओं के माध्यम से मति में परिवर्तन दिखाकर परिवार के मूल्यों की रक्षा करते हैं। गलती हो जाने पर भी माफ करना, सहिष्णुता का पाठ सिखाते हैं। चित्रकूट की सभा में जिस तरह से पारिवारिक मिलन होता है, छोटे–बड़े सभी अपने ढंग से बहुत ही शिष्ट और मर्यादा के साथ अपनी बात रखते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए प्रेम एवं आदरपूर्वक एक–दूसरे से आग्रह करते हैं, यह घटना सभी पाठकों के हृदय को छू लेती हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में अपनी मान मर्यादा के साथ कैसे धर्म की रक्षा की जाती है। कैसे विपरीत परिस्थितियों में पारिवारिक सामंज्जस्य बनाया जाता है। "मानवीय सम्बन्धों तथा व्यापक जीवन मूल्यों की 'लोक–वेद' के सापेक्ष संदर्भ में जैसी सूक्ष्म तथा अनुभूतिपूर्ण मीमांसा भरत के निमित्त से आयोजित चित्रकूट सभा में हुई, यह अद्वितीय है। विश्व साहित्य में भी उसके जोड़ का कोई आयोजन अन्यत्र हुआ है, ऐसा स्मरण नहीं आता। अतः शुक्ल ने इस सभा को जो एक विंब में "आध्यात्मिक घटना " कहा है, वह बड़ा ही सटीक निरूपण है।"[17]

आध्यात्मिक घटना के माध्यम से सम्पूर्ण संसार को अद्वितीय नैतिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश निःसृत होता है। इन नैतिक मूल्यों का मूल उत्स है त्याग और प्रेम। यदि हम विश्व स्तर पर इन मूल्यों को अपना ले तो सारे संसार का कष्ट संपूर्णतः मिट तो नहीं सकता पर कम जरूर हो जायेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है। कोई भी परिवार इस घटना से सबक लेता है तो निश्चित ही उसके परिवार का कलह मिट जायेगा। द्वेष का स्थान प्रेम ले लेगा। स्वार्थ की जगह पर परमार्थ की भावना उत्पन्न होगी। भारतीय संस्कृति के मूल्यों का मूल स्रोत यहीं भावनाये हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं– " 'आध्यात्मिक घटना' कहने का अर्थ यही होगा कि यहाँ शुध्द व्यवहार जगत की समस्याओं का ऐसा उदात्त विवेचन हुआ कि वह सहसा अध्यात्म का स्तर पा लेता है। भरत के हृदय की ग्लानि, उनका राम से अनुरोध कि वे वापस अयोध्या चलकर राज–काज संभालें और वन में भरत स्वयं उनके स्थानापन्न हों, राम द्वारा पिता की आज्ञा की व्याख्या, परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रियाएँ, ऋषि–मुनियों का तर्क–वितर्क में हस्तक्षेप, अन्ततः भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित करने के लिए राम की खड़ाऊँ ले जाने पर समझौता प्रक्रिया की दृष्टि से यह समूचा क्रम बड़ी से बड़ी संविधान विधानसभाओं की कार्यवाही को पीछे छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर नैतिक संदर्भों में ऐसे सहज व्यवहार उपस्थित करता है जो सदा के लिए मानवीय आचरण के प्रतिमान बन जाते हैं।"[18]

तुलसीदास मानस में धर्म की व्याख्या भी अत्यन्त उदार रूप में करते हैं। प्रत्येक काल में धर्म को लेकर विद्वानों के विभिन्न मत रहे हैं। समाज में यथार्थ के धरातल पर प्रत्येक धर्म में धार्मिक संकीर्णता के उदाहरण आपको मिल जायेंगे। परन्तु तुलसी जिस धर्म की व्याख्या करते हैं, वह सभी धर्मों का सार है, उदात्त रूप है–

"परहित सरिस धर्म नहिं भाई।
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।।"[19]

हमेशा दूसरों का कल्याण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों को पीड़ा पहुँचाने से बढ़कर निकृष्टता का और कोई पैमाना नहीं है। राम का व्यक्तित्त्व इन सभी बिन्दुओं पर खरा उतरता है। राम सहृदय हैं, अत्यन्त कृपालु हैं। यही कारण है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु 'राम' हैं। राजा के रूप में राम का व्यक्तित्त्व समस्त शीर्षस्थ नैतिक प्रतिमानों का चरमोत्कर्ष रूप प्रस्तुत करता है। इसलिए राम का व्यक्तित्त्व सदा अनुकरणीय है। विश्व में व्याप्त अनैतिकता, मूल्यहीनता, भौतिकता, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, युद्ध आदि को मिटाने के लिए, उसके समूल विनाश के लिए राम का व्यक्तित्त्व एक आदर्श है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण के रूप में तुलसी ने राम के व्यक्तित्त्व की रचना के द्वारा समस्त जनता का पथ–प्रदर्शन किया है। ऐसे समय में जब प्रायः अधिकांश देश के शासकों, राजाओं में नैतिकता, त्याग का ह्रास दिखाई पड़ता तो उसका परिणाम समस्त विश्व की जनता को भुगतना पड़ता है। शान्ति और प्रेम की स्थापना के लिए राम का आदर्श अमोघ शस्त्र है। इनके व्यक्तित्त्व का अनुकरण कर वैश्विक स्तर पर शान्ति की स्थापना की जा सकती है और समस्त प्रजा सुख–शान्ति से बैर भाव को त्यागकर अपने–अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रेमपूर्वक जीवन यापन कर सकती है।

सन्दर्भ :

1. तुलसीदास, कवितावली, 7/97
2. तुलसीदास, रामचरितमानस, 7/100, ख–6, गीता प्रेस
3. ,, वही, 7/100, ख–13, गीता प्रेस
4. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, 121क, गीता प्रेस, सचित्र सटीक मोटा टाइप, पृ0 116
5. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, 121क, गीता प्रेस, सचित्र सटीक मोटा टाइप, पृ0 117
6. ,, ,, दोहा संख्या– 98, सोरठा– 98 ख, चौपाई संख्या– 2, गीता प्रेस, मझला सटीक, पृ0 921,
7. ,, ,, वही, दोहा संख्या– 70, चौपाई संख्या–3, पृ0 363
8. तुलसीदास, कवितावली, उत्तरकाण्ड, पृ0 84, पृ.107 गीता प्रेस
9. तुलसीदास, रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 10
10. तुलसीदास, ,, ,, , 259
11. तुलसीदास, ,, , 244
12. चतुर्वेदी, आचार्य परशुराम, मानस की रामकथा, प्रस्तावना, पृ0 04
13. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, दोहा संख्या–20, पृ0 853
14. मिश्र, शिवकुमार, 2015, भक्ति आन्दोलन और भक्ति काव्य, लोक भारती प्रकाशन, पृ0 202
15. चतुर्वेदी, रामस्वरूप, 2015, भक्तिकाव्य यात्रा, लोकभारती प्रकाशन, पृ0 70
16. वही, पृ0 73
17. वही, पृ0 83
18. वही, पृ0 83
19. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, दोहा–41, पृ0 932, गीता प्रेस, मोटा सटीक

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 32-34

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और महात्मा गाँधी

देवेशचन्द्र*
*असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इतिहास), राजकीय महाविद्यालय, जखोली, रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड

सारांश : भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए प्रारम्भ हुआ था। भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अनेक सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणों से भारतीयों के मन में राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ और इसी राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना ने भारतीय जनमानस के मन में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात किया। कालान्तर में, यही आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ और इसी के नेतृत्व में भारतीयों ने साहसपूर्ण एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया, जिसको भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस आन्दोलन अथवा राष्ट्रवादी आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। इस राष्ट्रीय आन्दोलन का महत्वपूर्ण कारण विदेशी अधिपत्य को मुँहतोड़ जवाब देना था। उसी के परिणामस्वरूप लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास के लिए बौद्धिक, भौतिक और नैतिक परिस्थितियाँ तैयार हुई। इस आन्दोलन की जड़ में भारतीय और अंग्रेजों के हितों का आपस में टकराव था। अंग्रेजों ने अपने हितों का पूरा ध्यान रखा और भारतीयों को अपने अधीन बनाया। जबकि दूसरी तरफ भारतीयों की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और आर्थिक क्षति हुई। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण ही भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने में सहायता मिली। सारांश रूप में कहें तो विदेशी साम्राज्य का अपना चरित्र तथा भारतीय जनता पर उसका हानिकारक प्रभाव इन बातों के कारण ही भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य विरोधी आन्दोलन का धीरे–धीरे जन्म व विकास हुआ। यह आन्दोलन एक राष्ट्रीय आन्दोलन था क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गो और समुदायों के लोगों को प्रेरित कर रहा था कि वे अपने मतभेद भुलाकर अपने शत्रु के खिलाफ एकजुट हों और इस राष्ट्रीय आन्दोलन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्धारण करें।

मुख्य शब्द : ब्रिटिश सरकार, भारतीय राजनीति, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, धार्मिक, बौद्धिक, आर्थिक आदि।

प्रस्तावना : ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करने के लिए भारत के अनेक राजनेता एवं महापुरूषों ने सक्रियता के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी सहभागिता प्रारम्भ कर दी। जिनमें मुख्य रूप से दादा भाई नेरौजी, मोतीलाल नेहरू, बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, विपिनचंद्रपाल और महात्मा गाँधी प्रमुख थे। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गाँधी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तिलक के देहावसान के बाद महात्मा गाँधी देश के सर्वमान्य नेता थे। गाँधी जी का व्यक्तित्व अंहिसक क्रान्ति के उदय और सफलता का एक अतिशय महान कारण था। गाँधी जी सत्य के और अहिसा के पुजारी थे। राजनैतिक सफलता के द्वारा वे विश्व के सामने अहिंसा के विराट सामाजिक और राजनैतिक रूप का प्रकटीकरण करना चाहते थे। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारतीय राजनीति में एक नये युग का आरम्भ हुआ और इसी युग को गाँधी युग कहते है। सन् 1917 से 1947 तक भारतीय राजनीति गाँधी जी के हाथों में रही। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का उन्होने पथ प्रदर्शन किया और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के हथियारों (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, असहयोग) से लैस किया और उसे नवीन दर्शनिक आधार प्रदान किया। वास्तव में गाँधी जी और उनका युग ही भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की सच्ची कहानी है।

महात्मा गाँधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ई0 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबन्दर नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में हुआ था। सन् 1887 ई0 में वे इंग्लैण्ड चले गये और बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त की। 1891 ई0 में वह भारत लौटे और उन्होंने वकालत प्रारम्भ की। 1893 ई0 में वे एक मुकदमें की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गये। और वहीं उनका सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन प्रारम्भ हुआ। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जाति और रंगभेद की नीति को उन्होंने हिलाकर रख दिया। गाँधी जी ने अनवरत कष्टों में अहिंसा व त्याग के परिणामस्वरूप अपने जीवन में कठिन से कठिन कार्य किये और दक्षिण अफ्रीका और भारत के लोगों की स्थिति में प्रर्याप्त सुधार किया। गोपालकृष्ण गोखले के शब्दों में – ''बिना किसी प्रकार के स्वार्थ या लान्छन के उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए महान संघर्ष किया और इसके लिये भारत सदैव ही उनका ऋणी रहेगा।''[1]

मोहनदास कर्मचन्द गाँधी केवल एक राजनेता ही नही बल्कि समाज सुधारक, दार्शनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रणेता थे। श्री के.एम.मुन्शी के शब्दों में – ''उन्होंने अराजकता पायी ओर व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया, कायरता पायी और उसे साहस में बदल दिया। अनेक वर्गो में विभाजित जन समूह को राष्ट्र में बदल दिया, निराशा को सौभाग्य में बदल दिया और बिना किसी प्रकार के हिंसा या सैनिक शक्ति का प्रयोग किये एक साम्राज्यवादी शक्ति का अन्त कर विश्व शक्ति को जन्म दिया। इससे अधिक न तो कोई व्यक्ति कुछ कर सका है और न कर सकता है।''[2]

जिन दिनों महात्मा गाँधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। यद्यपि गाँधी जी में राष्ट्रीयता की भावना कूट–कूट कर भरी हुई थी पर वे ब्रिटिश सरकार के प्रवल समर्थक में से एक थे। इस समय वे उदारवादी नेताओं की तरह अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास करते थे और अपने आपको ब्रिटिश साम्राज्य का नागरिक होने पर गर्व का अनुभव करते थे। अतः भारत आने पर उन्होंने गुजरात के गाँव में घूमना प्रारम्भ किया और अपने देशवासियों से यह अपील की कि वे विश्वयुद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करें। हालांकि वे इस समय सक्रिय राजनीति से अलग थे। परन्तु वे इससे खुद को बहुत समय अलग नही रख सके। और उन्होंने शीघ्र ही भारत में सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग किया। ''सन् 1917 ई0 में चम्पारण में महात्मा गाँधी का आव्हान किया वहाँ पर नील की खेती होती थी और अंग्रेज उनके मालिक थे वे लोग किसानों पर तरह–तरह के अत्याचार करते थे। महात्मा गाँधी ने किसानों की कठिनाई के बारे में सूक्ष्म जाँच पड़ताल की ओर वे उनके कष्टों को दूर करने में सफल हुये। इससे गाँधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ गयी और अंग्रेजों को भी इस बात का आभाश हो गया कि यह व्यक्ति भविष्य में ब्रिटिश भारत के लिए खतरा होगा।''[3]

यह वह समय था जब विश्व के प्रमुख राष्ट्र दो भागों में बँट चुके थे तथा 1914 ई0 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो चुका था। क्योंकि इस समय भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था तथा गाँधी जी ने भी विश्व युद्ध में इग्लैण्ड का साथ देने की जनता

से अपील की थी। युद्ध के समय अनिवार्य सैनिक कानून लागू किया गया था। सन् 1918 ई0 में विश्व युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैण्ड व उसके सहयोगी देशों की विजय होने पर युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के लिए जो आश्वासन दिये गये थे उनसे ब्रिटिश सरकार मुकरने लगी। परिणामस्वरूप जगह–जगह आन्दोलन प्रारम्भ हो गये। इन आन्दोलनों को ओर अधिक उग्र रूप देने के लिए रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड और खिलाफत आन्दोलन के रूप में सामने आने लगा। इसी के परिणामस्वरूप महात्मा गाँधी ने 1920 ई0 में असहयोग आन्दोलन की भूमिका तैयार की। 1 अगस्त 1920 को गाँधी जी ने अहसयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। तत्कालीन वायसराय को एक नोटिस दिया जिसमें लिखा था, कुशासन करने वाले शासकों को सहयोग देने से इन्कार करने का अधिकार हर आदमी को है। इस दिन ही तिलक जी का निधन हो गया और पूरे देश में आन्दोलन प्रारम्भ कर दिये। जगह–जगह हड़ताले होने लगी, प्रदर्शन हुए, सभाएँ आयोजित की गयी ओर कुछ लोगों ने उपवास भी रखा। इनमें महात्मा गाँधी जी भी थे। इस आन्दोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात थी विदेशी शिक्षा, विदेशी वस्त्र, विदेशी उपाधियाँ, विदेशी स्कूल का परित्याग ओर असहयोग''[4]

इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देना था जिसमें मुख्यतयः राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, पंचायतों का गठन, हाथ से कताई, बुनाई को प्रोत्साहन, हिन्दु मुस्लिम एकता को बढ़वा देना और संवैधानिक एवं वैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति। परन्तु अहिंसक और असहयोगात्मक रवैया से प्राप्त करना था। इस आन्दोलन के पश्चात गाँधी का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया था कि वह किसी भी नेता के विषय में नही दिखाई पड़ता था। इस बारे में तत्कालीन भारत सचिव ने लिखा था कि, आन्दोलन इतना जोरादार है कि सरकार को अभूतपूर्व भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को छिपाया नही जा सकता है कि सम्भावनायें बड़ी खतरनाक है।''[5] संक्षेप में, असहयोग आन्दोलन असफल होने के उपरान्त भी सम्भवतः सफल ही सिद्ध हुआ।

असहयोग आन्दोलन की लहर ठीक ही चल रही थी परन्तु 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी–चोरा नामक स्थान पर असहयोग आन्दोलनकारियों के जन समूह की एक अनियंत्रित भीड़ ने 22 पुलिस वालों को थाने में बन्द कर आग लगा दी और वह पुलिस वाले जलकर खाक हो गये। गाँधी जी को भय था कि जन उत्साह और भीड़ हिंसक आन्दोलन का मोड़ ले सकता है और गाँधी जी का हिंसा से कोई सम्बन्ध नही था। परिणामस्वरूप उन्होंने यह आन्दोलन स्थगित कर दिया । इस आन्दोलन को अचानक स्थगित करने से बहुत सारे सहयोगी उनसे असंतुष्ट हो गये और एक नये दल स्वराज्य दल की स्थापना की गयी। आन्दोलन स्थगित करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैद कर लिया।

1922 से 1927 तक का काल बाढ़ ही अशान्ति काल रहा। इस समय में साइमन कमिशन का भारत आगमन एवं बहिष्कार, स्वराज दल की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव एवं 26 जनवरी 1930 का स्वाधीनता घोषणापत्र इन सम्पूर्ण राजनैतिक घटनाओं ने महात्मा गाँधी जी के मन में स्वदेशी भक्ति और आत्मबलिदान के अंगारे पुनः प्रज्ज्वलित कर दिये। इन सभी के परिणामस्वरूप 12 मार्च 1930 ई0 को गाँधी जी के प्रसिद्ध दाड़ी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आान्दोलन/नागरिक अविज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इस दिन 78 चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर गाँधी जी ने साबरमती आश्रम से चले ओर लगभग 375 कि.मी. दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दाड़ी गाँव पहुँचे उनकी यात्रा, उनके भाषणों तथा जनता पर उनके प्रभाव की रिपोर्ट प्रतिदिन समाचार पत्रों छपती रही। रास्ते में पड़ने वाले गाँव के सैकड़ों अधिकारियों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। 6 अप्रैल 1930 ई0 को गाँधी दांड़ी पहुँचे और समुद्र तट से एक मुठ्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा इस बाद उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि '' भारत में ब्रिटिश शासन ने इस देश को नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार तक पहुँचा दिया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप मानता हूँ। मैं इस शासन प्रणाली को नष्ट करने पर आमादा हूँ। .... अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। हमारा संर्घष एक अहिंसक युद्ध है हम किसी की हत्या नही करेगें मगर इस शासन रूपी अभिशाप को नष्ट होते देखना हमारा धर्म है''[6]

यह आन्दोलन सम्पूर्ण भारत में तेजी से फैल गया जगह–जगह पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा, किसानों ने भी संर्घर्ष किया। इस आन्दोलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि स्त्रियों एवं मुसलमानों ने इस अन्दोलन में सक्रिय योगदान दिया। इसके साथ–साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटी वह यह थी कि गढ़वाली सिपाहियों की दो प्लाटून ने अहिसंक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके नेता चन्द्र सिंह गढवाली जी थे। इसके बदले में उनका कोर्ट मार्शल किया गया। और लम्बी–लम्बी जेल यातनायें दी गयी इस घटना से स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवाद की भावना भारतीय सेना में भी फैलने लगी थी। जो ब्रिटिश सेना का प्रमुख आधार थी। यह आन्दोलन लगभग 2.5 वर्ष तक चला और 14 जुलाई 1933 ई0 गाँधी जी ने इसे रोक दिया। 7 अप्रैल 1934 को बिल्कुल समाप्त कर दिया। इस आन्दोलन ने भारतीयों की स्वाधीनता की भावना को बुलन्द कर दिया। तथा अंग्रेजों को भारत से जाने की सम्भावना को बल दिया। उददेश्य प्राप्ति के लिये शक्ति, त्याग एवं बलिदान में पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं ने भी अपनी सक्रियता स्पष्ट कर दी।

मार्च 1933 ई0 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें नये संविधान के प्रस्तावों को लेखबध किया था। इसके पष्चात अगस्त 1935 ई0 में उस श्वेत पत्र की घोषणा, 1935 का अधिनियम, इसके कुछ समय पष्चात द्वितीय विष्व युद्ध 1939 ई0 में प्रारम्भ हो गया। 1940 में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त की घोषणा कर पाकिस्तान की मांग रख दी । 1942 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री चर्चिल ने भारत के विषय में कुछ निर्णय किये तथा इन निर्णयों से लोगों को अवगत करने हेतु सर स्टेफोर्डक्रिप्स को भारत भेजा तथा मसौदा तैयार कर भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा गया। 15 दिन की बातचीत के पष्चात भारतीय नेताओं के सभी वर्गो ने इसे अस्वीकार कर दिया। गाँधी जी ने इसके बारे में कहा था कि ''क्रिप्स योजना ऐसे बैंक के जो फैल होने जा रहा हो अथवा आगे की तारीख पड़े चैक (उत्तर तिथि चैक) के समान थी''[7]।

जब 11 अप्रैले 1942 को क्रिप्स मिशन वापस ले लिया गया उसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासकों एवं भारतीय नेताओं के बीच असन्तोष की खाई और चौड़ी हो गयी। सारे देश में सरकार के विरूद्ध असन्तोष की लहर जोर पकड़ने लगी। इन सभी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप 8 अगस्त 1942 ई0 को भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। इस आन्दोलन में गाँधी जी का स्पष्ट मत था कि ''सुव्यवस्थित ढ़ंग से अंग्रेज भारत से चले जायें। जो भी हो अब भारतीय एवं अंग्रेजों के की कुशलता इसी में है कि अंग्रेज भारत छोड़े, अब भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा हो गया। भारत में अंग्रेजी राज्य की समाप्ति और भारत में अंग्रेजों के हित में है। इस समय में भारत में अंग्रेजों का बने रहना भारतीयों के लिये अपमानजनक है।''[8]

गाँधी जी के नेतृत्व में इन आन्दोलनों ने स्थान–स्थान पर सार्वजनिक माल सम्पत्ति की हानि हुई, गोलियाँ चली, सरकार ने कठोर दमन चक्र चला गया, हजारों व्यक्ति मारे गये ओर जेलों में डालने गये। परिणामस्वरूप भारत छोड़ो आन्दोलन एक जादू, सदभाव ओर सहकारिता की तरह प्रस्तुत किया गया ओर अन्ततोगत्वा गाँधी ओर अन्य भारतीय नेताओं के अथक प्रयास से 15 अगस्त 1947 को भारत दो राष्ट्रो में (भारत ओर पाकिस्तान) में स्वतन्त्र हो गया।

गाँधी जी ने सत्य, अहिंसा ओर असहयोग से ही ब्रिटिश जैसे महाशक्ति को भारत से उखाड़ फैंका, उनका उदारवादी रवैया कुछ लोगों को नापसन्द था और इसी असन्तोष के कारण उनके एक समर्थक नाथुराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सम्पूर्ण भारत वर्ष में शोक एंव असन्तोष की लहर दौड़ गयी। बाद में, नाथुराम गोडसे को फांसी दे दी गयी। सम्पूर्ण भारत को भारत वर्ष बनाने में गाँधी जी का अथक प्रयास ओर योगदान भी सम्मिलित किया जाता है। भारत कि संविधान, संविधान की प्रस्तावना ओर मानवतावादी दृष्टिकोण से हमें यत्र–तत्र सर्वत्र गाँधी जी के विचार ही दृष्टिगोचर होते है। महात्मा गाँधी जी एक सफल राजनैतिक, दार्शनिक, शिक्षाशास्त्री, मानवता के पुजारी व वैरेस्ट्रर सभी कुछ थे। भारत के लिये उनका जो योगदान है वह सदैव इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा।

सन्दर्भ :

1. शर्मा, डॉ0 उर्मिला, शर्मा, डॉ0 एस.के. 2003, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, एटलान्टिक पब्लिर्सस एण्ड डिस्ट्रिब्यूटरर्स, नई दिल्ली, पृ0 151
2. मुन्शी, के.एम., 2010, द मास्टर, भारतीय विद्या भवन, पृ0 27
3. वर्मा, डॉ0 दीनानाथ 2003, आधुनिक भारत का इतिहास, ज्ञनदा प्रकाशन, पी.एन.डी., नई दिल्ली, पृ0 190
4. विपिनचन्द्र, 2002, भारत का स्वतन्त्रता संर्घष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय कार्यालय निदेशालय, दिल्ली विश्व विद्यालय, दिल्ली, पृ0 135
5. शर्मा, डॉ0 उर्मिला, शर्मा, डा0 एस.के. 2003, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, एटलान्टिक पब्लिर्सस एण्ड डिस्ट्रिब्यूटरर्स, नई दिल्ली, पृ0 159
6. विपिनचन्द्र, 2017, आधुनिक भारत का इतिहास,ओरियन्ट ब्लेक स्वान प्रा0लि0, हैदराबाद, तेलंगना, पृ0 304
7. शर्मा, डॉ0 एस.के., 2003, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं चिन्तन, रिसर्च पब्लिकेसन, जयपुर, पृ0 151
8. ग्रोवर, बी.एल. 2008, आधुनिक भारत का इतिहास एक नवीन मुल्यांकन, अल्का गौतम्, यशपाल, एस. चन्द्र एण्ड क. प्र. लि. नई दिल्ली, पृ0 411

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 35-37

आजादी के अमृत महोत्सव में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले पूर्वांचल के गाँधी बाबा राघवदास के योगदान का स्मरण

मुकुल लवानिया*
*असि0प्रोफेसर, इतिहास विभाग, बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज, देवरिया, उ0प्र0

सारांश : ''आजादी का अमृत महोत्सव'' की अधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 से प्रारम्भ हुयी है यह महोत्सव आजादी के 75 साल और इसके लोगों द्वारा अर्जित समाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गौरवशाली उपलब्धियों के इतिहास को जानने एवं समझने के लिए भारत सरकार की एक पहल है– की कड़ी में पूर्वाचल के गॉधी के नाम से विख्यात सर्वाधिक लोकप्रिय गॉधीवादी नेता, निर्भीक स्वतन्त्रता सेनानी, निष्ठावान समाजसेवी बाबा राघवदास ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में पूर्वी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर यहॉ के जन साधारण को स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया, गरीबी, अशिक्षा, शोषण एवं अन्धविश्वासों से ग्रसित पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 तक अंग्रेजी सरकार के अन्याय, शोषण, एवं अत्याचार के विरूद्ध हमेशा संघर्ष किया बाबा राघवदास ने केवल अंग्रेजो की दासता से मुक्ति लिए स्वतन्त्रता आन्दोलन में इस क्षेत्र की जनता का नेतृत्व किया बल्कि वे समाजिक कुरीतियो को दूर करने, शिक्षा की अलग जगाने के लिए सैकड़ो शैक्षणिक संस्थान स्थापित किये, उनके द्वारा की गयी वरूण यज्ञ, कुँओं और तालाबों का खोदना, भूदान आन्दोलन में सक्रिय सहभागिता, गन्ना किसानो के संरक्षण के लिए प्रयास, गौसेवा, यात्री सेवा, बौद्ध एवं हिन्दू तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्वार एवं सांस्कृतिक समन्वय के प्रयासो के द्वारा इस क्षेत्र की जनता की अमूल्य सेवा की।

12 दिसम्बर 1896 को पुणे के एक सम्पन्न चितपावन ब्राहमण परिवार में पैदा हुए बाबा राघवदास जिनके बचपन का नाम राघवेन्द्र शेषों था, 1896 में आया प्लेग महामारी से परिवार के ज्यादातर सदस्यों के काल कलवित हो जाने से बालक राघवेन्द्र के अवोध एवं कोयल मन को तीव्र आघात पहुँचा और राघवेन्द्र की सांसारिक विषयों के प्रति अनाशक्ति आ गयी, बालगंगाधर तिलक द्वारा प्रारम्भ किये गये शिवाजी उत्सव और गणेशोत्सव तथा स्वदेशी आन्दोलन ने राघवेन्द्र के मन पर गहरा असर छोड़ा और मात्र 11 वर्ष की आयु में राघवेन्द्र ने विदेशी चीनी नही खाने का संकल्प लिया। जिन्दगी के कठिन समय में भी उन्होने न केवल अच्छी शिक्षा प्राप्त की बल्कि उच्च कोटि का ज्ञान अर्जित कर एक अच्छे शिक्षक के रूप में प्रसिद्धि पायी, इसी बीच उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के व्याख्यान व लेखों का अध्ययन किया बम्बई में राघवेन्द्र उपनिषद एवं दर्शन के प्रति जिज्ञासु उनके मन में रामकृष्ण परमहंस जैसा कोई योग्य गुरू प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुयी, गुरू की खोज में 11 फरवरी 1913 को राघवेन्द्र महाराष्ट्र छोड़ने के बाद भ्रमण करते हुए हरिद्वार, टिहरी, मसूरी, हड़िया (इलाहाबाद) बनारस और फिर गाजिपुर पहुँचकर मौनी बाबा से उनका साक्षात्कार हुआ लेकिन मन को शान्ति नहीं मिली, फिर बिहार प्रान्त में सासाराम, आरा, होते हुए 1915 बरहज (देवरिया) में अनन्त महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुए, राघवेन्द्र को गुरू मिल गये अनन्त महाप्रभु का शिष्यत्व ग्रहण कर वे राघवेन्द्र से राघवदास हो गये और जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त हुआ, 1917 में अनन्त महापुभु का उत्तराधिकार स्वीकार कर परमहंस बाबा राघवदास हुए और यही से उनकी आत्मोत्थान से जनोत्थान की सकल्पवद्ध मगंलमय यात्रा प्रारम्भ हुयी और पूर्वाचल की मिट्टी को बाबा राघवदास ने अपनी दृठ संकल्पित आध्यामिक शक्ति से सीचकर इस क्षेत्र की जनता के लिए अभ्यूदय का मार्ग प्रशस्त किया।

राघवेन्द्र आचार्य नरदेव शास्त्री के साथ देहरादून जिला कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट के रूप में दिसम्बर 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए जिसमें महात्मा गॉधी, बालगंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे नेता आये थे काग्रेस के नेताओ का दर्शन कर उनके भाषण सुनकर राधवेन्द्र बहुत प्रभावित हुए अंग्रेजी राज के विरूद्ध कांग्रेस के संघर्ष से वह बचपन से ही जुड़े थे, 1919 में घटी जलियावाला बाग की ह्दय विदारक घटना ने बाबा राघवदास को विचलित कर दिया 1 अगस्त 1920 को बालगंगाधर तिलक के देहवसान का समाचार 3 अगस्त 1920 को मिलते ही बरहज का सम्पूर्ण कारोवार ठप हो गया बरहज के पुस्तकालय के सामने आयोजित एक विशाल शोकसभा की अध्यक्षता बाबा राघवदास ने की थी, अब उन्होने अपना लक्ष्य निश्चित करने में देरी नही की, राष्ट्रसेवा एवं जनसेवा का उन्होने संकल्प लिया अपनी साधना के केन्द्र के रूप में जनअरण्य को चुना जनमुक्ति की अपेक्षा आत्ममुक्ति का विचार उन्हे छोटा प्रतीत होने लगा और बाबा राघवदास कूद पड़े अपनी अपराजेय जीजीविशा के साथ आजादी की लड़ाई में और लग गये गरीबी अत्याचार, अशिक्षा, असमानता एवं सभी प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध एक कभी न समाप्त होने वाले संघर्ष में–

स्वतंन्त्रा आन्दोलन एवं कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों मे पूर्वी उत्तर प्रदेश की पिछड़ी और निर्धन जनता के भव्य योगदान के पीछे बाबा राघवदास की प्रेरणा और मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका थी स्वतंन्त्रता आन्दोलन में इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगो के जेल जाने और उनके बलिदान के पीछे बाबा राघवदास एक प्रेरक शक्ति थे गाँव–गाँव पैदल घूमने मे वे अभयस्त थे उन्होने जनता के बीच जाकर जनता के जैसा जीवन जीकर सेवा की, अपने आचरण एवं व्यवहार से उन्होने अपने को सच्चा जनसेवक सिद्ध किया था बाबा राघवदास की एक आवाज पर लाखों लोग एकत्र हो जाते थे स्वतंन्त्रता आन्दोलन के प्रत्येक चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके नेतृत्व में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था।

1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत देवरिया में स्थापित वोटर्स एसोसिएशन की ओर से 31 जुलाई एवं 1 अगस्त 1920 को बरहज की वडी मस्जिद में सभायें हुयीं बाबा राघवदास ने इन दोनों सभाओं की अध्यक्षता की और गॉधी जी द्वारा शुरू किये गये खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन को सफल बनाने की अपील जनता से की थी दिसम्बर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन (नागपुर) में बाबा राघवदास बरहज के कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए 8 फरवरी 1921 को गॉधी जी गोरखपुर आये और वाले मिया के मैदान में एक लाख लोगों की विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होने स्कूल, अदालत, और अन्य सरकारी सेवाओं के बहिस्कार की अपील की इस अवसर पर बाबा राघवदास ने गोरखपुर में गॉधी जी अभिनन्दन किया और उनके समुख देश सेवा के कार्य में सर्पित होने का वृत लिया। 10 फरवरी 1921 को बाबा राघवदास ने परसिया (देवरिया) में सेवा समिति और पंचायत की स्थापना की जिसके माध्यम से मादक वस्तुओं के निषेध और चर्खे के प्रचार पर बल दिया, इस अवसर पर

महिला समिति में लगभग 200 महिलायें मौजूद थी, इस समय तक बाबा राघवदास की कांग्रेस मे एक महत्वपूर्ण आन्दोलनकारी के रूप में प्रसिद्धि फैल चुकी थी, मार्च 1921 में धारा 144 ए0 के अन्तर्गत बाबा राघवदास को जेल की सजा दी गयी और उन्हे बाबा रायचन्द्र, देवनारायण पाण्डेय, तथा केदारनाथ आर्य के साथ लखनऊ की सेन्ट्रल जेल में बन्द रखा गया 13 अप्रैल 1921 को जलियावाला बाग हत्या काण्ड की दुखद घटना की स्मृति में गोरखपुर में निकले विशाल जूलूस का नेतृत्व बाबा राघवदास ने किया 19 जुलाई 1921 को उन्हे धारा 108 के अन्तर्गत एक साल के सश्रम कारावास का दण्ड दिया गया बाबा की गिरफ्तारी से देवरिया और बरहज में सनसनी फैली गयी, और लगभग दस हजार लोगो ने न्यायालय के सामने एकत्र होकर बाबा का समर्थन किया बाद में उन्हे गोरखपुर जेल से बनारस स्थानान्तरण कर दिया गया बनारस जेल में उनकी मुलाकात, आचार्य कृपलानी, विचित्र नारायण शर्मा एवं सम्पूर्णानन्द इत्यादि बड़े नेताओं से हुयी, उस समय तक अकेले बाबा राघवदास के प्रयास से देवरिया में कांग्रेस के सवा दो हजार सदस्य बनाये जा चुके थे ढाई हजार चरखों का विवरण किया जा चुका था और तिलक स्वराज कोष में पॉच हजार से अधिक रूपया जमा हो चुका था,

16 और 17 मार्च 1924 को जवाहर लाल नेहरू ने गोरखपुर जिले का दौरा किया 16 मार्च 1924 को महाराजगंज तहसील में पहला रजनैतिक सम्मेलन जवाहर लाल नेहरू की उपस्थिति में बाबा राघवदास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, 11 मई 1924 को हाटा तहसील में राघवदास की अध्यक्षता में एक राजनैतिक सम्मेलन हुआ जिसमें पुरूषोत्तम दास टण्डन मुख्य अतिथि थे 13 मई 1924 को पडरौना में बाबा राघवदास की अध्यक्षता में एक सभा हुयी। 07 अक्टूबर 1924 को प्रकाशित स्वदेश के विजंयाक में पृष्ठ संख्या 19–20 पर बाबा राघवदास का एक लेखा, विजयः आशा वै परम दुःख नौराश्यं परम सुखम'' शीर्षक से प्रकाशित हुआ इस लेख में उन्होने बडी कुशलता से अंग्रेजों की गुलामी के विरूद्ध पाठकों को उत्तेजित करने का काम किया और कहा कि जिस देश के साधारण बन्दर और भालुओं में महाराथियों को हराने की सामर्थ्य थी उसी राष्ट्र के कुलीन पुरूष एक साधारण नौकर से भयभीत है जनता में उनके इस लेख से बहुत चेतना आयी, इस अंक को राजद्रोहात्मक मानते हुए सरकार ने विजंयाक के सभी अंक जब्त करते हुए सम्पादक पाण्डेय बेचन शर्मा'' उग्र को एक महीने तथा प्रकाशक दशरथ प्रसाद द्विवेदी को दो वर्ष के कारावास की सजा दी।

बाबा राघवदास अब तक संयुक्त प्रान्त के अत्यन्त महत्वपूर्ण आन्दोलनकारियों में गिने जाने लगे थे। सरकार और गुप्तचर विभाग उनकी प्रत्येक गतिविधि और यात्राओं पर कड़ी निगरानी रखती थी। जनवरी 1924 में फैजाबाद से प्रकाशित होने वाले ''मजदूर'' ने संवादशैली में बाबा राघवदास का एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतवर्ष के मजदूरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को चाहिए कि उन्हें आश्वासन दें कि स्वराज प्राप्त करने के बाद कारखानों के स्वामित्व पर मजदूरों का अधिकार होगा। इससे जनसामान्य में बाबा राघवदास के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान काफी बढ़ गया था। 6 अक्टूबर 1929 को गॉधी जी एक विशेष ट्रेन से बरहज आये, परमहंस आश्रम के सामने मैदान में करीब एक लाख लोगो की विराट सभा को गॉधी जी ने सम्बोधित किया जिसमें लगभग तीन हजार महिलायें मौजूद थी। स्वागत समिति की ओर से उन्हें 601 रूपया की एक थैली व मानपत्र भेंट किया गया। विद्यार्थियों, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं ने उन्हें अलग–अलग थैलियां भेंट की, गॉधी जी की पडरौना की सभा विस्मयकारी थी। इस सम्बन्ध में हिन्दी नवजीवन ने लिखा कि पडरौना में जो विराट सभा हुई वैसी तो गॉधी जी ने असहयोग आन्दोलन के समय भी नही देखी थी। इस जनसमुदाय को देखकर गॉधी जी अवाक रह गये। बाबा राघवदास के लगातार प्रयास के परिणामस्वरूप कांग्रेस का संदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के गॉव–गॉव पहुॅच गया था और ग्रामीण जनता भी कांग्रेस के आन्दोलन में व्यापक रूचि लेने लगी थी। गॉधीजी ने कौड़ीराम, घुघली, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बसन्तपुर घुसी में विशाल जनसभाओं को सम्बोधित किया। बाबा राघवदास गॉधी जी के इस दौरे में हर समय उनके साथ रहे थे।

06 अप्रैल 1930 को गॉधी ने नमक कानून तोड़ा और 07 अप्रैल को देश की जनता का आवाह्न किया कि हमारा पथ हमारे लिए निर्धारित हो चुका है। प्रत्येक गॉव अवैध नमक बनायें हम जल्दी ही देखेंगे कि पूर्ण स्वराज आकर हमारें दरवाजे खटखटा रहा है, 12 अप्रैल 1930 को बरहज से बाबा राघवदास के नेतृत्व में स्वयंसेवकों के एक दल ने प्रातः 6.30 बजे नमक सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। उनका लक्ष्य पडरौना पहुॅचकर नमक कानून तोड़ना था। उन्होने नमक सत्याग्रह के लिए जनता का आवाह्न किया। 13 अप्रैल 1930 को बंगरा बाजार में बाबा के नेतृत्व में नमक बनाना प्रारम्भ हुआ। इस दिन बनाया गया नमक 35 रूपया 4 आने में बिका और कुल मिलाकर बंगरा बाजार में 5 मन नमक बनाये जाने की सूचना मिली, 18 अप्रैल और 20 अप्रैल को क्रमशः रामकोला और विशुनपुरा की सभाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होने नमक कानून तोड़ने के लिए जनता को प्रेरित किया, नमक कानून तोड़ने के अभियोग में बाबा राघवदास को 30 अप्रैल 1930 को 6 महीने की कड़ी कैद की सजा दी गयी। अक्टूबर 1930 को वे जेल से बाहर आये। 10 अक्टूबर को खुखुन्दू, गड़ेर, देवरिया और बरहज की सभाओं में भाषण देते हुए उन्होने नशाबन्दी, चर्खा प्रचार, स्वराज आदि कांग्रेसी कार्यक्रमों पर बल दिया। किसानों से लगान न देने की अपील की 22 अक्टूबर 1930 को बरहज, 24 अक्टूबर को रूद्रपुर, 26 अक्टूबर को पिपराईच और 27 अक्टूबर को पाली में जन सभाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, जनसंख्या गणना के बहिष्कार के साथ सत्याग्रह में सहयोग और कांग्रेस में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की तथा सरकार की दमनकारी नीतियों की निन्दा की।

बाबा राघवदास की राजनैतिक गतिविधियों से क्रोधित सरकार उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। सितम्बर 1937 में बरहज के छेदीलाल, रामचन्द्र शर्मा, मुहम्मद यासीन, दशरथ राव, अनंतराय विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ बाबा राघवदास पर दंगा फसाद व राजद्रोह में धारा 107 के अन्तर्गत मुकदमा चला एक वर्ष तक शान्ति बनाये रखने के लिए मांगी गयी जमानते और मुचलके ने देने पर बाबा राघवदास एवं अन्य को 5 सितम्बर 1937 को जेल भेज दिया गया। न्यायालय के सामने खड़ी जनता ने बाबा राघवदास एवं साथियों को मालाएं पहनाकर जेल के द्वार तक छोड़ा। 6 सितम्बर को इस गिरफ्तारी के विरोध में भागलपुर (देवरिया) में हुई। गोरखपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। 9 सितम्बर 1937 को बाबा राघवदास एवं साथियों को सरकार ने बिना शर्त छोड़ दिया तथा उन पर से मुकदमें उठा लिए संयुक्त प्रान्त के कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यक्रम लागू किये बाबा राघवदास ने इन कार्यक्रमों में पूर्ण मनोयोग से भाग लिया। 3 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री गोविन्द वल्लभ पन्त की अध्यक्षता में हुए ग्राम सुधार सम्बन्धी एक बैठक में ग्राम सुधार

सम्बन्धी योजना बनाने का काम बाबा राघवदास, धीरेन्द्र मजूमदार और ठाकुर प्रसाद सक्सेना की एक त्रिस्तरीय समिति को सौंपा गया।

बाबा राघवदास ने 7–8 अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया। 9 अगस्त 1942 को गॉधी जी एवं अन्य बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वे फरार होकर भूमिगत हो गये भारत रक्षा अधिनियम की धारा 26(1) बी के अन्तर्गत सयुंक्त प्रान्त के गुप्तचर विभाग ने बाबा राघवदास का पता बताने वाले को 500 रूपया पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बाबा जी ने पुलिस की दृष्टि से बचते हुए भारत के विभिन्न भागों में आन्दोलन को संगठित करने तथा सरकारी दमन और अत्याचार के शिकार लोगों की यथा सम्भव सहायता करने का प्रयास किया इस सिलसिला में उन्होने दिल्ली, बम्बई और मद्रास की यात्रायें कीं और आन्दोलन के सगठंन और संचालन के सम्बन्ध में जयप्रकाश नारायण, अच्यूत पटवर्धन और अरूणा आसफ अली जैसे नेताओं से सम्पर्क कर उनसे दिशा निर्देश प्राप्त किये मद्रास में उन्होने कुछ समय तक जी0 रामचन्द्र के साथ छिपकर आन्दोलन के लिए कार्य किया, कलकत्ता में गुप्त रूप से आयोजित किये गये भूमिगत कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के सम्बन्ध में वे जी0 रामचन्द्र के नाम सुचेता कृपलानी का एक पत्र भी लेकर गये, बाबा राघवदास लगभग 2 महीने तक वर्धा में भी रहे, भारत छोड़ो आन्दोलन में बाबा राघवदास सयुंक्त प्रान्त के संचालक थे, करारी जीवन में उनका मुख्य कार्यस्थान वाराणसी था, जहॉ वे प्रायः हरिश्चन्द्र घाट के पास एक ऊँचे मकान में सज्जन देवी महनोत के यहॉ निवास करते थे, अपने पूरे फरारी जीवन में उन्होने कभी भेष नही बदला और निडर होकर भारत के विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे, बाबा राघवदास और के निर्देशन में आन्दोलन कारियों ने मुगल सराय मिर्जापुर रेलवे लाइन कुछ समय के लिए ठप कर दी उन्होने बनारस के अतिरिक्त गोरखपुर, देवरिया, बलिया गाजिपुर, आजमगढ, जौनपुर और मिर्जापुर का दौरा कर आन्दोलन को संगठित करने के साथ ही तोड–फोड के कार्यो का नेतृत्व किया आन्दोलन कारियों को संगठित करके, आन्दोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित करने का उन्होने उल्लेखनीय प्रयास किया उनकी प्रेरणा से ही कसया (देवरिया) के निकट एक पुल आन्दोलन कारियों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया 1943 में 1942 के भारत छोडो आन्दोलन की पहली वर्ष गांठ के अवसर पर 9 अगस्त को लगभग एक हजार लोगों के साथ पूना के आगा खॉ पैलेस के सामने प्रदर्शन करने पहुॅचे, 26 जनवरी 1944 को दिल्ली में बायसराय भवन के सामने स्वतंन्त्रता दिवस का सन्देश देने वाले पर्चो पर बाबा राघवदास का नाम अंकित था 1942 के आन्दोलन में बाबा राघवदास ने अंग्रेजी राज के विरूद्ध और भारत की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित पर्चे जनता में वितरीत कराये जिन पर उनका नाम व हस्ताक्षर अंकित रहता था, आजमगढ, गोरखपुर, बनारस, और बरेली आदि स्थानों से पुलिस ने ऐसे पर्चे बरामद किये थे, गोरखपुर से प्राप्त पर्चो में विट्रिश सरकार के पिट्ढुओं, जमीदारो और पटवारियों का सरकार के दमनकार्य में सहयोग देने के विरूद्ध चेतावनी दी गयी थी और पर्चो पर कांग्रेस के कार्यक्रमों का उल्लेख मिला था 6 मार्च 1944 को बाबा राघवदास की ओर से प्रकासित आजाद भारत की प्रतियां लखनऊ, नैनीताल, और सुल्तानपुर में पायी गयी थी, अलीगढ और देहरादून से भी पुलिस ने बाबा राघवदास द्वारा जारी किया गया एक पर्चा बरामद किया जिस पर राष्ट्रीय सप्ताह के आयोजन के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया था।

गॉधी जी के बुलावे पर बाबा राघवदास उनसे मिलने गये और गॉधी जी के कहने पर अगस्त के पहले सप्ताह में उन्होने गिरफ्तारी दी 9 अप्रैल 1946 को बाबा राघवदास जेल से बाहर आये जेल से मुक्त होने के बाद वे पुनः गॉधी जी से भविष्य के लिए निर्देश लेने गये वापस आते समय बरहज पहूॅचने पर एक लाख से अधिक जनता ने अपने प्रिय नेता का स्वागत किया, बाबा राघवदास की जगह जगह जनता ने आरती उतारी और पूजा की बरहज के दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने उनका जुलुस पहूॅचने पर पैसे लुटायें बरहज में मल्लाहों ने उनके स्वागत के लिए सरयू नदी के आरपार एक मील लम्बा नावों का पुल तैयार कर रखा था पुल के दूसरी तरफ पहूॅचने पर मल्लाहो ने उनका चरणोदक लिया, इसके अतिरिक्त गोरखपुर एवं देवरिया में विभिन्न स्थानों पर जनता ने उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया बाबा राघवदास के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम की यह अभिव्यक्ति उनके द्वारा निःस्वार्थ एवं समर्पित भाव से की गयी देश व समाज सेवा का एक दुर्लभ पुरस्कार था 15 अगस्त 1947 को बाबा राघवदास देवरिया के विभिन्न स्थानों पर आयोजित स्वतंन्त्रता दिवस समारोहों में भाग लेते हुए सायकाल चौरी–चौरा पहूॅचे तथा 1922 के चौरी–चौरा काण्ड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सन्दर्भ :

1. गहलौत, भुवनेश्वर सिंह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास (1920–47), शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद वि0वि0, पृ0 11–12,18,36–37, 39, 47, 66, 84
2. गुप्तचर विभाग के अभिलेख, 1926, पैरा 323 ए, 905 जी0, 934 एफ, 1928 पैरा 402 ए, 1929 पैरा 326 सी0, 1930 पैरा 357 बी0, 1931 पैरा 45 एफ, 1944 पैरा 13, 42, 54, 85
3. स्वतंन्त्रता सग्राम के सैनिक (देवरिया), सूचना विभाग, पृ0 28,174
4. ''सुमन'' नामराथ', उत्तर प्रदेश में गाँधी जी, उ0प्र0 गाँधी स्मारक निधि सेवापुरी, वाराणसी 1970, पृ0 417, 713
5. सहाय, गोविन्द, यू0पी0 कांग्रेस के अब तक के कार्य, पृ0 13,27
6. ताराचन्द्र, हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेन्ट इन इण्डिया (खण्ड 4), प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नवम्बर 1972 पृ0 6,125,126,179
7. स्वतंन्त्रता सग्रांम (ज्ञान लिमिटेड वाराणसी 1971), पृ0 136, 208
8. त्रिपाठी, राजेश्वर सहाय, फरार जीवन के ग्यारह माह, पृ0 50
9. बाबा राधवदास स्मृति ग्रन्थ, पृ0 43, 51, 214, 234, 235, 236
10. त्रिपाठी, अमोदनाथ, (साहित्यायन प्रकाशन) पृ0 43, 45, 48, 49, 72, 73, 83, 94, 97, 108, 109, 110

संस्कृत नाट्य रंगमंच पर अभिनय प्रस्तुतीकरण की विधि

नरेन्द्र कुमार यादव*
*शोधार्थी, संस्कृत विभाग, राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0
डॉ0 श्याम सुन्दर उपाध्याय**
**शोध–निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफसर (संस्कृत), राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : 'अभिनय' जीवन का अभिन्न अंग है और नाटक उसका ही आलेख है। आलेख से भविष्य में भी उसकी मंचीय प्रस्तुति की संभावना बनी रहती है। नाटक के विकास में कई उतार–चढ़ाव आते रहे। कुछ भूली–बिसरी या कालानुसार परिस्थितियाँ भी उसके साथ रहती हैं। मंचन द्वारा ही पीढ़ियाँ राम, कृष्ण, विक्रमादित्य, भर्तृहरि आदि विभूतियों से प्रत्यक्ष परिचय सरलता से पा सकती हैं। नाटक में वर्तमान काल ही होता है, न भूत और न भविष्य। उसमें था' या 'गा' नहीं, है' की ही स्थिति रहती है। कालिदास का शकुन्तला नाटक कालिदास के समय तो वर्तमान काल में प्रस्तुत होता था, वह आज भी वर्तमान काल में प्रस्तुत होता है और भविष्य में भी उसी प्रकार वर्तमान काल में प्रस्तुत होता। यह स्थिति समस्त नाटकों की है। अतः नाटक सर्वकाल का समकाल होता है। इस दृष्टि से शोध–पत्र निश्चित ही पूर्व शोध–पत्र की पूरक और मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

मुख्य शब्द : मंचीय प्रस्तुति, नाटककार, भूमिका ग्रहण, यथार्थवाद, नाट्यशास्त्र आदि।

प्रस्तावना : अभिनय के साथ अपेक्षित दृश्य–सज्जा के विषय में नाटककारों ने कोई निर्देश नहीं दिया है। यवनिका ही आदि से अन्त तक पृष्ठभूमि का कार्य करती थी। किसी स्थिति की सुन्दरताओं की संकल्पना प्रेक्षकों की प्रतिभा पर छोड़ दी जाती थी। कवि द्वारा किये गये वर्णन की सहायता से प्रेक्षक अपने समक्ष प्रस्तुत्य रमणीय–दृश्यों की कल्पना कर लिया करता था। यदि शास्त्र–ग्रन्थों के मौन के अतिरिक्त किसी प्रमाण की आवश्यकता हो तो इस बात का निर्णायक प्रमाण नाटकों में दिये गये रंग–निर्देशों में दृष्टव्य है। ये रंग–निर्देश 'अभिनय निर्देश' अश्वघोष के नाटक के खण्डित अंशों में भी उपलब्ध हैं। जब किसी नटी के द्वारा पौधे सींचने आदि कार्यों का अभिनय करना होता था, तब रंगमंच पर पौधे को लाने और सिंचाई का कार्य वस्तुतः सम्पन्न कराने का प्रयत्न नहीं किया जाता था। इसके विपरीत नटी पौधे सींचने की प्रक्रिया की अनुकृति मात्र प्रस्तुत करती थी और उसका यह अभिनय सामाजिकों को परितुष्टि करने के लिए पर्याप्त था। राजा रथ पर सवार हो सकता है, परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रंगमंच पर रथ को ले आने का प्रयत्न नहीं किया जाता। वह भूतल से उठने की चेष्टा के द्वारा कलात्मक ढंग से रथ पर सवार होने का स्वांग मात्र करता है और सहृदय तथा बुद्धिमान् सामाजिक इस बात की प्रतीति कर लेता है कि वह रथ पर सवार हो गया है।

शकुन्तला नाटक के आरंभ में दुष्यन्त, जिस मृग का पीछा करते हैं, वह वास्तविक मृग नहीं है, किन्तु सूत्रधार हमें बताता है कि राजा मृग का पीछा कर रहा है और राजा की भूमिका ग्रहण करने वाला अभिनेता अपनी बंधी हुई दृष्टि तथा अंगहार (मुद्रा) से ऐसा अभिनय करता है, मानो वह मृग पर प्रहार कर रहा हो। रंगमंच पर फूल चुनना, वस्तुतः फूल चुनने वाले व्यक्ति की चेष्टा का अनुकरण मात्र है। एक कुशल अभिनेत्री बिना किसी कठिनाई के आवेग– सूचक अनुभावों द्वारा सामाजिकों को इस बात की प्रतीति करा सकती है कि वह भौरों के आक्रमण से बचने का प्रयत्न कर रही है। इस प्रकार यथार्थवाद के प्रति कोई श्रमसाध्य प्रयत्न नहीं किया गया है। यह दूसरी बात है कि रूढ़ि का निर्वाह करते हुए नाटककारों ने हास्यास्पदता (असंगति) से बचने का प्रयास किया है। इस विषय में कोई आधिक सावधान है, कोई कम सामाजिकों की विश्वसनीयता पर बहुत बोझ डालने की प्रवृत्ति की अतिशयता भास की कृतियों में निस्संदेह पायी जाती है। पात्रों का प्रवेश और निष्क्रमण प्रायः सहसा एवं अस्वाभाविक ढंग से होता है, परन्तु घटनाओं की यथावत् वद प्रतिकृति प्रस्तुत करना नाटक का प्रमुख उद्देश्य नहीं था। सामाजिक असंदिग्ध रूप से इस बात को असंतोषजनक नहीं मानते थे। यह भी स्मरणीय है कि, किसी भी प्रकार के समारोह में उसके भिन्न–भिन्न अंगों की निष्पन्नता ने भारतीयों के मन को कभी मुग्ध नहीं किया है। अत्यंत शानदार समारोहों में पाश्चात्य सुरुचि और लालित्य से भिन्न ऐसी विचित्र बातें मिलेंगी जो उनके मन में विस्मय या टीका–टिप्पणी की कोई भावना नहीं उद्दीप्त करती।''[1]

संस्कृत नाटकों में अभिनेताओं की वेषभूषा काव्यवस्थित विधान किया गया है। रंग पर विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि रस के विषय में वह महत्त्वपूर्ण तत्त्व समझा जाता है। तापस लोग चीर और वल्कल धारण करते हैं, अन्तःपुर में नियुक्त पुरुष कपाय–कंचुकी राजा चित्र–वेप धारण करता है। आभीर युवतियाँ नीले वस्त्र पहनती हैं, अन्य स्थितियों में मलिन और सादे वस्त्रों का विधान है। मलिन वेप उन्माद, वियोग, दुःख यात्रा आदि का सूचक है। शुद्ध (सादा) वेष पूजा अथवा पा धर्म में प्रवृत्त व्यक्ति के उपयुक्त है। दानव, उरग गंधर्व यक्ष और राक्षस तथा प्रेमी और राजा चित्र–वेष धारण करते हैं। 'रंग' की बात केवल वस्त्रों तक ही सीमित नहीं है। अभिनेताओं को ग्रहण की गयी भूमिका के अनुरूप वर्णों की रचना से अलंकृत होनी चाहिए। एक मत के अनुसार चार स्वभावज (मूल) वर्ण हैं– श्वेत, नील, पीत और रक्त। अन्य वर्ण इनके संयोग से उत्पन्न (संयोगज) होते हैं। उदाहरण के लिये– ''खेत और नील के संयोग से कपोत–वर्ण, पीत और रक्त के संयोग से गौरवर्ण उत्पन्न होता है। गौर अथवा श्याम वर्ण राजातों के अनुरूप है और आनन्द का सूचक है। किरातों, बर्बरों, आंध्रों, द्रविणों, काशी–कोशल वासियों, पुलिंदों और दक्षिणात्यों का वर्ण असित (काला) होना चाहिए। शक, यवन, पहलव और वाहिलक गौर वर्ण के माने गये हैं। पांचाल, शूरसेन, माहिप उड्र, मागव, अंग, बंग और कलिंग श्याम होते हैं। वैश्यों तथा शूद्रों का वर्ण श्याम और ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों का बर्ण गौर होता है।''[2]

'केश' स्वभावतः ध्यानाकर्षक होता है। पिशाच, उन्मत्त और भूत लंबकेश होते हैं। विदूषक खल्वाट होता है। बालक तीन शिखाएँ रखते हैं और यदि मुण्डित न हों तो चेट भी। अवंती और सामान्यतः गौड़ देश की युवतियों के कुंटल अलक–युक्तर धुंधराले राजे) होते हैं। उन्टर की स्त्रियों के सिर पर उठा हुआ जुड़ा होता है। अन्य स्त्रियाँ सामान्य प्रचलित रीति के अनुसार वेणी धारण करती हैं। मूँछ–दादी (श्मश्रु) शुक्ल वर्ण की, श्याम अथवा रोमश (bushy) हो सकती है। इसी प्रकार विभिन्न पात्रों तथा गृहीत मालाओं और लाख, अभ्रक अथवा ताँबे के बने हुए आभूषणों को रूढ़िबद्ध करने की प्रवृत्ति भी पायी जाती है।

विद्याधारियाँ, याक्षिणियाँ, अप्सराएँ और नागबालाएँ मुक्तामणि धारण करती हैं। यक्षिणियों के सिर पर रची गयी शिखा और नागबालाओं के सिर पर उठे हुए कण उनकी तत्काल पहचान करा देते हैं।

अभिनेताओं का नेपथ्य–विधान उनके अभिनय–कार्य के सम्पादन में, अनुकार्य पात्रों की अवस्थाओं को प्रेक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करने में बहुत–कुछ सहायक सिद्ध होता है। यह आहार्याभिनय है, जो नाट्यशास्त्र द्वारा प्रतिपादित चार प्रकार के अभिनयों में से एक है। वह (अभिनेता वाचिक अभिनय के द्वारा भी अपने कार्य को सम्पन्न करता है। नाटककार की उक्तियों के सम्प्रेषण के लिए। वाणी का प्रयोग करता है। वह मूल पात्रों के भावों तथा भावनाओं के अनुरूप सात्विक भावों का अभिनय करता है। यह सात्विकाभिनय है। अन्त में अनुकार्य पात्रों के भावों का अनुभव–सा करता हुआ वह उन अनुभूतियों की प्रमुखता अंग–विक्षेप के द्वारा अभिव्यक्त करता है। यह आंगिक अभिनय है। इस विषय में नियमों का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह बात स्वाभाविक प्रतीत होती है कि परवर्ती काल की अपेक्षा उस युग में आंगिक अभिनय को अधिक महत्त्व दिया जाता था। ''प्रत्येक अंग का अलग–अलग विवरण दिय गया है। सिर हिलाने, दृष्टिपात करने या भ्रू–संचालन के विशिष्ट प्रकार में गहन अर्थ निहित है। सूक्ष्मअर्थो के संप्रेषण के लिए कपोल, नासिका, ठुड्डी, गर्दन आदि सबका प्रयोग किया जा सकता है। भाव–व्यंजना की दृष्टि से हाथों का अत्याधिक महत्त्व होता है।"[3]

नाट्यशास्त्र से भलीभाँति परिचित प्रेक्षक अभिनेता की उँगलियों के कलात्मक संचालन द्वारा संप्रेषित अर्थों को सरलता से ग्रहण कर सकता है, परन्तु शरीर के पैर आदि अन्य अंगों का भी महत्व है। अंगों की भंगिमाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और विभिन्न प्रकार के पात्रों तथा उनके कार्यों का अंतर सूचित करने के लिए गति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। रंगमंच पर कृत्रिम रूप से अंधकार करना आवश्यक नहीं है, अंधेरे में टटोलने का भाव सूचित करने के लिए हाथों और पैरों की गति पर्याप्त है। एक प्रकार के गति–प्रचार से रथ पर चढ़ने का व्यापार सूचित होता है, दूसरे से प्रासाद की छत पर चढ़ने का यदि वस्त्रों को थोड़ा ऊपर खींच लिया जाये तो नदी पार करने के कार्य का स्पष्ट प्रदर्शन हो जाता है। यदि तैरने के अनुरूप अंग–विक्षेप का अनुकरण किया जाये तो उससे स्पष्ट तथा सूचित हो जाता है कि नदी जल–विहार के लिए आवश्यकता से अधिक गहरी है। हाथों की गति से हाँकने के कार्य का अभिनय किया जाता है और उसी प्रकार हाथी या घोड़े पर सवार होने के कार्य का भी अभिनय किया जा सकता है।

भारतीय नाट्यशास्त्र की यह विशेषता है कि उसमें प्रतिपाद्य विषयों के सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किये गये हैं, तथापि सात्विक और आंगिक कहे जाने वाले उनभिनय–भेदो के सम्बन्म में अपेक्षित निरुपण की उपेक्षा की गयी है। वास्तविक सम्बन्ध यह है कि सात्विक अभिनय के अन्तर्गत भावों तथा अनुभूतियो के अनुरूप शारीरिक अवस्थाओं का निरूपण किया गया है और आंगिक अभिनय के अन्तर्गत उन सुनिर्दिष्ट अंग–विक्षेपों का वर्णन है, जो रंगमंच पर सुविधापूर्वक प्रस्तुत न की जाने योग्य मानसिक अवस्थाओं एवं शारीरिक चेष्टाओं इन दोनों की अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से व्यंजना करते हैं। "मातृगुप्त ने माला, आभूषण, उपयुक्त वेष आदि अभिनय के सहायक तत्त्वों के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने रस के तीन प्रकार बताते हुए। नेपथ्य–रस को उसका एक विशिष्ट प्रकार माना है।"[4]

यह तथ्य इस बात का निदर्शक है कि दृश्य–रचना की प्रत्येक सजावट प्रेक्षक के मन पर विशेष प्रभाव डालती है। इसी प्रकार की धारणा नाटकों में दिये गये विस्तृत रंग–निर्देशों से भी बनती है। स्पष्ट है कि नाटकों के वास्तविक अभिनय के संबन्ध में अभिनेताओं का निर्देशन करना ही इन रंग–निर्देशों का एक मात्र उद्देश्य नहीं था, अपितु उनकी सहायता से नाटक का पाठक भी उसके अभिनय के रूप की कल्पना करके नाटक के नाटकीय गुणों और तद्नुरूप रस की अनुभूति कर सकता था। ऐसा स्वतन्त्र साक्ष्य भी उपलब्ध है, जिसकी सहायता से हम इन निर्देशों की पूर्णता का अनुमान कर सकते हैं। सौभाग्य से आठवीं शताब्दी में कश्मीर के जयापीड के शासनकाल में दामोदर गुप्त द्वारा लिखित 'कुट्टनीमत' में हर्ष चरित, रत्नावाजी के अभिनय का विवरण उपलब्ध होता है। यद्यपि यह विवरण अधूरा है, किन्तु यह अवश्य स्पष्ट है कि उसका अभिनय संप्रति उपलब्ध नाटिका में पाये जाने वाले रंग–निर्देशों के अनुसार किया गया था। संस्कृत के अनेक नाटकों में अभिनय का समय नहीं बताया गया है, किन्तु मालती माधव, कर्ण सुन्दरी आदि कतिपय रूपकों तथा प्रियदर्शिका के गर्भांक से विदित होता है कि जिस समय उनका अभिनय किया गया था उस समय सूरज निकल ही रहा था। पटहनाद' नाटक का आरम्भ सूचित करता है, पूर्वरंग (जिसका संक्षिप्त रूप गीत और वाघ की अकाल्पनिक संगीत गोष्ठी से अधिक कुछ नहीं है) संपन्न किया जाता है, नांदी–पाठ होता है, तत्पश्चात् नाटक की प्रस्तावना होती है और फिर वास्तविक नाटक का आरम्भ होता है।"[5]

अतः कहा जा सकता है कि पात्र अनुकार्य रागादि की अवस्था का सजात्य अनुकरण करता है। अपनी शारीरिक मुद्राओं, चेष्टाओं, वाणी के संतुलित उपक्रम, मनोवेगों की अभिव्यंजना, रूप–सज्जा तथा वस्त्र–विन्यास के द्वारा अभिनेता कवि–निबद्ध पात्रों के विचारों, भावों तथा कथावस्तु आदि को रुपायित करता है, इन माध्यमों द्वारा सामाजिक को रसाभिमुख करता है, रस देश ले जाता है। नाटककार की कृति का प्रदर्शन अभिनय के द्वारा होता है। रस की भावानुभूति तो रचना के अभिनय की साधारणीकरण की भावना से ही सम्बन्धित है। अतः अभिनय, नाट्य और रस तीनों प्रयोग की दृष्टि से एक ही सूत्र से एक ही सूत्र में पिरोये हुए हैं। अभिनय के मुख्य चार वर्ग हैं– आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विका संस्कृत नाटकों में इनका सहजा प्रयोग देखने को मिलता है।

सन्दर्भ :

1. सिंह, डॉ0 उदयभानु, अनुवादक, संस्कृत नाटक : उद्भव और विकास, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, संस्करण–1965, पृ0 393
2. वही, पृ0 393–394.
3. वही, पृ0 395.
4. राजपुरोहित, डॉ० भगवती लाल, संस्कृत नाटक और रंगमंच शिवालिक प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण–2024, पृ0 89.
5. वही, पृ0 95.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 40-42

बाबा नागार्जुन के उपन्यासों में चित्रित सामाजिक समस्याएँ का परिप्रेक्ष्य

डॉ0 बी0पी0 पाठक*
*शोध–निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, मड़ियाहूँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मड़ियाहूँ, जौनपुर, उ0प्र0
आशीष कुमार मिश्रा**
**शोधार्थी, हिन्दी विभाग, मड़ियाहूँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मड़ियाहूँ, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : 'उपन्यास' गद्य साहित्य की विकसित विधा है। उपन्यास में मानव–जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों को अभिव्यक्ति देने के पर्यप्त अवसर मिलते हैं। सामाजिक जीवन के यथार्थ पक्षों और सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति की दृष्टि से नागार्जुन के उपन्यास सफल बन पड़े हैं। इनके उपन्यासों में मानवीय संबंधों, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के घात–प्रतिघातों का समग्र वर्णन पाया जाता है। प्रस्तुत शोध–पत्र में इन्हीं संदर्भों की पहचान और उनका विवेचन प्रस्तुत है। प्रस्तुत शोध पत्र में विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह शोध–पत्र पूर्व शोध–पत्र की पूरक और नये शोधार्थी के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

मुख्य शब्द : उपन्यास, गद्य साहित्य, आँचलिक चेतना प्रधान, प्रगतिशील मूल्य, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण आदि।

प्रस्तावना : आँचलिक चेतना प्रधान इनके उपन्यास विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन के सामाजिक पक्षों की यथार्थ तस्वीर खींचते हैं। नागार्जुन ने न केवल अपने परिवेश का निरीक्षण किया है, बल्कि जीवन के सुख–दुःख को भोगा है। नागार्जुन ने अपने युग की सामाजिक परिस्थितियों का अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया, शोषण के कारणों का अन्वेषण किया एवं प्रगतिशील मूल्यों का समर्थन करते हुए सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण किया है। आम आदमी के भविष्य के प्रति नागार्जुन की प्रबल आस्था है। आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं का वे खण्डन करते हैं। उनके सभी उपन्यासों में उनका स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। वे चाहते हैं कि बूर्जुआ मनोवृत्ति एवं पूँजीवादी संस्कृति का प्रचार न हो, किसी का सामाजिक अपमान और आर्थिक शोषण न हो, ऊँच–नीच का भेद–भाव न हो, उत्पादन पर सब का समान अधिकार हो और विकास या प्रगति करने का सबको समान अधिकार प्राप्त हो। अपने उपन्यासों के कथानकों में नागार्जुन ने इन्हीं विचारों को गुंफित किया है। "उपन्यासकार नागार्जुन के पात्र सम्मानपूर्वक जीने के लिए संघर्ष करते हैं। समाज के परिवेश में ही इन पात्रों के संघर्ष की सीमाएँ घिरी होती हैं। इन पात्रों का संघर्ष कभी घोर आत्मपरकता के नेपथ्य में प्रकट होता है, तो कभी समाजपरकता के नेपथ्य में इन उपन्यासों में विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक स्थितियों और समस्याओं को अभिव्यक्ति देने वाली घटनाएँ कथानक में एकसूत्रता उत्पन्न करती हैं और सहज रूप से कथा को विकास के अवसर प्रदान करती हैं।"[1]

नागार्जुन ने अपने उपन्यासों की कथावस्तु का चयन अपने समकालीन परिवेश से किया है। इसी कारण से इन उपन्यासों में चित्रित समस्याएँ जानी–पहचानी लगती हैं। नागार्जुन ने आस–पास के समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, शोषण एवं अत्याचारों का विरोध तीव्र स्वर में किया है। जातिवाद, वर्ग–वैषम्यों और धार्मिक वैषम्यों के प्रति विद्रोह–चेतना से अनुप्राणित होने के कारण इस उपन्यासकार ने सामाजिक समस्याओं के स्वरूप को पहचानने और उनके कारणों को तलाशने का ईमानदार प्रयास किया है।

'रतिनाथ की चाची' उपन्यास में बहु विवाह प्रथा, धार्मिक पाखण्ड, उच्च कुल का मोह और जर्जर परंपराओं में आस्थावन ग्राम वासियों की समस्याओं का यथार्थ अंकन पाया जाता है। इस उपन्यास में विकृत सामंती व्यवस्था और संस्कारों के सामान्य लोगों के जीवन पर प्रभाव का अंकन हुआ है। 'रतिनाथ की चाची' में बिकौआ और असंगत विवाह जैसी कुरीतियों से आक्रान्त स्त्रियों की पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। ग्रामीण समाज में निम्न जाति के लोगों को हेयता की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति की निंदा की गई है। अनमेल विवाह जैसी प्रथाओं के कारणों को पहचानने का स्तुत्य प्रयास इस उपन्यास में परिलक्षित होता है।

'बलचनमा' में निम्न वर्ग के लोगों की दयनीय स्थिति का यथार्थ अंकन हुआ है। इस में अनमेल विवाह और बाल–विवाह के दुष्परिणामों का यथार्थ अंकन पाया जाता है। इस में मध्यवर्गीय लोगों के दोहरे चरित्र को उजागर करने का भी प्रयास हुआ है। ग्रामीण लोगों पर जमींदारों के अत्याचारों के विरूद्ध साम्यवादी चेतना से पनपने वाले सामाजिक आन्दोलन का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। ग्रामीण जीवन में विभिन्न वर्गों के लोगों के संघर्ष, स्वार्थ, ईर्ष्या, जलन, आपसी मतभेद आदि की यथार्थ तस्वीर खींची गयी है। छुआछूत की प्रथा के प्रचलन के कारण देहातों में अधिकांश लोगों के उपेक्षित जीवन बिताने की विवशता को एक विडंबना के रूप में चित्रित किया गया है। 'बलचनमा' में दरभंगा जिले के लोगों के जीवन से जुड़े कई सामाजिक पक्षों का अंकन करते हुए, विभिन्न समस्याओं के समाधान के रूप में लेखक ने जो विचार व्यक्त किये, वे उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण के परिचायक हैं।

'नई पौध' उपन्यास में जमींदारों का शोषण, गाँवों में व्याप्त गुटबंदी, दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के बुरे परिणामों का यथार्थ अंकन पाया जाता है। ग्रामीण समाज में प्रचलित विवाह संबंधी अंधविश्वासों और रीति–रिवाजों के नेपथ्य में ग्रामीण लोगों के जीवन में उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। बहु विवाह प्रथा से जुडी कई समस्याओं पर विचार–विमर्श हुआ है। अस्मिता के भीतर अस्मिता की पहचान को महत्व देने के कारण छोटी–छोटी जातियों में होनेवाले संघर्ष को चित्रित किया गया है। 'नई पौध' में नारी–विक्रय की प्रथा का भी यथार्थ चित्रण पाया जाता है। गाँवों में नवोदित सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी 'नई पौध' उपन्यास विशिष्ट बन पड़ा है।

'बाबा बटेसर नाथ' उपन्यास में वट वृक्ष के माध्यम से सामाजिक शोषण की कथा कही गयी है। जमींदारों के विरुद्ध शोषितों के संघर्ष के अहिंसात्मक रूप को इस में प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में जन आन्दोलन के पक्षधर के रूप में नागार्जुन दर्शन देते हैं। इस उपन्यास में लेखक ने वर्गहीन समाज की कल्पना की है। निर्धन जनता पर किये गये अत्याचारों का यथार्थ अंकन पाया जाता है। शोषित वर्ग में अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष–चेतना को जाग्रत करने के

ईमानदार प्रयास परिलक्षित होते हैं। 'दुखमोचन' उपन्यास में मिथला आँचल के गाँव का चित्रण हुआहै। इस में उपन्यासकार ने निम्न वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। इस वर्ग के प्रगतिशील विचारों के युवकों के माध्यम से, शोषण के विरूद्ध विद्रोह करने में निम्न वर्ग की नैतिकता की जीत को दर्शया गया है। "अंतर्जातीय विवाह की समस्या से जुडे कई सामाजिक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इस में उच्च वर्ग के लोगों की जीवन–शैली का यथार्थ अंकन हुआ है। अंधविश्वासों, जाति–प्रथा, वर्ग वैषम्यों, शोषण और सामाजिक कुरीतियों का खण्डन भी किया गया है।"[2]

मछुआरों के सामाजिक जीवन को वस्तु बना कर नागार्जुन ने 'वरुण के बेटे' उपन्यास की रचना की है। इस में दो वक्त की रोटी कमाने के लिए संघर्ष करनेवाले मछुआरों की दयनीय स्थिति का अंकन हुआ है। ग्रामीण समाज में शोषण से जुडे कई सामाजिक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। समाज में फैले भ्रष्टाचार का यथार्थ अंकन इस में पाया जाता है। मछुआरों के जीवन में मौलिक अधिकारों की रक्षा से जुडी सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास में दलित समाज के प्रति नागार्जुन की संवेदना प्रकट हुई है। जमींदारी के उन्मूलन हेतु मछुआरों के संघर्ष को चित्रित किया गया है। सरकारी व्यवस्था के दुरुपायोग के परिणामों का अंकन हुआ है। इस उपन्यास में एक विशुद्ध मानवतावादी के रूप में उपन्यासकार नागार्जुन दर्शन देते हैं।

नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में पराधीन एवं स्वाधीन भारत की सामाजिक स्थितियों और समस्याओं पर प्रकाश डाला है। सामाजिक क्षेत्र में शोषण को इन्होंने कई रूपों में चित्रित किया है। आर्थिक वैषम्यों को मिटाने और सर्वाहारा वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने की जोरदार माँग की है। जमींदारों की मानवता विरोधी वृत्तियों का खण्डन किया है। 'बलचनमा', 'रतिनाथ की चाची', 'जमनिया का बाबा', 'पारो', 'दुखमोचन' आदि उपन्यासों में नागार्जुन ने जमींदारों के विलासमय जीवन का यथार्थ चित्रण किया है।

"पराधीन भारतीय समाज में प्रचलित जमींदारी प्रथा के बुरे परिणामों का वर्णन नागार्जुन ने यथातथ्य रूप में अपने उपन्यासों में किया है। जमींदार राजा मालिक और भगवान सब कुछ थे। 'बलचनमा' में राधा बाबू के ससुर लखपति जमींदार थे। दो पट्टियों में इस्टेट बंटा हुआ था। समाज में जमींदारों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, फिर भी रोब दाब उनकी कभी कम न हो सकी। इस तरह बस्ती में ऐसे ग्रस्त चार दो पाँच थे, जिनकी उपज हमारा मन से ज्यादा थी। बडे मालिक, मंझले मालिक, छोटे मालिक और बल्ली बाबू।"[3] 'बलचनमा' उपन्यास में जमींदारों की आर्थिक संपन्नता और उनके विलासमय जीवन का यथार्थ अंकन करते हुए उपन्यासकार नागार्जुन ने तत्कालीन समाज में आर्थिक वैषम्यों के कारण उत्पन्न समस्याओं की ओर पाठकों के ध्यान को आकृष्ट करने का प्रयास किया ह। 'रतिनाथ की चाची' और 'जमनिया का बाबा' में भी नागार्जुन ने जमींदारों के विलासमय जीवन से जुड़े कई पक्षों का यथार्थ अंकन किया है।

यह जमींदार महाशय जिला गोरखपुर के कोई दुबे थे। मोतिहरी शहर से डेढ मील उत्तर उनका मौजा था। दो सौ बीघा काश्तकारी भी थी। इसमें जमींदारी का चित्र है जो 'स्वार्थी अक्सर होते हैं।' हिन्दुओं के पास करोड़ों अरबों की सम्पदा एक–एक सेठ के पास है लेकिन गरीब पिछड़े हुए हिन्दू जंगलों और पहाड़ी इलाकों में मुट्ठी भर अनाज के लिएतड़प–तड़प कर मर जाएँगे। इस वर्ग का पतन धीरे धीरे अंग्रेजों की शोषण–नीति के कारण उच्च वर्ग और मध्य वर्ग में भी संक्रमित हुआ। नागार्जुन ने 'दुखमोचन' में उच्च वर्ग के जीवन का चित्रण स्पष्ट शब्दों में किया है। "नित्याबाबू गाँव के सबसे धनी व्यक्ति थे। उम्र पचपन और साठ के अन्दर थी। आधुनिक ढंग का पक्का दुमंजिला मकान पहले–पहले उन्होंने बनवाया था। सोलह जंगले, आठ दरवाजे बड़े–बड़े चार कमरे लोहा और सीमेंट का खुलकर उपयोग हुआ था। शोहरत थी, दस हजार रुपये नकद लगे थे। लोगों ने ग्रामोफोन पहले उन्हीं के दालान पर सुना था। पिछले साल से रेडियो भी बज रहा था। पोता विलायत गया बैरिस्टर बनन। छोटे लड़के की शादी हुई तो बाईस हजार का तिलक चढ़ा। पोता का ब्याह हुआ तो पन्द्रह हजार गिने थे।"[4]

नागार्जुन ने इस उच्च वर्ग के जीवन यापन का जो विलासी रूप होता है उसका सहीचित्रण करने में कसर नहीं छोडा "नित्याबाबू, मुलायम चटाई पर पेट के बल लेटे हुए थे। नौकर मालिश कर रहा था। लाल और पीले तेलों की दो शीशियाँ रखी थीं। नाश्ते की तश्तरी और चाय की जूठी प्याली पर मक्खियों की झुण्ड जमा था। अंग्रेजी दैनिक के पेज अलग–अलग पड़े थे नागार्जुन के उपन्यासों में जमींदारों के विलासमय जीवन का चित्रणपाया जाता है। सर्वहारा लोगों के प्रति इनकी संवेदनशून्यता के परिणाम घातक सिद्ध होते हैं। बूर्जआ मनोवृत्ति और पूँजीवादी संस्कृति का पोषण न हो, यही नागार्जुन चाहते हैं। जाति अथवा धर्म के नाम पर सामाजिक अपमान न हो और आर्थिक शोषण से निम्न वर्ग के लोग मुक्त हों, यही नागार्जुन की कामना है। उत्पादन पर सब के समान अधिकार की वे जोरदार माँग करते हैं। इन्हीं विचारों को आलोच्य उपन्यासों में नागार्जुन ने गुंफित किया है।

उपन्यासकार नागार्जुन ने ग्रामीण लोगों की वैयक्तिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का यथार्थ विश्लेषण करते हुए गरीब किसानों, मजदूरों और स्त्रियों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में अपेक्षित कदम उठाने की माँग की है। एक समाजशास्त्री के रूप में इन्होंने समस्याओं का अनुशीलन तटस्थ ढंग से किया है और उनके हल ढूँढ़ने का प्रयास किया है। ग्रामीण समाज में लोगों की अशिक्षा, गरीबी और अन्य विवशताओं के कारण वेमेल विवाह की प्रथा प्रचलन में है। योग्य वर का चुनाव करने में असमर्थता के कारण कई परिवारों में माँ–बाप अपनी बेटी की वेमेल शादी करवाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण किसी वृद्ध के साथ अपनी बेटी का विवाह करवाने वे संसिद्ध हो जाते हैं। वेमेल–विवाह के कई दुष्परिणाम होते हैं। अकाल वैधव्य की शिकार बन कर नारी दुर्भर जीवन बिताती है। नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में अनमेल विवाह की प्रथा का खण्डन किया है। "'रतिनाथ की चाची', 'उग्रतारा', 'पारो', 'बलचनमा', 'नई पौध' आदि उपन्यासों में अनमेल विवाह की समस्या के नेपथ्य में नारी के जीवन में तान–तनाव का यथार्थ अंकन पाया जाता है।"[5]

'रतिनाथ की चाची' में अनमेल विवाह की समस्या से जुडे कई पक्षों पर प्रकाश डाला गया है द्यतरकुलवा में ब्राहमणों के खानदान में, संस्कृत की नैतिकताओं पर ढोंग पालने वाला शुभंकरपुर के नीलमाधव के यहाँ गौरी, नारी–जीवन का अभिशाप बन कर आती है। वहाँ वैधव्य को नारी आजीवन ढोती है। फलतः उसका जीवन नष्ट होता है और एक जिन्दालाश की तरह अपमान और शोषण को हुआ सहती रहती है। 'उग्रतारा' के अंतर्गत, सिपाही भभीखन सिंह उगनी से तीन गुना बड़े हैं। उग्रतारा अपने दाम्पत्य जीवन के सहवास को उम्र के बडे फासले के कारण बलात्कार कहती है। विवाह पद्धति पर चोट करता हुआ उगनी का आत्मसंघर्ष इस तथ्य को प्रकट करती है, यह भी बलात्कार ही था। ठीक है, भभीखन सिंह से शादी की थी। ठीक है आधे घंटे तक अग्नि में आहुतियाँ डाली गयी थीं। ठीक है, हवन के धुएँ ने बहुतों की आँखों को आनन्द के आँसुओं से गीली कर दी थी। ठीक है, तोलाभर सिन्दूर माँग के बीचों बीच कई दिनों तक जमा रहा। सब कुछ ठीक है, लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच उम्र का बडा

फासला किस तरह मखौल उड़ा रहा था। विवाह के कारण बाबू भभीखन सिंह को कानूनी तौर पर इस बलात्कार का हक हासिल हुआ। अब गनी उनकी संतान को अपने लहू से पुष्ट बनाएगी।

'बलचनमा' उपन्यास में बलचनमा की माँ और दादी के वैधव्यपूर्ण जीवन का चित्रण उपन्यासकार ने किया है। पेट भरने के लिए बलचनमा की माँ और दादी अपने मालिक का चरवाह बना देती हैं। परिवार संभालने के लिए विधवा जीवन में नारी को बेबस होना पडता है। इस का फायदा छोटे मालिक रेबनी पर जबरदस्ती करना चाहता है, परन्तु माँ अपनी बेटी के शील की रक्षा करती है। मालिक उसके साथ भी जुल्म करता है, फिर भी वह डगमगाती नहीं। बोला साली, अपनी बेटी को यहाँ ले आएगी कि नहीं ? बोल। बलचनमा की माँअन्त तक पिटाई सहन की, आँसू बहाए परन्तु हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे को जीवन–मंत्रदेते समय, उसने कहा–मर जाना लाख गुना अच्छा है, मगर इज्जत का सौदा करना अच्छा नहीं।

"नागार्जुन के उपन्यासों में चित्रित नारी पात्र अधिकतर विधवा ही हैं, जिनके प्रति भारतीय समाज का बर्ताव अत्यन्त कठोर और ममताहीन रहा है। नारी दहेज प्रथा अनमेल विवाह से भी प्रताड़ित है। इन विधवाओं का और अन्य प्रताड़ित नारियों का जीवन देखकर संवेदनशील ह्दय के कलाकार नागार्जुन ने अपनी कलम यथातथ्य चलायी है।"[6] नागार्जुन ने अनेक प्रकार के नारी चरित्रों का चित्रण किया है। एक जो विधवा नारी जो समाज द्वारा अधिकांश पीडित है। ऐसे नारियों में प्रमुख हैं गौरी, दमयंती, सुशीला, चन्द्रमुखी, 'रतिनाथ की चाची', 'बलचनमा' की माँ और दादी। 'दुखमोचन' की उगनी, 'नयी पौध' की रामेसरी एवं वाचस्पति की माँ और भुवन।

नागार्जुन इन सब परिस्थितियों के ज्ञाता ही नहीं, वरन् अनुभवी भी हैं। यह सच है कि यह सब आर्थिक विषमताओं और अशिक्षा का परिणाम है। अर्थाभाव कन्या पक्ष वाले अनमेल वर से सैकडों की रकम लेते हैं और उन्हें उपहार में फूल सी कन्याओं को आदर्श पत्नी के रूप में देकर अपने को निहाल करते हैं। 'रतिनाथ की चाची' का 'भोला पण्डित' नयी पौध का 'खोखा पण्डित' और 'पारो' का 'लूच झा' इसी तरह के व्यवसाय में दक्ष हैं। वे कन्याओं को जानवरों की तरह बेचकर मोटी रकम लेते हुए वृद्ध वर को 'सूर्यवंशी' 'शीलागार कन्दर्प कुमार' बताते हैं। 'नई पौध' में अनमेल विवाह का शिकार बिसेसरी होगयी है। 'चतुरानन चौधरी' साठ साल का बूढा बिसेरी से विवाह करने बारात लाता है। जो उच्च वर्ग का जमींदार है। 'बम पाटी' वाले नवयुवक इसका विरोध कर बारात भगा देते हैं। बिसेरी से विवाह करने के लिए वाचस्पति झा जो सोसियालिस्ट नवयुवक मध्य वर्ग का है,सहमति व्यक्त करते हुए दुर्गानंद से कहता है। आप लोग सामाजिक विषमता के कारण जिस मुसीबत में फैसला किया है सो आपको मालूम हो गया होगा। व्यक्ति का संकट ही समाज का संकट है और समाज का संकट समूचे देश का संकट है।

अतः कहा जा सकता है कि उपन्यासकार नागार्जुन ने ग्रामीण जीवन में प्रचलित सामाजिक कुप्रथाओं का खण्डन किया है। बाल–विवाह, अनमेल विवाह और दहेज–प्रथा जैसी समस्याओं के नेपथ्य में गरीब परिवार की बेटी के जीवन में संघर्ष का यथार्थ चित्रण करने में नागार्जुन ने विशेष रुचि दिखाई है। अधिक संख्या में अनमेल विवाह के लिए संसिद्धता प्रकट करने वाली बेटियों की मानसिकता और विवशता को नागार्जुन ने एक विडंबना के रूप में दर्शाया है।

सन्दर्भ :

1. गगराणी, डॉ0 उमा, उपन्यासकार नागार्जुन का एक रचना संसार का तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय ग्रन्थ निकेतन, दिल्ली, संस्करण–1998, पृ0 65
2. अरोणा, डॉ0 ललित, नागार्जुनः एक अध्ययन, भारतीय ग्रन्थ निकेतन, दिल्ली, संस्करण–1998, पृ0 45
3. सिंह, विजय बहादुर, नागार्जुन का रचना संसार, सदभावना प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण–1982, पृ0 78
4. यादव, डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप, स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी उपन्यासों में ग्रामीण यथार्थत और समाजवादी चेतना, भावना प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण–1992, पृ0 136
5. वही, पृ0 65
6. राय, आशुतोष, नागार्जुन का गद्य साहित्य, लोकभारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण–2006, पृ0 95

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 43-45

कृष्णा सोबती की कहानियों में स्त्री चेतना का परिप्रेक्ष्य

डॉ0 सुमन सिंह*

**शोध–निर्देशक, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, मड़ियाहूँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मड़ियाहूँ, जौनपुर, उ0प्र0

कविता सिंह*

**शोध–छात्रा, हिन्दी विभाग, मड़ियाहूँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मड़ियाहूँ, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : प्रस्तुत शोध–पत्र कृष्णा सोबती की कहानियों में स्त्री चेतना का परिप्रेक्ष्य संदर्भों की पहचान और उनका विवेचन प्रस्तुत है। कृष्णा सोबती जी ने अपने कहानियों में विविध समस्याओं को चित्रित किया है तथा समाज के निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर की विविध समस्याओं को अपनी कहानियों में स्पष्ट किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह शोध–पत्र निश्चित ही पूर्व शोध–पत्र की पूरक और मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

मुख्य शब्द : मंचीय प्रस्तुति, नाटककार, भूमिका ग्रहण, यथार्थवाद, नाट्यशास्त्र आदि।

प्रस्तावना : साहित्य समाज का लिखित दस्तावेज है, जिसमें समाज राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप को तलाशता है। आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वाधीन भारत से मानो सवाल पूछ रहा है। दलित विमर्श एवं स्त्री विमर्श साहित्य में उठने वाले ये दोनों ज्वलन्त प्रश्न हैं। जो आज अपने हिस्से की आजादी के लिए गुहार लगा रहे हैं। इन्दिरा नूपुर की कविता में इसी भावना की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है–

''मेरा भी तो मन है उड़ूँ, पंख खोलूँ
मुझे भी तो जीवन को जीने का हक है।
मेरे पंख काटो न मुझको मिटाओ
कि बनकर चिरैया चहकने मुझे दो।
मैं नन्हीं कली आज खिलने को आतुर
जहा फूल बनकर महकने मुझे दो।''[1]

स्त्री देश की संस्कृति, धर्म, साहित्य एवं ज्ञान–विज्ञान का स्तम्भ होती है। वह विभिन्न रूपों में राष्ट्र की सेवा करती है। सबसे पहले माता की गोद से नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। इस देश की मिट्टी से जो सहज सुगन्ध फैलती है, वह ममता एवं स्नेह से पूर्ण है। इसी कारण भारत माँ की कल्पना के साथ इस देश को सांस्कृतिक परम्परा में नारी का विशिष्ट स्थान रहा है। स्त्री–पुरुष दोनो एक–दूसरे के पूरक हैं। अतः सामाजिक दृष्टि से समाज की प्रगति में स्त्रियों का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है, जितना पुरुषों का। विडम्बना यह है कि इसी देश में नारी पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी रही। बाल–विवाह सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जैसी कुरीतियों से उसकी अस्मिता और अस्तित्व को छट–विछत किया जाता रहा। नारी इन कुरीतियों से निकलने के लिए तड़पती रही, गुहार लगाती रही, जब कोई सुनने वाला नहीं मिला हो उसने साहित्य का सहारा लिया। इस साहित्य का स्पष्ट मन्तव्य है कि समाज को उन्हें पुरुष के पीछे नहीं, अपितु सहगामिनी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तभी समाज में फैली कुरीतियों का अन्त सम्भव है।

स्वातन्त्र्योत्तर काल के परिवर्तित परिवेश ने नारी जीवन को गहराई से प्रभावित किया, नारी की स्वतन्त्रता ने उसे शिक्षित, कार्य कुशल और आत्मनिर्भर बनाया। पुरुष के साथ पारिवारिक सम्बन्धों को लेकर घिरी हुई नारी का सम्पर्क क्षेत्र बढ़ा और वह अन्य पुरुषों का विवेचन करने वाली दृष्टि व शक्ति प्राप्त कर सकी। आधुनिक हिन्दी कहानी अपने सफर में आज जहाँ पहुंची है, उसमें महिला लेखन का सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के आठवें दशक में अनेक महिला कथाकारों ने अपनी रचनाधर्मिता का परिचय दिया। जिसमें नारी अपने यथार्थ रूप में प्रस्तुत हुई। कृष्णा सोबती समकालीन कथाकारों में एक अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व है। नारी होने के कारण उन्होंने नारी हृदय का पीड़ा को गहराई से अनुभूत किया है। नारी मन के विशिष्ट भावों का अत्यन्त सूक्ष्म, मार्मिक एवं सांगोपांग चित्रण करने में उनके कथा साहित्यपूर्ण सफल हुए हैं तथा वर्षों से उपेक्षित युगों से तिरस्कृत, शोषित नारी में नव्य जीवन की आशा जागृत करने में सक्षम है। उन्होंने नारी की सम्पूर्ण दुर्बलताओं को दूर करके उसे अदम्य शक्ति सम्पन्न बनाया है। ''जीवन की यथार्थ, स्त्री की अस्मिता का सवाल, नारी–पुरुष सम्बन्धी सभी विषय बेबाक होकर प्रस्तुत करने वाली लेखिकाओं में सबसे अलग और सशक्त लेखिका है– कृष्णा सोबती।''[2]

सोबती जी की कहानियों का प्रमुख केन्द्रबिन्दु स्त्री है। स्त्री के शोषित दमित व कुण्ठित व्यक्तित्व को उभारने का भरसक प्रयत्न लेखिका ने किया है। ''वे स्त्री को अपने अस्तित्व की पहचान व निर्माण करने की प्रेरणा देती है। परिवार की प्रमुख सूत्रधार और धुरी नारी ही है। अस्तु उसे परिवार के परिप्रेक्ष्य में चित्रित करने का प्रयास उनकी कहानियों में है। नारी सम्बन्धों को विभिन्न संदर्भों मे चित्रित किया गया है, जिसमे हर सम्भव नारी गरिमा व महत्ता को रुपायित करता है।''[3] व्यक्ति का परिवार से सम्बन्ध तथा व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध आज शिथिल होते जा रहे हैं। लेखिका इन रिश्तों की संवेदना और रिश्तों में आते बिखराव को गहराई से महसूस कर उसे पाठकों के सम्मुख सच्चाई को समेटने की दृष्टि से कृष्णा जी की रचनायें विशेष महत्व रखती है। कृष्णा जी के कहानी संग्रह 'बादलों के घेरे' में चौबीस कहानियाँ संग्रहित हैं, जिसमें ''भोला बादशाह, एकदिन, बहिनें, दादी अम्मा और बदली बरस गयी' कहानियाँ नारी सम्बन्धों का लेखा–जोखा प्रस्तुत करती हैं।''[4] इसमें स्त्री के अनेक रूप अपने विशेष चरित्रों को लेकर पूर्ण क्षमता के साथ प्रस्तुत है। कहीं वह माँ है, कहीं दादी, कहीं सास, कही बहू और कहीं पत्नी के रूप में उद्भुत है। इतने अधिक में बंधी स्त्री अकेली नहीं है, परन्तु वह इनके बीच उपेक्षित और पीड़ित है, ऐसी उपेक्षा और पीड़ा से बाहर निकालकर इसे अपने साहस से परिचित कराने का प्रयास कृष्णा जी ने किया है। इन कहानियों में नारी अपने पराजय को स्वीकार नहीं करती, बल्कि जीवन के प्रति अटूट आस्था व्यक्त करती है। संकलन की सभी कहानियाँ अपने आप में कृष्णा जी के सृजन और सामाजिक सजगता के प्रमाण हैं। प्रेम और स्त्री–पुरुष के सम्बन्धों के विषय में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गयीं। कृष्णा जी की प्रेम सम्बन्धों वाली कहानियाँ अपने सारे रोमानी, भावुक मिजाज के बावजूद इस तथ्य को उद्घाटित करने पर बल देती हैं कि

तन का धर्म मन के धर्म से अलग नहीं होता। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ में पत्नी और प्रिया वाले स्थूल और समूचे जीवन को ढोग से भर देने वाले विभाजन को वे अस्वीकार की हैं।

भारतीय परम्परा के अनुसार चली आ रही द्विपत्नीत्व की समस्या को कृष्णा जी ने 'एक दिन' कहानी में व्यक्त किया है। धर्मपाल अपनी पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी करता है, लेकिन उसकी पहली पत्नी शीला को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। क्योंकि वह एक भारतीय नारी है, लेकिन धर्मपाल की दूसरी पत्नी श्यामा का शीला के प्रति व्यवहार बहुत ही निराशाजनक था। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है– ''अपनी बेबसी, पति की निर्दयता और सौत की वह उपहासजनक हँसी आँखों में उतर आयी।''[5] 'बादलों के घेरे 'कहानी में मन्नो क्षयरोग से पीड़ित है। उसे कोई भी छूने को तैयार नहीं है। वह जब दो दिनों के लिए बुआ के घर रहने के लिए जाती है, तब बुआ बच्चों को लेकर घर के बाहर चली जाती है और मन्नों के लिए किराये का सामान मंगवाती है।

''बरामदे मे से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। तो मन्नो के कमरे की सजावट, सुख–सुविधा, सब किराये पर बुआ ने जुटाये थे। इसी कहानी में रवि भी क्षयरोग से पीड़ित हो जाता है तब वह भुवाली की कॉटेज में अकेला पड़ा रहता है। उसकी पत्नी तथा बच्चे कभी–कभी उसे देखने आते हैं तो उसे दूर से ही देखकर प्रणाम कारके चले जाते हैं। तब रवि सोचता है कि, ''जिस मीरा को मैंने वर्षों से जाना है, वह अब मेरे पास–सी नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती। उसे मैंने छू–छूकर छुआ था, चूम–घूमकर चूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उछलन आती है तो मीरा नहीं, मन्नो की आँखे ही सभी दिखती है।''[7]

'बहने' कहानी की मॅझली बहन विधवा है। वह अपनी बड़ी बहन के कहने पर उसके बेटे की शादी के लिए आती है। आते वक्त बहन तथा उसके बेटे के लिए ढेर सारा सामान लाती है। लेकिन बड़ी बहन की सास उसे कोसने का एक भी मौका नहीं गँवाती। वह कहती है, ''बेटी, सास–ससुर तो अच्छे है? सुना था, कारोबार के दो हिस्से हो गये हैं। बेटी, देवर–देवरानियाँ तो वहीं हैं न छोटे देवर के यहाँ लड़का हुआ है, बधाई हो! उस दिन शायद बहू कह रही थी कि देवर के लड़के को मंझली गोद ले रही है।''[8] इस तरह के ताने देती रहती है, बारात में मंझली शामिल नहीं होती है, दूर से देखती रहती है। 'बदली बरस गयी' कहानी में कल्याणी के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ पर सास तथा ननद बहुत ही अत्याचार करती है। इन अत्याचारों से तंग आकर वह अपनी बेटी को लेकर आश्रम में रहने जाती है। वहाँ जाने के बाद वह अपना रूप बदल देती है। इस संदर्भ में कल्याणी कहती है, ''दूसरे दिन जब देर गये उठकर यह कोठरी के द्वार पर आ खड़ी हुई तो माँ के तन पर गीली धोती थी माथे पर चन्दन का टीका था और... और जब माँ कोठरी में लौटी तो सिर पर घने काले केश नहीं थे। धोती का पल्ला बालों से नहीं, मस्तक से लगा रह गया था।"[9]

'गुलाबजल गॅडेरिया' कहानी की धन्नो अब बूढ़ी हो चुकी है। उसका सगा कोई नहीं है, उसकी देह थक गयी है। वह अकेली है, साथ ही गरीबी के कारण खाने की चाह होते हुए भी वह कुछ खा नहीं सकती। गँडेरी गुलाब का नाम सुनते ही वह अतीत की स्मृतियों में खो जाती है। उसके ससुर वर्फ बेचने का काम करते थे वर्फ का नाम सुनते ही उसके मुँह में पानी आता है। वह भूख के कारण सभी मिठाइयों को याद करती है। जैसे– ''मलाई की कुलफी, जामुन, मीठा मेवा, पेड़ का पका शह तूत... बना दिया जलेवा, बनाने वालों ने, लगा दिये... तरावट से धन्नो का गला भींग गया।"[10] इस प्रकार गरीबी के कारण धन्नो अपने मन के भोजन की चाह रखे हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कहानी में नारी की विवशता के साथ ही अभाव का विद्रूप रूप भी प्रस्तुत हुआ है। 'दादी अम्मा' कहानी की दादी अब बूढ़ी हो चुकी है। परिवार में अब उसकी कोई नहीं सुनता, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। दादी को लगता है कि अब उसका बेटा भी उसे नजरअन्दाज करने लगा है। वह सबसे झगड़ा करती रहती है। दादी बीमार होती है, लेकिन उसकी ओर कोई देखता नहीं, दादी चुपचाप रहने लगती है। ''आज दादी को न देखकर छोटी बेटी हँसकर मंझली भाभी से बोली भाभी, दादी अम्मा के पास अब शायद कोई लड़ने–झगड़ने को बात नहीं रह गयी, नहीं तो अब तक कई बार चक्कर लगाती।''[11] इस प्रकार दादी अम्मा के जीवन मे ऐसा भी दिन आ जाता है, जब परिवार के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।

'कुछ नहीं कोई नहीं' कहानी को शिवा अन्त में अकेलेपन को स्वीकार कर लेती है। ''फिर कभी घर न देखेंगी न घर का सामान, न सामान से लिपटी अतीत की स्मृतियाँ। कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊँगी कुछ पता नहीं।"[12] इस प्रकार से शिवा अकेलेपन मे अपना जीवन बिताना चाहती है। 'अभी उसी दिन ही तो' कहानी की सकुनी भी इसी समस्या से पीडित है। वह भी अपने आप को अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि उसके बेटे तथा परिवार के लोग उसे भूल चुके हैं, वह अकेलेपन का शिकार हो चुकी है। अकेलेपन में बैठी–बैठी वह अपने आज तथा अतीत की तुलना करती रहती है। 'खम्माधणी अन्नदाता कहानी में समाज में आये परिवर्तन का चित्रण किया है। राजा का राज्य अब लोकराज्य बनने वाला है। यह सुनकर राजा की मानसिक स्थिति का चित्रण कहानी में किया गया है। 'मेरी माँ कहाँ' कहानी में देश विभाजन की समस्या का चित्रण किया गया है। यूनुस खाँ एक बच्ची की जान बचाने के लिए उसे अस्पताल ले जाता है। वह बच्ची ठीक हो जाती है तो उसे पता चला है– कि यूनुस खाँ ने ही उसने परिवार की हत्या की है। यहाँ पर देश विभाजन के समय की त्रासदी का चित्रण कृष्णा जी ने किया है।

'शम्मोजान' कहानी में शम्मोजान एक तवायफ है। उसे मालूम है कि आज आजादी का दिन है। इसीलिए सारे नगर को सजाया गया है। यही कारण है कि वह अपनो दुकान भी सजाती है। मुन्नी शम्मोजान से आज के दिन के बारे में पूछती है, तब वह बताती है कि आज आजादी का दिन है। यह सुनकर मुन्नी शम्मोजान से कहती है, ''क्या कहा, आजादी? लोगों को आज मिल रही है आजादी! आबादी तो हमारे पास है, हम–सा आजाद कौन होगा शम्मोजान।''[13] इस प्रकार देश आजाद होने के बावजूद क्या यहाँ रहने वाले लोग आजाद हुए यह सोचनीय प्रश्न है। लोगों को आज भी आजादी का मतलब ही नहीं पता है।

अतः कहा जा सकता है कि कृष्णा सोबती जी ने अपने कहानियों में विविध समस्याओं को चित्रित किया है तथा समाज के निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर की विविध समस्याओं को अपनी कहानियों में स्पष्ट किया है। इन मुद्दों को देखने से कृष्णा जी ने अपनी कहानियों में समस्याओं को किस प्रकार चित्रित किया है, यह स्पष्ट हो जाता है। उनकी प्रत्येक कहानी में किसी न किसी समस्या को उजागर किया गया है, जिन्हें पढ़कर पाठक सोचने के लिए विवश हो जाता है। प्रत्येक समस्या को अलग अन्दाज से प्रस्तुत किया है। इस कारण कहानियाँ बोझिल नहीं हो पातीं। अपनी कहानियों में नारी समस्या तथा अन्य समस्याओं का चित्रण करने में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है।

सन्दर्भ :

1. सिंह, सुद्धा, ज्ञान का स्त्रीवादी पाठ, ग्रन्थ शिष्यी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण–2007, पृ0 15.
2. पी. सुप्रिया, कृष्णा सोबती की कहानी कला, जवाहर पुस्तकालय, अपुरा संस्करण–2008, पृ0 दिल की बात से।
3. डॉ0 अनिता, कृष्णा सोबती के कथा साहित्य में स्त्री का स्वरूप, जवाहर पुस्तकालय, मथुरा, संस्करण–1999, पृ0 77
4. सोबती, कृष्णा, बादलों के घेरे, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण–2006, पृ0 अनुक्रम से।
5. वही, पृ0 167
6. सोबती, कृष्णा, बादलों के घेरे, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्वारण–2006, पृ0 14.
7. वही, पृ0 29
8. सोबती, कृष्णा, बादलो के घेरे, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली संस्करण–2006, पृ0 57.
9. वही, पृ0 65.
10. सोबती, कृष्णा, बादलों के घेरे, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली संस्करण–2006, पृ0 75.
11. वही, पृ0 39
12. सोबती, कृष्णा, बादलों के घेरे, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली संस्करण–2006, पृ0 89.
13. वही, पृ0 139.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, **Pub. by :**SARDI, Vns, U.P.(INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **I2OR Impact Factor :**7.250, Vol . XII, No. I, Supplement (December) 2022, Page No. : 46-47

मोहन राकेश के नाटकों का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ0 बृजेश कुमार सिंह*
**शोध–निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलियाँ, उ0प्र0

विनोद कुमार**
**शोधार्थी, हिन्दी विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलियाँ, उ0प्र0

सारांश : प्रस्तुत शोध–पत्र में मोहन राकेश के नाटकों का समीक्षात्मक अध्ययन को विश्लेषित किया गया है। मोहन राकेश जी की साहित्य साधना उनकी अन्तः प्रवृत्ति थी। वह एक ऐसी आवश्यकता थी, जिसके बिना वे रह नहीं सकते थे। यह आन्तरिक आवश्यकता कहीं तो अपने आपको सम्प्रेषित करने की बलवती इच्छा से प्रेरित थी, तो कही परिवेश में व्याप्त निरूपता को गहराई से देखने और उसके विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा से उनमें सदैव बनी रही।

मुख्य शब्द : संस्कृत साहित्य, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, हिन्दी नाट्य लेखन, वैयक्तिक अन्तर्द्वन्द्व, अर्थहीन आदर्शवाद आदि।

प्रस्तावना : ''राकेश जी को पिता के साहित्यिक संस्कारों ने गहराई से प्रभावित किया तो संस्कृत साहित्य के अध्ययन ने उन्हें कलात्मक पूर्णता और सौन्दर्यबोध प्रदान किया। पुनः अंग्रेजी साहित्य और देश–विदेश के साहित्यों की नवीन गतिविधियों के अध्ययन ने राकेश जी को परिमार्जित कर युग सापेक्ष बनाया।''[1] आरम्भ में वे संस्कृत में रचना करते थे। उनके अध्यापक पं. राधारमण उनकी रचनाओं को संस्कृत रूप देते थे, पर शीघ्र ही वे हिन्दी में लेखन कार्य करने लगे। उनके संस्कृत प्रेम और ज्ञान का प्रभाव उनके नाटकों की विषयवस्तु और भाषाशैली पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।

राकेश जी के अनुसार व्यक्ति का एक मनोवांछित संसार भी होता है, जिसके अनुरूप वस्तु वह पाना चाहता है, पर सदैव यह संभव नहीं है। इसलिए उनमें एक अजीब प्रकार का आत्मनिर्वासन अकेलापन और अजनबीपन है। लेखक के रूप में कई बार वे स्वयं से प्रश्न करते हैं कि आखिर जीवन की सार्थकता क्या है? उनकी भटकन एक संवेदनशील मन की भटकन थी, जो संतुष्टि चाहती थी, किन्तु वह मिलती नहीं थी। एक ओर अतिबौद्धिकता और दूसरी ओर अति भावुकता। राकेश जी का यही स्वभाव उनके नाटकों में दिखाई पड़ता है। उनके स्वभाव में विरोधी बातों का मिलना स्वाभाविक ही था, क्योंकि एक ओर उन्होंने हिन्दी के लेखकीय सम्मान को ऊँचा उठाया तो दूसरी ओर किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव से मुक्त होकर वे लिखते रहे, उनकी मान्यताएँ गहन सूझ–बूझ, अन्तर्द्वन्द्वों एवं गहरे विचारों के बाद उद्भूत हुई। ''राकेश जी अपनी कृतियों में, सर्जनों के क्षण में बहुत जागृत और प्रबुद्ध थे। उनके अन्दर के कलाकार का निर्माण कुछ ऐसी ठोस धातु से बना हुआ था कि लेखन के प्रति वे जीवन भर निष्ठावान और समर्पित बने रहे। उनकी आन्तरिक विडम्बनाओं ने उनके लेखक को सजाया–सँवारा, बिखरने अथवा टूटने नहीं दिया।''[2]

मोहन राकेश जी ने हिन्दी नाटक को एक नयी दिशा प्रदान की है। कथानक या भाषा–शैली, पात्र संयोजन हो या प्रस्तुतीकरण, राकेश जी ने हिन्दी नाटकों की विधा में सर्जना के नये आयाम खोजे हैं। राकेश जी के नाटक हिन्दी नाट्य लेखन को एक नयी संवेदना एवं नवीन युगबोध से परिचित कराते हैं। इनके पहले के नाटक जहाँ घटना प्रधान और इतिवृत्तात्मक हुआ करते थे। कथ्य–शिल्प, भाषा और प्रयोग की दृष्टि से आधुनिक नाटकों की शुरुआत राकेश जी के नाटकों से मानी जाती है। यद्यपि राकेश जी ने सभी विधाओं में कार्य किया है, पर सबसे अधिक सफलता नाटकों के क्षेत्र में मिली। उन्होंने इसका भी प्रयत्न किया कि नाटक सीधे रंगमंच से जुड़े। राकेश जी ने हिंदी नाटक को जो नया मोड़ दिया, वह अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अपने नाटकों में परम्परागत वस्तु विन्यास का त्याग करके, घटनाक्रम के स्थान पर परिवर्तन, स्थितिसर्जन के सहारे कथानक की गति प्रदान की। सहजता के भीतर दंशपूर्ण संवादें की दृष्टि की और (संवेदनाधातों) के मध्य बौद्धिक संप्रश्नता का प्रकाश विखेरा, लेकिन मोहन राकेश ने जो सबसे बड़ा कार्य किया, वह यह कि हिन्दी नाटक की साहित्यिकता को पूरी तरह प्रबुद्ध एवं समृद्ध संचेतना में ढाल दिया।

मोहन राकेश ने ऐतिहासिक कथावस्तु के कलेवर का चुनाव सहज इतिहास सम्बद्ध तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए नहीं किया। उन्होंने नाटकीय स्थिति को प्रभावपूर्ण और तीव्र बनाकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक मानव की विडम्बनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। राकेश जी के नाटक अपनी एवं परम्परा से भिन्न हैं। यथा–उन्होंने नाटकों को घटना के परिप्रेक्ष्य में देखकर व्यक्ति के अन्तर्द्वन्द्व के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त किया है। वे आधुनिक मानव की अस्थिरता प्रवृत्ति और निवृत्ति का द्वन्द्व, बौद्धिकता आदि को रेखांकित करना चाहते थे। उनके नाटकों में 'आषाढ़ का एक दिन', लहरों के राजहंस, 'आधे–अधूरे' तथा 'पैर तले की जमीन' हैं। राकेश जी ने अपने नाटकों में बदलते हुए सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में व्यक्ति के निजी सम्बन्धों, स्त्री–पुरुष के रिश्तों की विडम्बना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। वे रूढ़िहीन जीवन के समर्थक थे, उनका साहित्य आधुनिक–युग के तनाव को अभिव्यक्त करता है।

'आषाढ़ का एक दिन' राकेश जी का सर्वाधिक लोकप्रिय और चर्चित नाटक है। यह महाकवि कालिदास के जीवन को आधार बनाकर रचा गया है। नाटक की रचना के पीछे लेखक का उद्देश्य कालिदास के माध्यम से एक ऐसे सर्जक का चित्र प्रस्तुत करना है, जिसके अपने द्वन्द्व होते हैं। कालिदास को इतिहास प्रसिद्ध कवि के रूप में न लेकर एक प्रतीक के रूप में लिया है। नाटक में लेखक ने कालिदास के न तो समग्र जीवन को प्रस्तुत किया है और न स्थूल बाहरी घटनाओं को। यह सर्जनशील प्रतीक्षा के अंधेरे–उजाले के कुछ अन्तरंग पक्षों का ही उद्घाटन करता है। अतः यह नाटक ऐतिहासिक होकर भी ऐतिहासिक नहीं हैं। महाकवि की कथा कहना नाटक का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए ऐतिहासिक पात्रों के साथ यहाँ कल्पित पात्र भी हैं, जैसे स्वयं कालिदास, उन्हें भी आज की पृष्ठभूमि में रखकर देखा गया है। 'आषाढ़ का एक दिन नाटक की विशेषता यह है कि प्रथम नाट्य रचना होते हुए भी यह राकेश जी की प्रौढ़ कृति है। मल्लिका के कथन से नाटक का आरम्भ होता है– ''आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा दूर–दूर तक की उपत्यकायें भींग गयीं और मैं भी तो, देखो न माँ कैसी भींग गयी हूँ।''[3]

'आषाढ़ का एक दिन' आधुनिक संदर्भों को व्यक्त करता है। कालिदास की प्रिया मल्लिका, कालिदास को उज्जयिनी भेजना, गुप्त वंश की राजदुहिता से कालिदास के विवाह का मल्लिका को समाचार मिलना, प्रियंगुमंजरी से मल्लिका की भेंट,

कालिदास के चले जाने के उपरान्त मल्लिका का यातना में डूबे रहना। कालिदास का कश्मीर छोड़ देने का समाचार और कालिदास ने संन्यास ले लिया है, यह जानकर मल्लिका कहीं अत्यन्त गहरे तक आहत है– ''मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परन्तु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है।''[4] कालिदास का मल्लिका के पास वापस आना मल्लिका और कालिदास की वार्ता के मध्य विलोम का आना और उसका कालिदास से कहना कि, ''तुम यहाँ लौट आये हो, क्योंकि वर्षा से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है। क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं, परन्तु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिये हैं।''[5] मल्लिका की पुत्री का रोना और कालिदास का लौट आना, नाटक के अन्त में करुण यथार्थ प्रस्तुत हुआ है।

मोहन राकेश जी का दूसरा नाटक 'लहरों का राजहंस' 'आषाढ़ का एक दिन' की भाँति ही ऐतिहासिक होकर भी पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं है। राकेश जी ने प्रतिभा और स्वच्छन्द कल्पना में सम्मिक्षण से अपनी ही अन्तःप्रवृत्ति के अनुकूल पात्रों की रचना की है और घटनाओं का सर्जन किया है। नाटक यद्यपि ऐतिहासिक है, पर इसके पात्र आज के संदर्भ में जीते, आज के अन्तर्द्वन्द्वों के बीच गुजरते हैं और आज की टूटन को अनुभव करते प्रतीत होते हैं। ऐतिहासिक होते हुए भी यह नाटक सर्वथा नवीन है। नाटक के कथानक में ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण है और उसके पात्रों का चारित्रिक आधार बौद्ध साहित्य है। सुन्दरी का कामोत्सव आयोजन मृगया मृत–मृग दर्शन तथा तीसरे अंक में व्याघ्र से युद्ध तथा कुछ पात्रों आदि का आयोजन कल्पित है। नाटक के प्रथम अंक में कामोत्सव के लिए विविध प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं। यह वस्तुतः सुन्दरी के रूप गर्व का प्रतिक्रियात्मक आयोजन है, क्योंकि आज ही यशोधरा प्रव्रज्या ग्रहण करने वाली है।

''कामोत्सव का आयोजन गौतम के उपदेश के प्रभाषो को चुनौती देता है। सुन्दरी जीवन की पार्थिवता में विश्वास करती है और कोरी दार्शनिकता को व्यर्थ मानती है।''[6] नन्द अस्थिर मानसिकता में डूबा रहता है। गौतम द्वार पर भिक्षार्थ आकर लौट गये, यह जानकर नन्द अत्यन्त अस्थिर हो जाता है और सुन्दरी से आज्ञा चाहता है कि वह गौतम के दर्शन कर आये। रात काफी व्यतीत हो गयी मगर नन्द नहीं लौटे, पर थोड़े समय के बाद ही श्वेतांग आकर कुमार नन्द सम्बन्धी समाचार देता है कि उन्हे प्रव्रज्या प्रदान की गयी थी, उनका मुंडन कर दिया गया है। तत्पश्चात् नन्द आ जाते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि बड़े भाई के सम्मान के कारण ही वह विरोध नहीं कर सके। नन्द सुन्दरी के बालों पर लगे विशेषक को भिगोने का प्रयत्न करते हैं कि सुन्दरी भयभीत हो हड़बड़ा कर उठ बैठती है। सिर मुड़े नन्द को पहचान नहीं पाती और पहचानने के बाद भी उसे अपरिचित घोषित करती है और कहती है– 'तुम नन्द नहीं कोई दूसरे ही हो।'

'आधे–अधूरे' नाटक की कथावस्तु सामाजिक है। यह आधुनिक जीवन के एक मध्यवर्गीय परिवार की विसंगतियों को प्रकट करता है। इस नाटक में लेखक ने एक परिवार के माध्यम से विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व, उनके टूटन तथा बिखराव को व्यक्त किया है। इस नाटक के सभी पात्र वास्तविकता में जीते हैं, न कोई कोरा आदर्शवादी है, न स्वप्नजीवी ही। वे पूर्णतः सजीव हैं, हजारों संवेदनाओं को स्पर्श करने में पर्याप्त सक्षम भी। पात्रों का दृष्टिकोण वास्तविकता की आधारशिला पर खड़ा है। अतः मध्यवर्गीय समाज के भाषों और विचारों का सही प्रतीक है। ''महेन्द्र नाथ अपनी विवाहित पत्नी से अत्याधिक प्रेम करता है। वह जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ कर गुजरता है। प्रेस खोलता है, फैक्ट्री में साझेदार बनता है। अन्ततः नकारा बन जाता है, हर तरफ से हारा हुआ इन्सान।''[7]

महेन्द्र नाथ की बेकारी और दूसरी ओर पूरे घर को चलाने के बोझ के कारण सावित्री का व्यवहार अत्यन्त कटु हो गया है। उसके जीवन की बहुमुखी अपेक्षाएँ अधूरी ही रह जाती हैं। महेन्द्र में वह एक अपूर्ण पुरुष को पाती है तथा पूर्णता की प्राप्ति के लिए अन्य पुरुषों से सम्पर्क स्थापित करती है, पर कहीं भी उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती घर में लड़के–लड़कियाँ मानो उसे चिढाते हों, ऐसा वह महसूस करती है। ''बड़ी लड़की बिन्नी मनोज के साथ भाग जाती है। लड़के मनोज का काम मात्र पत्र–पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों के फोटो काटना ही रह गया है। वह भी इसी प्रतीक्षा में है कि समय पाते ही घर से भाग निकले। छोटी लड़की किन्नी, भाई–बहन, माता–पिता किसी की प्रति लगाव नहीं महसूस करती और न ही किसी का लिहाज करती है।''[8] सावित्री का जीवन दफ्तर और घर की व्यस्तता, जिम्मेदारी तथा कुछ कर दिखाने के प्रयास में अत्यन्त विकर्षण युक्त हो गया है।

'पैर तले की जमीन' राकेश जी का अधूरा नाटक है। इसका दूसरा अंक उनके मित्र कमलेश्वर जी ने संपन्न किया। इस नाटक की सभी घटनायें एक ही स्थान 'टूरिस्ट क्लब ऑफ इण्डिया' में घटित होती हैं। यहाँ आने वाले लोग समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन की दृष्टि से हर पात्र एक इकाई है, हर व्यक्ति का अपना जीवन है, जो आवरण से युक्त है। जब क्लब चारों तरफ से पानी से घिर जाता हैं और मौत बिल्कुल नजदीक मड़राती हुई महसूस होती है, तब हर पात्र अपने ओढ़े हुए आवरण को फेंककर अपने असली रूप में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में हम उसे 'सेल्फ कन्फेशन' कह सकते हैं। पात्र अपने द्वारा किये गये अपराधों, खोखले जीवन तथा दिखावे को स्वीकार कर लेते हैं। नजदीक आती मृत्यु उन्हें अंतिम क्षण में अपने अपराधों की स्वीकृति, अपने खोखले, झूठे जीवन को प्रकट कर देने का साहस प्रदान करती है।

अतः कहा जा सकता है कि मोहन राकेश के ऐतिहासिक अथवा सामाजिक नाटकों का उद्देश्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान या राष्ट्रीय जागरण नहीं है। उनके नाटकों में वैयक्तिक अन्तर्द्वन्द्व को युग सापेक्ष भंगिमाओं में प्रस्तुत किया गया है। अर्थहीन आदर्शवाद का पर्दाफास कर उन्होंने जीवन में व्याप्त असंतुलन वैषम्य, अभाव, आक्रोश और कुण्ठाओं को अपने नाटकों में अंकित किया है। उनके नाटकों में जिन्दगी की जो तस्वीर है उसमें एक तरह की ईमानदार तलाश अधिक है, किसी अन्तिम निष्कर्ष का मसीहाई अंदाज नहीं।

सन्दर्भ :

1. अग्रवाल, डॉ0 सुषमा, मोहन राकेश का व्यक्तित्व एवं कृतित पंचशील प्रकाशन, जयपुर, संस्करण– 1998, पृ0 13
2. वही, पृ0 15
3. मेहन, राकेश, आषाढ़ का एक दिन, राजपाल एण्ड सन्स, नयी दिल्ली, संस्करण– 1982, पृ0 6
4. वही, पृ0 93.
5. वही, पृ0 108–109
6. शर्मा, डॉ0 नेहा– मोहन राकेश के साहित्य में नारी पात्र, तक्षशिला प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण– 1999, पृ0 16
7. वही, पृ0 17
8. वही, पृ0 17–18

प्रकाशित पुस्तकें :

- नारी विमर्श (प्राचीन काल से आधुनिक काल तक) - डॉ0 अनीश कुमार वर्मा
- सामाजिक न्याय : समस्या एवं समाधान - डॉ0 अनीश कुमार वर्मा
- कामकाजी महिलाएँ : समस्याएँ एवं समाधान - डॉ0 अनीश कुमार वर्मा
- काशी में हिन्दू विधवायें - डॉ0 रजनीश
- विश्व के प्रमुख धर्म - डॉ0 डी0सी0 पाण्डेय
- प्रमुख समकालीन दार्शनिक - डॉ0 डी0सी0 पाण्डेय
- लिंग भेद एवं सामाजिक परिवर्तन - डॉ0 त्रिपुन्जेय कुमार पटेल
- यज्ञतंत्र - डॉ0 मिताली देव
- Effects of Migration on Rural Labour Households at Origin - Indra Kant Bharti

Published by :

South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund
Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Email : researchdiscourse2012@gmail.com
Mob. 09453025847, 08687778221

ISSN 2277-2014